



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253778
CG-DL-E-19042024-253778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946

No. 108]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

मामला संख्या: ए डी (ओआई) -05/2023

विषय: चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित
“आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर)” के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच।

फा. सं. 6/05/2023-डीजीटीआर

क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” अथवा “आरएसईपीएल” कहा गया है) ने रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” अथवा “आईआईआर” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और पाटन रोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया।
2. और जबकि आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के इसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटन रोधी शुल्क की राशि, यदि उसे लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, का निर्धारण करने के लिए पाटन रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 6/05/2023-डीजीटीआर के माध्यम से आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच के संबंध में किया गया है:
 - क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्रवाई करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, प्रकाशित दिनांक 30 जून 2023 की आम सूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा में लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।
 - घ. प्राधिकारी ने पाटन रोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति जहां कहीं भी अनुरोध किया गया वहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
 - ड.. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4)के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एक निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 - i. अर्लान्क्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
 - ii. चीन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन
 - iii. एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन
 - iv. हंट्समैन इंटरनेशनल एलएलसी.
 - v. जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड
 - vi. ल्योंडेल बेसेल इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स बी.वी
 - vii. टिमको रबर
 - viii पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम

- ix. एसएबीआईसी
- x. टीपीसी ग्रुप
- xi. झेजियान सेनवे न्यू सिंथेटिक मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
- च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- छ. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है:
 - i. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")
 - ii. एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम (ईएमपीसी)
 - iii. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशन कंपनी ("ईएमपीएससी")
 - iv. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड
 - v. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")
 - vi. एआरएलएएनएक्सईओ सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
 - vii. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
 - viii. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबर होलिंग
 - ix. सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच
 - x. ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ
- ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के आयातक की प्रश्नावली भेजी:
 - i. रबरकिंग टायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. एल्फा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iv. चेलना इंक
 - v. राम चरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. बालाजी एंटरप्राइजेज
 - vii. कर्नाटक केमिकल इंडस्ट्रीज
 - viii. गणपती जनरल ट्रेडिंग एलएलपी
 - ix. देव रबर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
 - x. ब्राज़ा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड.
 - xi. पिंकसिटी रबर एंड केमिकल्स
 - xii. अक्स पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड.
 - xiii. एडवेन टायर ट्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
 - xiv. पैरागॉन वायल कैप्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xv. यूडी फार्मा रबर प्रोडक्ट
 - xvi. रविंदर कुमार विजय कुमार
 - xvii. सनराईज इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
 - xviii. स्वस्तिक सेल्स एजेंसी
 - xix. एक्सॉन मोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- xx. सिंक माइक्रोन केम प्राइवेट लिमिटेड
- xxi. केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड.
- xxii. रमन एंटरप्राइजेज
- xxiii. एस्ट्रॉन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxiv. कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxv. अंबिका बायलर और फैब्रिकेटर
- xxvi. पीआरएस टायर्स लिमिटेड
- xxvii. सपल रबर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
- xxviii. हिंदुस्तान साइकिल एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड.
- xxix. सील फॉर लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxx. संगी
- xxxi. जॉनसन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxxii. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxxiii. विस्टा बिजनेस वेंचर्स एलएलपी
- xxxiv. बजाज रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- xxxv. सोनाटा रबर प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvi. सन एक्विजम
- xxxvii. साहिल एंटरप्राइजेज
- xxxviii. मिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxxix. बी. बी. एम. एलमपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xl. मैजेस्टिक इंटरनेशनल
- xli. एनाबॉन्ड लिमिटेड
- xl.ii. पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड
- xl.iii. हेंकेल आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xl.iv. गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड
- xl.v. जयम इंडस्ट्रीज
- xl.vi. वी रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xl.vii. एल्गी रबर कंपनी लिमिटेड
- xl.viii. मैक्सिस रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xl.ix. बिस पॉलिमर्स लिमिटेड
- I. स्पेसीफिक वेंटिल फैब्रिक
- li. पर्ल पैच
- lii. इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसियर
- lii.ii. आर्मासेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- li.v. दीपक ओवरसीज
- li.v. आर.के. पॉलिमर
- li.vi. साक्षी लैंपेक्स

- lvii. मैक्सवेल पॉलिमर एलएलपी
- lviii. हार्टेक्स रबर प्राइवेट लिमिटेड
- lix. रबर इंडिया
- lx. श्री कृष्ण रबर केमिकल
- lxi. सुरेंद्र इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- lxii. ठकर दास एंड कंपनी
- lxiii. थॉमसन रबर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- lxiv. जमनादास इंडस्ट्रीज
- lxv. मिडास ट्रेड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- lxvi. पॉलीगोल्ड प्रीक्योर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड.
- lxvii. राजशिला सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- lxviii. रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड.
- lxix. बी. के. रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- lxx. एलाइड जे बी फ्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड
- lxxi. स्पीडवेज रबर कंपनी
- lxxii. केमिकलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- lxxiii. चेरी इंटरनेशनल
- lxxiv. के.एल. ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
- lxxv. क्लासिक ऑटो ट्यूब्स लिमिटेड
- lxxvi. चौधरी रबर एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड.
- lxxvii. मेट्रो टायर्स लिमिटेड
- lxxviii. मिडास ब्यूटाइल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- lxxix. फ्लेक्सिलिस प्राइवेट लिमिटेड
- lxxx. जेनिथ इंडस्ट्रीयल रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट
- lxxxii. योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
- lxxxiii. सिएट स्पेशलिटी टायर्स लिमिटेड
- lxxxiv. जय आर्शीवाद ट्रेडिंग कंपनी
- lxxxv. तुलसीराम हनुमानबैग्स गिलाडा
- lxxxvi. जैस्मिनो पॉलिमरटेक प्राइवेट लिमिटेड.
- lxxxvii. बी.पी. केमिकल्स
- lxxxviii. अग्नि रबर एंड केमिकल्स
- lxxxix. सागर रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
- xc. अग्रवाल रबर लिमिटेड
- xc. ऋग्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xc. टोयोटा त्सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xcii. एमआरएफ लिमिटेड
- xciii. साक्षी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

- xciv. एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड
- xcv. भारत रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
- xcvi. क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
- xcvii. अपोलो टायर्स लिमिटेड.
- xcviii. गुडइयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड.
- xcix. बी पी केमिकल्स
- c. ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड
- ci. मैसूर पॉलिमर एंड रबर प्रोडक्ट्स
- cii. कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ciii. जेएमएफ सिंथेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- civ. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- cv. जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- cvi. एल्मर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- cvi. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- cviii. कोरोशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
- cix. सत्यम रबर इंडस्ट्रीज
- cx. डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड.
- cxii. हिंद इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- cxii. डी डेकोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
- cxiii. सिएट लिमिटेड
- cxiv. ग्लोबस रुबकेम प्राइवेट लिमिटेड
- cxv. अक्यूरा वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
- cxvi. निशिगंधा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- cviii. परफेक्ट्री वैन मेलले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- cxvii. क्रेन प्रोसेस फ्लो टेक्नोलॉजीज (I)
- झ. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रसायन एवं पेट्रो-रसायन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को दिनांक 14 जुलाई 2023 को भेजी गई थी। हालांकि प्राधिकारी को कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए तथा परिचालन हेतु भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को आयातक की प्रश्नावली भेजी:
- फिक्की
 - सीआईआई
 - एसोचैम
 - एफआईआईओ
- ट. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है:
- एक्सॉनमोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ईएमसीआईपीएल")
 - एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड

- iii. क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड.
 - iv. जेएमएफ परफॉर्मेंस मैटेरियल प्राइवेट लिमिटेड.
 - v. एडवेन टायर ल्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
 - vi. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ('एटीएमए')
 - vii. सिएट लिमिटेड
 - viii. एमआरएफ लिमिटेड
 - ix. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करने के लिए उनमें से सभी को अनुरोध करने के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।
- ड. क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेनदेन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए डीजी प्रणाली को अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन तथा लेनदेन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ढ. सामान्य तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने तथा उनकी बिक्री करने की लागत एवं उत्पादन की इष्टतम लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) यह सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति के विश्लेषण के संदर्भ में पद्धतियों की जांच में 2019-20, 2020-21, 2021-22 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल थी।
- त. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- थ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया है।
- द. प्राधिकारी ने बैठक आयोजित की जहां हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- ध. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस चरण तक उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए सभी तर्कों को उस सीमा तक माना है जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य दिया गया था और उन्हे वर्तमान जांच से संगत माना है। प्राधिकारी आगे प्रारंभिक जांच परिणाम के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की जांच करेंगे जो जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेगा।
- न. इस सूचना में '***' किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मान गई सूचना का द्योतक है।
- प. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 80.79 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (“आईआईआर”) है जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों के इनर ट्यूब और अन्य उच्च दबाव वाले ट्यूबों के विनिर्माण में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। आईआईआर के अनुप्रयोगों में ट्यूब और टायर इनर लाइनर शामिल हैं जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसे डायफ्रेम, गेस्केट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओ-रिंग, सील, वेदर स्ट्रिपिंग और बॉटल के ढक्कनों में भी प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 में टैरिफ कोड 400231 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र व्यापक है और इसमें कुछ विशिष्ट ग्रेड शामिल हैं जिनका उत्पादन अथवा बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और उन्हें उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
- विचाराधीन उत्पाद में दो प्रमुख विनिर्देश जो अलग-अलग तकनीकी गुण उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप अलग-अलग अंतिम उपयोग किए जाते हैं, “मुनी विस्कोसिटी”; और “अनसेचुरेशन लेवल” हैं। जबकि घरेलू उद्योग और ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित नियमित ग्रेड अत्यधिक मुनी विस्कोसिटी और मध्यम अनसेचुरेशन स्तर वाले होते हैं, ईएमपीएससी द्वारा निर्मित आईआईआर के विशिष्ट ग्रेडों में इन विनिर्देशों के अलग-अलग संयोजन होते हैं प्राधिकारी को इस उत्पाद के कार्यक्षेत्र से कम अनसेचुरेशन मात्रा ≤ 1.35 एमओएल% वाले आईआईआर और उच्च अनसेचुरेशन मात्रा ≥ 2.00 एमओएल% वाले आईआईआ को अवश्य बाहर करना चाहिए।
- नियमित ग्रेडों की तुलना में विशिष्ट ग्रेडों की तुलना में मुनी विस्कोसिटी और अनुसेचुरेशन में अंतरों के फलस्वरूप रसायनिक संरचना, आणविक संरचना और तकनीकी विनिर्देशों में अंतर होता है जिसका आशय यह है कि विशिष्ट और नियमित ग्रेड तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसके अलावा, इन उत्पादों के अलग-अलग अनुप्रयोग और अंतिम प्रयोग होते हैं।
- यदि प्राधिकारी उत्पाद के कार्यक्षेत्र से विशिष्ट ग्रेडों को बाहर नहीं करते हैं तब इन्हें विशिष्ट ग्रेडों के लिए अलग पीसीएन अधिसूचित करना ही चाहिए क्योंकि ऐसे ग्रेडों को अलग-अलग कच्चे माल संरचना, तकनीकी गुणों और अंतिम उपयोगों के कारण उच्चतर कीमतें मिलती हैं।
- नियमित ग्रेड और विशिष्ट ग्रेड के बीच एक उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पीसीएन का प्रस्ताव किया जाता है—

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	मान	संकेतन
1.	मुनी विस्कोसिटी (एमयू)	उच्च (51 +/- 5) निम्न (31 +/- 5)	एच एल
2.	अनसेचुरेशन मात्रा (एमओएल%)	उच्च (2.00-2.60) मध्यम (1.50-1.90) निम्न (0.85-1.35)	एच एल एल

- vi. घरेलू उद्योग भौतिक और रसायनिक विशेषताओं तथा अंतिम उपयोग में अंतरों के कारण अर्लान्क्सियो द्वारा उत्पादित खाद्य श्रेणी आईआईआर के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। खाद्य श्रेणी आईआईआर खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए (चबाने वाले गम्स के उत्पादन के लिए) कठोर सरकारी और उद्योग की आवश्यकताओं का पालन करता है तथा इसके अलग-अलग तकनीकी विनिर्देश होते हैं।
- vii. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि एचआईआईआर विचाराधीन उत्पादन के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है।
- viii. वर्तमान मामले में पीसीएन पद्धति बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग.2 घरेलू उद्योग का विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि इसने कम मुनी विस्कोसिटी का उत्पादन और बिक्री किया है। इसके अलावा “कम” और “अधिक” अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर घरेलू उद्योग के उत्पाद के प्रोफाइल में पहले से ही हैं।
- ii. कम मुनी विस्कोसिटी और अधिक मुनी विस्कोसिटी तथा ≤ 1.35 एमओएल% से कम अनसेचुरेशन मात्रा और ≥ 2.00 एमओएल% मात्रा वाले उच्च अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर इस देश में बहुत कम हैं अर्थात् यह 0.1% से कम है।
- iii. खाद्य ग्रेड आईआईआर का प्रयोग सामग्री और दवाई संबंधी मदों को ढकने अथवा उसकी पैकिंग करने में किया जाता है तथा यह घरेलू उद्योग के उत्पाद प्रोफाइल में है।
- iv. खाद्य श्रेणी आईआईआर का उपयोग चबाने वाली गम बनाने में भी किया जाता है जो वर्तमान उत्पादन प्रोफाइल में नहीं है लेकिन घरेलू उद्योग का उद्देश्य इसकी बिक्री शुरू करना है। खाद्य मदों में उपयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड आईआईआर की मांग केवल 50-60 एमटी है।
- v. चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में नया है अतः यह बाजार खंडों पर केन्द्रित करने के बजाय बाजार में अपने आप को सर्वप्रथम स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- vi. केवल विनिर्देश में अंतर होने पर पीसीएन की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया है कि अलग-अलग विनिर्देशों की लागत में बहुत अधिक अंतर है। उपभोक्ता संघ ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन के संबंध में अपने अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया था। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों से यह कहा गया था कि वे अपने प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में दिए गए सुझाव के अनुसार अलग-अलग मापदंडों और मानों के लिए लागत और बिक्री कीमत में अंतरों का विवरण उपलब्ध कराएं।
- 8. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी (“ईएमपीएससी”), अर्लान्क्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी। घरेलू उद्योग से यह भी गया था कि वे इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन में लागत/कीमत संबंधी अंतरों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
- 9. विशिष्ट ग्रेड के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि कम मुनी विस्कोसिटी का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। इसके अलावा, कम ≤ 1.35 एमओएल% से कम अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर और

>=2.00 एमओएल% से अधिक अनसेचुरेशन मात्रा आरएसईपीएल द्वारा मौजूदा मशीनरी और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादित किया जा सकता है, यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इन विशिष्ट ग्रेडों को विचाराधीन उत्पादन के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर का कोई आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, कम मुनी विस्कोसिटी लेकिन अधिक अनसेचुरेशन वाले 300 कि.ग्रा. की मामूली मात्रा में ही आईआईआर का आयात किया गया है। यह अच्छी तरह से निर्धारित है कि अपवर्जन का प्रश्न तभी उठता है जब इस उत्पाद प्रकार का आयात होता हो तथा घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है। हालांकि वर्तमान मामले में, उन उत्पाद प्रकारों का कोई आयात नहीं होता है जिनके लिए अपवर्जन की मांग की गई है और इसमें मामूली मात्रा में एक बार लेनदेन किया गया है। और इसलिए, घरेलू उद्योग ने भी इसका उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है। कम अथवा अधिक मुनी विस्कोसिटी और अनसेचुरेशन मात्रा वाले उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने कम मुनी विस्कोसिटी वाली वस्तुओं का उत्पादन दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराया है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने विनिर्दिष्ट सीट भी संलग्न की है जो यह दर्शाता है कि अलग-अलग अनसेचुरेशन मात्रा वाला उत्पाद उन वस्तुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है जिसका यह उत्पादन कर सकता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान मामले एक नया उद्योग शामिल है जिसने नए उत्पाद के लिए सुविधा स्थापित की है तथा इस उत्पाद के पाटित आयातों के कारण बाजार पर कब्जा करने में कठिनाई का सामना यह कर रहा है। इसके अलावा, उत्पाद प्रकारों का आयात भारत में नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए, यह विचार करना उपयुक्त नहीं है कि क्या उत्पाद वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा गया है, लेकिन क्या घरेलू उद्योग में ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है। तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाता है कि उत्पाद के दायरे से विशेष ग्रेड को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

10. खाद्य श्रेणी आईआईआर के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि खाद्य श्रेणी आईआईआर के दो ग्रेड हैं। एक का उपयोग खाद्य अथवा औषधीय मदों की पैकिंग में किया जाता है और दूसरे उत्पाद का उपयोग चबाने वाले गम जैसे खाद्य मदों का निर्माण करने के लिए एक घटक के रूप में किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि रैपिंग अथवा पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर की पेशकश घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री के लिए की जा रही है, चबाने वाले गम में एक घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर नहीं है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू करना है, वर्तमान में यह इसके उत्पाद प्रोफाइल में नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग ने खाद्य मदों का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर का उत्पादन करने की किसी क्षमता में नहीं दर्शाया है अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र से चबाने वाले गम के उत्पादन में एक घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर को बाहर रखा है।

11. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र अनंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) है जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों के इनर ट्यूब और अन्य उच्च दबाव ट्यूबों के विनिर्माण में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। आईआईआर के अनुप्रयोगों में ट्यूब और टायर इनर लाइनर शामिल हैं जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसे डायफ्रेम, गेस्केट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओ-रिंग, सील, वेदर स्ट्रिपिंग और बॉटल के ढक्कनों में भी प्रयोग किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 में टैरिफ कोड 4002 31 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

12. इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और की गई चर्चा के आधार पर, प्राधिकारी ने उचित तुलना के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अपनाया है:

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	मान	संकेतन
1.	मुनी विस्कोसिटी (एमयू)	उच्च (51 +/- 5) निम्न (31 +/- 5)	एच एल
2.	अनसेचुरेशन मात्रा (एमओएल%)	उच्च (2.00 - 2.60) मध्य (1.36 - 1.99) निम्न (0.85 - 1.35)	एच एल एल

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आधार के संबंध अनुरोध निम्नानुसार है:

- सिबर याचिकाकर्ता के एओए के अनुसार आरएसईपीएल के कुछ प्रमुख प्रबंधन और नीतिगत निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। आरएसईपीएल के बोर्ड में सिबर द्वारा दो निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। आरक्षित मामलों तथा संयुक्त अनुमोदन व्यापारों के संबंध में निर्णय सिबर द्वारा नियुक्त निदेशकों में से कम से कम एक निदेशक के अनुमोदन तथा सिबर द्वारा अर्हक शेयरों (25.1%) को धारण करते समय तक सिबर के शेयरहोल्डरों में से एक शेयरहोल्डर के अधिकृत प्रतिनिधियों में से एक के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है।
- उपर्युक्त का एक मात्र अपवाद यह है कि जब बोर्ड की बैठक प्रत्येक शेयरहोल्डर समूह के कम से कम एक निदेशक के अनुपस्थित रहने के कारण तीन बार स्थगित किया गया है। हालांकि ऐसी स्थिति असाधारण है और इसके होने की संभावना नहीं है।
- संबंधित पक्षकार के लेनदेन के मामले में, शेयरहोल्डर समूह जिसके साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन का प्रस्ताव किया जाता है के निदेशक इस चर्चा का हिस्सा नहीं होंगे और वे अन्य शेयरहोल्डर समूह के मत के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार, आरआईएल के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन के मामले में, सिबर को बोर्ड की बैठक में अधिकांश मतदान अधिकार प्राप्त होता है।
- जब सिबर के पास अर्हक शेयर नहीं होते हैं लेकिन वह सामूहिक रूप से 15.1 प्रतिशत से अधिक शेयरों को धारित करता है तब संबंधित पक्षकार का लेनदेन सिबर द्वारा नियुक्त निदेशकों में से कम से कम एक निदेशक के मत के बिना अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।
- संयुक्त उद्यम का वास्तव रूप से नियंत्रण आरआईएल और सिबर दोनों के पास होता है।
- आरएसईपीएल की वार्षिक आमसभा तथा असाधारण आमसभा में आरक्षित मामलों से संबंधित लेनदेन सिबर द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक तथा मुख्य प्रचालन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही पारित किया गया है।
- सिबर और टाटर-अमेरिकी निवेश तथा कंपनियों के वित्त समूह के बीच विलय के निर्णय में यूरोपीय आयोग ने यह पाया कि यद्यपि आरआईएल के पास आरएसईपीएल के अधिकांश शेयर हैं फिर भी आरआईएल और सिबर दोनों का इस पर संयुक्त नियंत्रण होता है।
- आरआईएल और सिबर दोनों ने प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किया जिसमें आरएसईपीएल सिबर की सिबर की प्रोपराइटी बुटाइल रबर उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग का कर सकता है सिबर आरएसईपीएल के लिए मूलभूत इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करेगा और इस संबंध में कर्मिकों को

- प्रशिक्षित करेगा। यह सिबर को आरएसईपीएल की नीति और प्रचालन संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए लिवरेज प्रदान करता है।
- ix. आरआईएल, आरएसईपीएल और सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच के बीच एक पूर्व विपणन करार है। आरएसईपीएल सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच के माध्यम से यूरोप और अन्य क्षेत्रों को निर्यात करता है। सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच भारत को एनकेएनएच द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करता है। एनकेएनएचएनकेएनएच और सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच दोनों सिबर के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। इस प्रकार आरएसईपीएल को इस जांच में घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
 - x. चूंकि सिबर एनकेएनएच सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच दानों को नियंत्रित करता है, इसे इस जांच के प्रयोजन से एक मात्र प्रतिष्ठान के रूप में माना जाना चाहिए। यह दावा कि रूस के उत्पादक द्वारा कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया जाता है, को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
 - xi. याचिकाकर्ता का यह दावा कि क्षति संबंधी कोई भी विश्लेषण तब तक संभव नहीं होगा यदि इसे एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है, प्राधिकारी को एक अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता को घोषित करने से नहीं रोक सकता है।

घ.2 घरेलू उद्योग का विचार

14. घरेलू का उद्योग के कार्यक्षेत्र तथा आधार के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।
- ii. आरएसईपीएल की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी, स्विट्ज़रलैंड के एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी।
- iii. सिबर होल्लिंग का भी विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक सिबर तोगलियाटी, में था और इसका विचाराधीन उत्पादन के एक रूसी उत्पादक/निर्यातक पीजेएससी निज़नेकम्स्केनेफ़तेखिम (एनकेएनएच) में स्टेक है।
- iv. यद्यपि एनकेएनएच संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ है, इसने सीधे तौर पर भारत को इसका निर्यात नहीं किया है।
- v. सिबर स्विट्ज़रलैंड का आरएसईपीएल में शेयरहोल्लिंग हैं लेकिन यह आरएसईपीएल के प्रचालनों पर कानूनी रूप से अथवा प्रचालन के तौर पर संयम बरतने अथवा निदेश देने की स्थिति में नहीं है।
- vi. रूस के उत्पादक एनकेएनएच और आरएसईपीएल एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और वे एक तीसरे पक्षकार के साझा नियंत्रण में नहीं हैं और वे संयुक्त रूप से एक तीसरे पक्षकार को नियंत्रित नहीं करते हैं।
- vii. भारतीय बाजार में आरएसईपीएल की मौजूदगी के बावजूद, एनकेएनएच निरंतर रूप से व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यात करता रहा है।
- viii. एक्सॉनमोबिल ने इस जांच को विपथित करने के लिए अपने एक प्रयास में जानबूझ कर और गलत तरीके से आंशिक रूप से दस्तावेज को उद्धृत किया है। कंपनी अधिनियम और पाटन रोधी कानून का उद्देश्य और लक्ष्य अलग-अलग है तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध पर पाटन रोधी जांच में विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक अलग कानून में दी गई परिभाषा पाटन रोधी जांचों पर लागू नहीं हो सकती है। अनेक मामलों में, प्राधिकारी ने यह माना है कि अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत उत्पादन का अभिप्राय अलग-अलग है क्योंकि उनके अलग-अलग उद्देश्य हैं।
- ix. जबकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा है और इसका संबंध उत्पादन के शुरू होने तथा उसके बंद होने के पूर्व कंपनी के प्रचालनों से है, पाटन रोधी कानून और नियमों का संबंध केवल जांच की अवधि से है। इस संबंध को जांच की अवधि और न कि जांच की अवधि के पूर्व अथवा जांच की अवधि के बाद

- के दौरान देखी जाती है। इस प्रकार, नियंत्रण का अभिप्राय चाहे वह विधिक रूप से हो अथवा वास्तविक रूप से हो, की जांच केवल जांच की अवधि के संदर्भ में ही की जानी चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से संबंधित पक्षकार को बाहर किए जाने के पीछे उद्देश्य उत्पादकों को बाहर करना है जिन्हें विदेशी उत्पादकों के साथ अपने संबंधों से लाभ प्राप्त हो रहा है। कानूनी अथवा प्रचालन संबंधी नियंत्रण के मामले में, घरेलू उत्पादक के बारे में यह कहा जाता है कि वे विदेशी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हैं। यदि दो पक्षकार संबंधित भी हैं तब केवल संबद्ध घरेलू उत्पादक को अपात्र के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है।
 - xi. इस तथ्य की भी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबंधित पक्षकारों से अलग है, यदि उन पर पाटन लगाया जाता है, अधिक पाटन लगाया जाता है, पाटन से लाभ प्रदान किया जाता है अथवा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है तब क्षति स्वयं के कारण हुई है, संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए आयातों का प्रभाव, क्या संबंधित पक्षकार ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया था, क्या संबंधित निर्यातक की मात्रा असंबंधित घरेलू उत्पादकों के बाजार को प्रतिस्थापित कर रहा है, क्या इस संबंध से इस बात की संभावना है कि समान वस्तु के उत्पादन, कीमत निर्धारण अथवा लागत, शेयरधारकों द्वारा सांविधिक अथवा संगठनात्मक प्रतिबंधों के संबंध में निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता है, क्या संबंधित पक्षकार स्वतंत्र रूप से अथवा इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं अथवा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और क्या उनका पाटन रोधी जांच में परस्पर विरोध ही हित है।
 - xii. वर्तमान जांच में जबकि आरएसईपीएल को पाटन रोधी शुल्क से लाभ प्राप्त होगा, सिबर पाटन रोधी शुल्क के अध्यधीन होगा। संबद्ध देश में कथित संबंधित पक्षकारों के होने के बावजूद आरएसईपीएल के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, दोनों पक्षकार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनका परस्पर विरोधी हित है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आरएसईपीएल ने पाटन में भाग लिया है अथवा क्षति उसके स्वयं के कारण हुई है। इस प्रकार, इसे घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
 - xiii. आरआईएल के पास आरएसईपीएल में अधिकांश शेयर और निदेशक हैं, बोर्ड के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार आरआईएल के पास है और इस प्रकार सभी निर्णय जहां अधिकांश मतदान अपेक्षित हो, आरआईएल के हैं।
 - xiv. आरक्षित मामलों में आरएसईपीएल का दैनिक व्यापार अथवा विपणन अथवा कीमत निर्धारण से संबंधित निर्णय शामिल नहीं है जो आरएसईपीएल को स्वयं के कारण हुई क्षति उठाने की अनुमति दे सकता था। सिबर एकतरफा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। यदि आरआईएल द्वारा इसका समर्थन न किया जाए। इस प्रकार सिबर आरएसईपीएल पर नियंत्रण रखने अथवा निदेश देने की स्थिति में नहीं है।
 - xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत एओए याचिकाकर्ता पर सिबर का नियंत्रण स्थापित नहीं करता है।
 - xvi. वार्षिक आम सभा तथा असाधारण आम सभा की सूचना और ट्रांस्क्रिप्ट जिन पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किया गया है नियंत्रण को नहीं दर्शाते हैं और यह वर्तमान जांच से संबंधित नहीं है क्योंकि यह केवल पूंजी बढ़ाने से संबंधित है।
 - xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत यूरोपीय कमीशन ने यह माना कि आरआईएल का आरएसईपीएल पर नियंत्रण है। इसके अलावा, जिस दस्तावेज पर विश्वास किया गया है वह विलय और अधिग्रहण से संबंधित है और न कि पाटन रोधी जांच से संबंधित है। संबंधित पक्षकारों का अभिप्राय और कार्यक्षेत्र इन दोनों के अंतर्गत अलग-अलग है।
 - xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिस मीडिया रिलीज पर विश्वास किया गया है वह प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और सिबर से प्रशिक्षण को दर्शाता है। यह तथ्य उत्पादन को शुरू करने के पूर्व से संबंधित है और वर्तमान पाटन रोधी जांच से संगत नहीं है। यह याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्रियों, लागतों अथवा कीमतों पर

- नियंत्रण नहीं दर्शाता है। अनेक मामलों में प्रौद्योगिकी की आपूर्ति अन्य देशों के अन्य उत्पादकों से की गई है।
- xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एनकेएनएच एनकेएनएच, टीएआईएफ पर सिबर का नियंत्रण अथवा एनकेएचनएच पर टीएआईएफ का नियंत्रण वर्तमान जांच से संगत नहीं है।
- xx. आरक्षित मामले का कोई शर्त उत्पादन, खरीद, बिक्री, कीमत निर्धारण अथवा किसी अन्य कारक जो पाटन रोधी जांच से संगत हो, के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रचालनों पर सिबर के नियंत्रण को नहीं दर्शाता है।
- xxi. आरक्षित मामलों में कुछ शर्तें, जिन पर एक्सान द्वारा विश्वास किया गया है, इस संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालनों के पूर्व के समय से संबंधित है और व्यापार स्थापना वित्त पोषण चरण अब लागू नहीं है क्योंकि यह संयंत्र पहले ही चालू हो चुका है।
- xxii. आरक्षित मामलों में अन्य शर्तों का संबंध पाटन रोधी जांच से नहीं है और न ही ये जांच की अवधि में प्रचालनों से संबंधित हैं क्योंकि वे विस्तार योजनाओं, विपणन के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित हैं जो न्यूनतम नेटवैक पर उत्पादन की बिक्री करने, बंद करने, एमओए अथवा अन्य दस्तावेजों को बदलने, अनधिकृत पूंजी में परिवर्तन, सहायक कंपनी का सृजन, व्यापार योजना में संशोधन का अनुमोदन, मॉर्गेज का सृजन अथवा शुल्क, ऋण अथवा गारंटी प्राप्त करना अथवा उपलब्ध कराना, इंजीनियरिंग सेवाओं, निर्माण, उपकरण की खरीद अथवा अधिग्रहण अथवा अचल संपत्ति की बिक्री, 1,00,00,000 यूएस डॉलर से प्रतिवर्ष से अधिक व्यय की राशि के साथ संविदा और लेखांकन नीतियों के लिए 19 सामान्य कार्यनीति है।
- xxiii. आरआईएल और सिबर के बीच विरोध के मामले में, आरआईएल के पास सिबर को अपने शेयरों की बिक्री आरआईएल को करने का निदेश देने का अधिकार है। उसी प्रकार, सिबर के पास आरआईएल द्वारा इसकी शेयरों की खरीद करने का अधिकार है। इस प्रकार विरोध की स्थिति में, आरआईएल के पास समग्र प्रचालनों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार सिबर विरोध संबंधी स्तर के होने के कारण आरआईएल के निदेशकों द्वारा किसी निर्णय को नहीं रोक सकता है।
- xxiv. सिबर और आरएसईपीएल के बीच विपणन पूर्व करार 2019 में समाप्त हो गया है जबकि एनकेएनएच का नियंत्रण सिबर द्वारा 2021 में प्राप्त किया गया था जब इस तरह का करार लागू नहीं था। इस करार का अभिप्राय बीज विपणन का भारत में आयात और न कि विचाराधीन उत्पाद के निर्यात से था। वह सिबर द्वारा किसी नियंत्रण को नहीं दर्शाता है। पाटन रोधी जांच में निर्यात संगत नहीं है क्योंकि निर्यात के लिए कार्यकलापों को अनुबंध II के अनुसार बाहर रखा जाना है।
- xxv. संबंधित पक्षकारों के बीच सभी प्रकार के लेनदेन दूर आधार पर है और उसके विधिवत अनुमोदन लेखा परीक्षा समिति और याचिकाकर्ता के बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसी भी मामले में, आरआईएल के लिए यह अपेक्षित है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी संबंधित पक्षकारों के लेनदेन इसके अपने कानूनी और प्रचालन संबंधित दर्जा के कारण दूर आधार पर है।
- xxvi. आरएसईपीएल अब पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य प्रचालन अधिकारी से अपेक्षित है कि वे इस निदेश के अंतर्गत तथा निदेशकों के बोर्ड के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करें। केवल यह तथ्य कि सिबर ने ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है, का आशय यह नहीं है कि वह व्यक्ति बोर्ड के निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर सकता है।
- xxvii. एक्सॉनमोबिल ने किसी संबंधित पक्षकार के लेनदेन की पहचान नहीं की है जिसके लिए सिबर की सहमति अथवा कुछ लेनदेन की मौजूदगी जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निर्धारण को प्रभावित करता है, की आवश्यकता होगी।
- xxviii. रूस के उत्पादक द्वारा कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है लेकिन असंबंधित निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए हैं। निर्यातक उस बाजार का निर्धारण करते हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की जाएगी और ऐसे वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाएगी। इस कारण से सिबर के साथ कथित संबंध का वर्तमान जांच में कोई संगतता नहीं है।

xxix. घरेलू उद्योग ने बीज विपणन कार्यकलाप करने के उद्देश्य से उत्पादन को शुरू करने से पूर्व विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है हालांकि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है”।

16. यह आवेदन रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) द्वारा दायर किया गया है। आरएसईपीएल भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।

17. नियम 2 (ख) के उद्देश्यों से, उत्पादकों के संबंध में तभी यह माना जाएगा कि वे निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित है यदि, -

“(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो; अथवा
(ख) उनमें से दोनों किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होते हों; अथवा
(ग) वे एक साथ इस शर्त के अधीन किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता हो, कि इस तथ्य पर विश्वास करने अथवा संदेह करने के लिए आधार है कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादक असंबंधित उत्पादकों से अलग रूप में व्यवहार करने को बाध्य हों

नोट: इस व्याख्या के उद्देश्य से, एक उत्पादक इस संबंध में यह माना जाएगा कि वह दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण रखता है जब पहला कानूनी रूप से अथवा प्रचालन के तौर पर दूसरे पर नियंत्रण रखने का निर्देश देने की स्थिति में है”।

18. अनुच्छेद 4 में पाटन रोधी करार घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है-

“4.1 इस करार के उद्देश्यों से, पारिभाषिक शब्द “घरेलू उद्योग” की व्याख्या समग्र समान उत्पादों अथवा उनमें से उन उत्पादों जिनका उत्पादों का सामूहिक उत्पादन इस बात के सिवाय उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, के रूप में घरेलू उत्पादकों को संदर्भित करने के रूप में किया जाएगा;

(i) जब उत्पादक उत्पादकों का संबंध निर्यातकों अथवा आयातकों से हो अथवा वे स्वयं कथित रूप से पाटित उत्पाद के आयातक हों, पारिभाषिक शब्द “घरेलू उद्योग” की व्याख्या शेष उत्पादकों को संदर्भित करने के रूप में की जा सकती है;”

19. फुटनोट 11 आगे संबंधित का आशय निम्नानुसार स्पष्ट करता है:

“11. इस अनुच्छेद का उद्देश्य उत्पादकों के संबंध में तभी यह माना जाएगा कि वे निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित है यदि (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो अथवा (ख) उनमें से दोनों किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होते हों; अथवा (ग) वे एक साथ किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता हो, बशर्ते कि इस तथ्य पर विश्वास करने अथवा संदेह करने के लिए आधार है कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादक असंबंधित उत्पादकों से अलग रूप में व्यवहार करने को बाध्य हों। इस अनुच्छेद के उद्देश्य से, एक उत्पादक इस संबंध में यह माना जाएगा कि वह दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण रखता है जब पहला कानूनी रूप से अथवा प्रचलन के तौर पर दूसरे पर नियंत्रण रखने का निदेश देने की स्थिति में है”

20. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकार की परिभाषा का मूलभाव “नियंत्रण”, कानूनी अथवा प्रचालनात्मक है, यदि कोई पक्षकार दूसरे को निदेश देने अथवा उस पर नियंत्रण रखने की स्थिति नहीं हो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अन्य पक्षकार के माध्यम से, यह नहीं माना जा सकता है कि दो पक्षकार एक दूसरे से संबंधित हैं। यह नोट किया जाता है कि केवल शेयरहोल्डिंग नियंत्रण रखने के बराबर नहीं है और इस कारण से आरएसईपीएल को पाटन रोधी नियमावली के अभिप्राय से एनकेएनएच से संबंधित करता है। इसके अलावा, यदि दो पक्षकार संबंधित पक्षकार भी है तब केवल संबंध का तथ्य घरेलू उद्योग को आपत्र के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा साक्ष्य अवश्य होना चाहिए कि संबंधित घरेलू उत्पादक ने इस संबंध के कारण अलग तरीके से कार्य किया है तथा पाटन की कार्य पद्धतियों में भाग लिया है और ऐसा कदम उठाया है जिसके परिणामस्वरूप स्वयं के कारण क्षति हुई होती।
21. वर्तमान मामले में, आरएसईपीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी, स्विट्ज़रलैंड (सिबर स्विट्ज़रलैंड), पीजेएससी सिबर होल्डिंग (सिबर रूस) की एक सहायक कंपनी, के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सिबर रूस का भी पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेप्रतेखिम (एनकेएनएच), जो रूस में विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक में स्टॉक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरएसईपीएल का प्रमुख रूप से नियंत्रण आरआईएल, द्वारा किया जाता है जिसके पास अधिकांश शेयर हैं जबकि सिबर स्विट्ज़रलैंड का शेयरहेल्डरों और निदेशकों दोनों की वोटिंग शक्तियों के संदर्भ में अधिकांश शेयर है।
22. याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि इसे इस तथ्य के बावजूद नियम 2(ख) के अंतर्गत एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए कि भारत को निर्यात रूस के उत्पादक द्वारा किया गया है और यह याचिकाकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए याचिकाकर्ता की पात्रता को चुनौती दी है कि याचिकाकर्ता किन आधारों पर पात्र नहीं है कि याचिकाकर्ता कंपनी रूस के उत्पादकों द्वारा या तो सीधे तौर पर अथवा एक तीसरी कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित होता है। अपात्रता की मांग करने का एकमात्र आधार याचिकाकर्ता कंपनी पर संयुक्त उद्यम पर दोनों साझेदारों द्वारा “नियंत्रण” का होना है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है।
23. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 2(ख), प्राधिकारी के इस तथ्य की जांच करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उत्पादक को भारत में इन वस्तुओं को पाटित करने वाले विदेशी निर्यातक के साथ इसके संभावित संबंध अथवा स्वयं याचिकाकर्ता का ऐसे उत्पाद का आयातक होने के कारण अपात्र के रूप में माना जाना चाहिए।
24. वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता अर्थात् आरएसईपीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। संयुक्त उद्यम साझेदार सिबर इन्वेस्टमेंट एजी

पीजेएससी सिबर होल्लिंग की एक सहायक कंपनी है जो वर्तमान मामले में रूस के एक सहयोगी उत्पादक पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम, की होल्लिंग कंपनी भी है। इस कारण से पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम ने पीजेएससी सिबर होल्लिंग वाली कंपनी के स्वामित्व की भी सूचना दी है। रूस के उत्पादक से यह भी अपेक्षित है कि वे उत्पादक से संबद्ध सभी कंपनियों चाहे वह विचाराधीन का उत्पादन और बिक्री में शामिल हो अथवा नहीं तथा चाहे वह रूस में हो अथवा नहीं, के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराए। यह नोट किया जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम ने अपनी संबद्ध प्रतिष्ठानों के रूप में निम्नलिखित कंपनियों की सूचना दी है।

क. ***

ख. ***

25. यह नोट किया जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम ने याचिकाकर्ता को अपनी और आरआईएल को अपनी संबद्ध कंपनी के रूप में सूचना नहीं दी है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम अपने आपको आरएसईपीएल अथवा आरआईएल से संबंधित होने के रूप में नहीं मानता है।
26. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे की भी जांच की गई थी। यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि यह रूस के वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित नहीं और न ही यह संबद्ध वस्तुओं के रूस के उत्पादकों से संबंधित है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इस नियामावली के अंतर्गत संबंध को इस उत्पाद के निर्यात के संदर्भ में देखा जाना अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने इन आधारों पर इस संबंध से इनकार किया है कि (क) सिबर अथवा पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्टेखिम द्वारा कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है (ख) रिलायंस का शेयरहोल्डरों और निदेशकों के बोर्ड दोनों में अधिकांश वोटिंग अधिकार है (ग) सिबर आरएसईपीएल के दिनप्रतिदिन निर्णयों पर अधिकार नहीं दिखा सकता है (घ) आरएसईपीएल में सिबर द्वारा पाटन में योगदान नहीं किया है और (ङ.) आवेदक के विगत कार्यपद्धति को देखते हुए पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।
27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2 (ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार का लक्ष्य अथवा उद्देश्य वर्तमान मामले में संगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रावधान का उद्देश्य प्राधिकारी को कुछ परिस्थितियों में अपात्र के रूप में कुछ घरेलू उद्योग को मानने की अनुमति है। एक ऐसी स्थिति है जब घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक से संबंधित हैं। हालांकि, नियम 2 (बी) के स्पष्टीकरण में 'संबंधित' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें पार्टियों में से एक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को नियंत्रित करने, या दोनों पक्षों को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने या एक साथ तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। आगे प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल संबंध का तथ्य कानून के अंतर्गत इस तरह के घरेलू उत्पादकों को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या ऐसा विश्वास करने और संदेह करने के लिए आधार हैं कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिसके कारण इस तरह के उत्पादक असंबद्ध उत्पादकों से अलग तरीके से व्यवहार करें। नियम आगे प्रदान करता है कि एक पार्टी को दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने के लिए माना जाएगा जहां पार्टी कानूनी रूप से या परिचालन रूप से बाद में संयम या दिशा का प्रयोग करने की स्थिति में है। दूसरा, प्राधिकारी के पास ऐसी परिस्थितियों में ऐसे घरेलू उत्पादकों को अपात्र के रूप में मानने का विवेकाधिकार है। किसी भी मामले में नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से ऐसे घरेलू उत्पादक को स्वतः बाहर नहीं किया जाता है।
28. वर्तमान मामले के तथ्यों, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता और रूस के उत्पादक दोनों ने एक दूसरे पर चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संबंध अथवा नियंत्रण के होने से इनकार किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने रूस सहित अनेक देशों पर पाटन रोधी शुल्कों को लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता ने रूस से निर्यातों के संबंध में 50-60% की पाटन मार्जिन की मात्रा

का उल्लेख किया। रूस के उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और यह दावा किया कि पाटन मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता के पास मांग की संपूर्णता को पूरा करने की क्षमता है, यह देखा जाता है कि इस उत्पाद की बहुत अधिक मात्रा की आपूर्ति रूस के उत्पादकों द्वारा की गई है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, यह देखा जाता है कि *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कंपनी द्वारा क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के पश्चात कंपनी द्वारा निर्यात किया गया है। इस प्रकार कथित संबंध अथवा नियंत्रण के बावजूद यह देखा जाता है कि रूस की कंपनी ने संगत अवधि के दौरान भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अलावा, किए गए आयातों की मात्रा बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा, जबकि निर्यातक ने पाटन के मौजूद नहीं रहने का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने रूस के द्वारा पाटन किए जाने का दावा किया है। प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में बहुत अधिक पाटन मार्जिन पाया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने एक शेयरहोल्डर द्वारा याचिकाकर्ता पर कथित नियंत्रण के बावजूद रूस के विरुद्ध भी इस देश में पाटन को रोकने के लिए कदम उठाया है। याचिकाकर्ता ने रूस के उत्पादकों द्वारा पाटन में भाग नहीं लिया है और न ही उसे रूस से इस तरह के पाटन होने से उत्तेजित हुआ है, न ही अपने आपको बचाया है बल्कि याचिकाकर्ता ने भारतीय बाजार में ऐसे पाटन के होने के विरुद्ध निवारण की मांग करने में प्रभावी कदम उठाया है। यह भी देखा जाता है कि वर्तमान कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों को छोड़कर रूस से कोई अन्य निर्यात हुआ प्रतीत नहीं होता है।

29. नियंत्रण के मौजूद होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना, साक्ष्य अथवा दस्तावजों का उल्लेख किया है जो कंपनी के प्रचालनों के पूर्ण रूप से अलग-अलग कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं। हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं यह माना है कि कथित नियंत्रण “आरक्षित श्रेणी” के क्षेत्रों में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि जहां तक इस उत्पाद के दैनिक उत्पादन और बिक्री का प्रश्न है, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन और ऐसे पाटन के विरुद्ध घरेलू उद्योग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को शेयरहोल्डरों द्वारा नहीं रोका गया था और इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वह आरक्षित मदों की श्रेणी में नहीं आता है।
30. इसका भी कोई खंडन नहीं किया गया है कि वर्तमान मामले में बोर्ड के अधिकांश निदेशकों को आरआईएल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, यह तथ्य कि सिबर इन्वेस्टमेंट एजी का याचिकाकर्ता के बोर्ड में केवल दो निदेशक हैं, यह सिद्ध करता है कि एक अन्य शेयरहोल्डर नामतः आरआईएल याचिकाकर्ता को ऐसे पाटन के विरुद्ध निवारण की मांग करने से रोकने अथवा निदेश देने की स्थिति में है। वास्तव में कंपनी ने वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने में ऐसी कार्रवाई की है जो आगे सिबर इन्वेस्टमेंट एजी की निदेश देने की क्षमता तथा आरआईएल की पाटन के विरुद्ध निवारण की मांग करने के लिए निदेश देने की क्षमता को सिद्ध करता है।
31. यह देखा जाता है कि संघ के अंतर नियम (एओए) के विभिन्न प्रावधानों में विधिक और वास्तविक नियंत्रण का अधिकार आरआईएल को और न कि सिबर को प्राप्त होने का प्रावधान है। जबकि आरआईएल के पास स्वीकार्य तौर पर याचिकाकर्ता पर विधिक नियंत्रण का अधिकार है, वास्तविक नियंत्रण भी आरआईएल के पास है जो एओए के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के माध्यम से उसे मिला है। जबकि स्वीकार्य तौर पर कुछ मामलों को आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और सिबर की सहमति निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, यह नोट किया जाता है कि इन आरक्षित मामलों और सिबर के पास अधिकार एओए के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के अधीन है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि संघ के अंतर नियम का अनुच्छेद 40 वास्तव में आरआईएल को आरआईएल और सिबर द्वारा नामित निदेशकों के बीच मतभेद की स्थिति में इसके पक्ष में निर्णय लागू करने का प्रावधान है। अन्य शब्दों में, यदि सिबर कथित वास्तविक नियंत्रण को लागू कर निर्णय लागू करने का प्रयास करता है तब आरआईएल के पास एओए के अंतर्गत विरोध संबंधी प्रावधानों को लागू कर उसे अधिक्रमित करने की क्षमता है। इस प्रकार से अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि याचिकाकर्ता पर विधिक और वास्तविक नियंत्रण दोनों आरआईएल के पास हैं और सिबर के पास प्राधिकारी द्वारा आरआईएल के निर्णय के प्रतिकूल तरीके से याचिकाकर्ता को नियंत्रित करने के लिए है।

32. संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में प्रवधानों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी मामले में, ये प्रावधान संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है और साथ ही ऐसे संबंधित पक्षकार के लिए लेनदेन के वास्ते दूर का लेनदेन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। चूंकि आरआईएल याचिकाकर्ता में अधिकांश शेयरहोल्डर है और यह एक सूचीबद्ध कंपनी है अतः किसी भी तरीके से आरआईएल कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में विभिन्न प्रावधानों से शासित नहीं होता है। यदि आरआईएल संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है और इससे यह अपेक्षित है कि वह ऐसे संबंधित पक्षकार के लेनदेन के साथ दूर का लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन क्षति का निर्धारण करने के उद्देश्य से दूर का है।
33. जहां तक यूरोपीय कमीशन के निर्णय का संदर्भ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न केवल यह निर्णय बिल्कुल अलग संदर्भ में है बल्कि उक्त निर्णय यह भी साबित नहीं करता है कि याचिकाकर्ता सिबर द्वारा नियंत्रित है।
34. इस प्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियंत्रण का यह तथ्य स्थापित नहीं किया गया है जहां तक इसका संबंध वर्तमान कानून अथवा कार्यवाहियों से है। इसके अलावा प्राधिकारी यह मानते हैं कि अन्य कानूनों में नियंत्रण का अभिप्राय और उसकी अयोज्यता वर्तमान उद्देश्यों से बिल्कुल असंगत है। इसके अलावा, यदि दो पक्षकार भी संबंधित पक्षकार हैं तब केवल संबंध का तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र के रूप में मानने के लिए अपर्याप्त है। इस तथ्य के लिए पर्याप्त आधार होना ही चाहिए जिससे ऐसे संबंधित घरेलू उत्पादक का अपवर्जन न्यायोचित ठहराया जा सके। ऐसा साक्ष्य भी अवश्य होना चाहिए कि संबंधित घरेलू उत्पादक ने संबंध के कारण अलग तरीके से कार्य किया है अथवा पाटन की कार्यपद्धतियों में भाग लिया है और ऐसे कदम उठाए हैं जिसके फलस्वरूप स्वयं के कारण क्षति हुई है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दो पक्षकारों के बीच संबंध के फलस्वरूप याचिकाकर्ता ने एक असंबंधित उत्पादक से अलग तरीके से व्यवहार किया है।
35. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक के रूप में याचिकाकर्ता का व्यवहार ऐसा नहीं था कि उससे माना जा सके कि याचिकाकर्ता ने एक संबंधित कंपनी के तौर पर व्यवहार किया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान या विशेष संकल्पों की अपेक्षाएं वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत नहीं हैं।
36. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि रूसी उत्पादक, पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम, या पीजेएससी सिबुर होलिंग या सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच द्वारा कोई सीधे निर्यात नहीं हुए हैं। रूस से *** निर्यात एक निर्यातक *** के माध्यम से किए गए हैं, जो रूसी उत्पादक या सिबुर कंपनियों से संबद्ध नहीं है। इस बात पर विवाद नहीं है कि ***, आरएसईपीएल से संबंधित नहीं है।
37. पूर्वोक्त को देखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।
38. घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले आईआईआर का आयात किया है ताकि भारत में फीड मार्केटिंग कार्यकलाप किए जा सके। तथापि, आयात जांच अवधि से पहले हुए थे और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पहले हुए थे। तदनुसार, यह नोट किया गया है कि आवेदक को इस वजह से घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सकता है।

39. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का अनंतिम निष्कर्ष है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाएं पूरी करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना के अंतर्गत विहित सूचना का प्रकटन नहीं किया है।
 - घरेलू उद्योग ने अन्य बाजारों में घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने के लिए प्रयासों के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।
 - घरेलू उद्योग ने इस संबंध में सूचना नहीं दी है कि क्या आर एंड डी व्यय हुए थे अथवा नहीं, निर्यातों के लिए बिक्री लागत, कुल आयातों के प्रतिशत रूप में आयातों की मात्रा, उत्पादन की शुरुआत की तारीख और उसे उपभोक्ताओं से अनुमोदन मिलने की तारीख कौनसी थी।
 - घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत या +/- 10 प्रतिशत की रेंज में उसकी संख्या के घटकों का प्रकटन नहीं किया है।
 - घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता और वित्तीय विवरण के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
 - घरेलू उद्योग ने पूरी परियोजना रिपोर्ट के गोपनीय होने का दावा किया है और अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया है।
 - घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि व्यापार के स्तर / बिक्री के चैनल पर क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार करना चाहिए, परंतु उनका प्रकटन नहीं किया है।
 - यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने कीमत कटौती और क्षति मार्जिन की रेंज बताई है। तथापि, उसने प्रपत्र IVख में उसका विवरण नहीं दिया है।
 - निर्यातकों / उत्पादकों ने उत्पादित उत्पादों की सूची, विनिर्माण इकाइयों के ब्यौरे, उत्पादन प्रक्रिया, उसके बाद उत्पादन उपयोग की जानकारी दी है।
 - निर्यातकों / उत्पादकों ने घरेलू बाजार के लिए अपने वितरण चैनल और भारत को निर्यात के बारे में प्रश्नावली के अपने अगोपनीय उत्तर में विस्तार से बताया है।
 - निर्यातकों/ उत्पादकों ने घरेलू बाजार और निर्यात कीमत में समायोजनों की प्रकृति का प्रकटन किया है, परंतु वास्तविक मूल्य व्यापारिक रूप से संवेदनशील है और उसका प्रकटन नहीं हो सकता है।
 - निर्यातकों / उत्पादकों ने बताया है कि कुछ सहायक कार्यक्रम एक विक्रेता को ठेके पर दिए गए थे, परंतु उसके ब्यौरे व्यापार संवेदनशील हैं।
 - व्यापार सूचना 10/2018 में निर्यातकों / उत्पादकों को अपनी स्वामित्व संबंधी जानकारी गोपनीय रखने की अनुमति है।
 - उत्पाद कैटेलाॅग संबंधी जानकारी विशेष रूप से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है और कतिपय निर्यातक / उत्पादक उत्पाद ब्राशर को परिचालित नहीं करते हैं, क्योंकि वे संबद्ध लोगों के जरिए उत्पादों की बिक्री करते हैं।
 - कतिपय निर्यातकों / उत्पादकों ने दावा किया है कि उत्पादन प्रक्रिया, कच्ची सामग्री के नाम, आउटसोर्सिंग या उप संविदा के ब्यौरे, स्टार्ट-अप लागत समायोजन, कच्ची सामग्री के आयात, कच्ची

- सामग्री की खरीद या संबंधित पक्षकारों से सुविधाओं की खरीद, व्यापार स्वामित्व की जानकारी है और ऐसी जानकारी का खुलासा करना उनके व्यापार हितों के लिए हानिकारक होगा।
- xvi. प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों का समाधान किया है और पाटनरोधी शुल्क के संपूर्ण प्रभाव को गोपनीय नहीं माना है।
- xvii. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि कीमत कटौती और कीमत ह्रास रुझानों में नहीं दिए गए हैं और कम से कम बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतर को सूचीबद्ध रूप में देना चाहिए था, आरंभिक और अंतिम मालसूची, मूल्यह्रास, निवल स्थिर परिसंपत्तियां, कार्यशील पूंजी, आयात मूल्य, आयात कीमत, पुनः बिक्री कीमत जैसे स्वयं आयातों के व्यौरे और बाजार हिस्से को सूचीबद्ध रूप में नहीं दिया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

41. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. अन्य बाजारों में घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने संबंधी प्रयासों के साक्ष्य गोपनीयता के दावे से संबंधित नहीं है।
- ii. प्राधिकारी ने आवेदन प्रपत्र को संशोधित किया है जिसमें आवेदक के लिए आर एंड डी व्यय के व्यौरे देना अपेक्षित नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 5/2021 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा की गई व्यापार सूचना के अनुसार विशिष्ट अपेक्षाएं व्यापार सूचना 2/2018 दिनांक 1 फरवरी, 2018 के लिए हैं।
- iv. व्यापार सूचना में आवेदक के लिए क्षतिरहित कीमत के घटक और +/- 10 प्रतिशत की रेंज में उसकी संख्या बताना अपेक्षित नहीं है।
- v. यद्यपि निर्यातक यह बताने में असमर्थ रहा है कि वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख और वह तारीख जिसमें घरेलू उद्योग को उपभोक्तों का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, का प्रकटन करना क्यों अपेक्षित है। तथापि, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में प्रयोगिक उत्पादन शुरू किया था और मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पाद घोषित किया।
- vi. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में असंबद्ध उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची है जो संबद्ध वस्तु के व्यापारी या प्रयोक्ता हैं। उसने बिक्री कीमत और विभिन्न छूटों के व्यौरे भी दिए हैं। प्राधिकारी को उसी स्तर पर बिक्री कीमत की तुलना करनी चाहिए जिस पर प्राधिकारी आयात कीमत पर विचार करते हैं और आयातों पर प्रदत्त वास्तविक सीमा शुल्क पर विचार करते हैं।
- vii. घरेलू उद्योग ने रेंज रूप में कुल आयातों के प्रतिशत के तौर पर आयातों की मात्रा के साथ आवेदन का संशोधित अगोपनीय अंश, क्षमता सहित संशोधित प्रपत्र IV क, क्षति मार्जिन और वित्तीय विवरणों संबंधी सूचना प्रदान की है।
- viii. परियोजना रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय है और अनेक पूर्ववर्ती जांचों में भी इसे गोपनीय माना गया है। घरेलू उद्योग ने संशोधित अगोपनीय अंश में वास्तविक और अनुमानित सूचना के बीच तुलना के रूप में परियोजना रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया है।
- ix. चूंकि 2022-23 के वित्तीय विवरण भी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रकाशित हुए हैं इसलिए उनकी भी बाद में पूरक सूचना दी गई है।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनेक उल्लंघन किए गए हैं।
- xi. निर्यातकों / उत्पादकों ने गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश दिए बिना कतिपय प्रश्नों के पूरे उत्तर के गोपनीय होने का दावा किया है।

- xii. निर्यातकों / उत्पादकों ने ऐसा कोई विवरण नहीं दिया है जो यह स्पष्ट करें कि उत्तरों का अगोपनीय सारांश क्यों संभव नहीं है।
- xiii. निर्यातकों / उत्पादकों ने कोई औचित्य बताए बिना अपने उत्पाद कैटेलॉग के गोपनीय होने का दावा किया है।
- xiv. निर्यातकों / उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के कारणों का विवरण व्यापार सूचना 1/2013 के अंतर्गत विहित प्रपत्र के अनुसार है।
- xv. निर्यातक / उत्पादक निर्यात कीमत और कुछ मामलों में घरेलू बाजार की कीमत में दावा किए गए समायोजनों की जानकारी देने के लिए प्रयुक्त पद्धति के संबंध में कोई जानकारी देने में विफल रहे हैं।
- xvi. निर्यातकों / उत्पादकों ने वितरण के चैनल के गोपनीय होने का दावा किया है और उसका कोई औचित्य नहीं बताया है।
- xvii. विनिर्माण प्रक्रिया और प्रमुख कच्ची सामग्रियों के नाम किसी आवश्यक औचित्य के बिना गोपनीय रूप से बताए गए हैं।
- xviii. निर्यातकों / उत्पादकों ने बीजक / बिक्री पश्चात् छूट या उनके उपभोक्ताओं को दी गई वर्ष के अंत में छूटों के संबंध में सूचना नहीं दी है। तथापि, इस संबंध में, उत्तर के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- xix. निर्यातकों / उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित विनिर्माण इकाइयों संबंधी समस्त सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
- xx. प्रयोक्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद के उपयोग संबंधी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
- xxi. कुछ प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि प्रस्तावित शुल्क से प्रयोक्ता उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आएगी, परंतु इस प्रभाव की मात्रा की रेंज को भी शेयर किए बिना प्रभाव की संपूर्ण मात्रा के गोपनीय होने का दावा किया है।
- xxii. प्रयोक्ता आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर में पर्याप्त सूचना देने में विफल रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी टिप्पणियों को सुरक्षित रखा है। ऐसे अपर्याप्त उत्तर से प्रश्नावली जारी करने की पूरी प्रक्रिया निष्फल हो सकती है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 42. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।
- 43. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

44. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की ऐसे दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां संभव हों, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। घरेलू उद्योग को अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर अगोपनीय अंश को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था और घरेलू उद्योग ने उसे प्रस्तुत किया तथा प्राधिकारी ने उसे स्वीकार किया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने इस बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि इस जांच को किसी स्थापित हो रहे उद्योग के लिए वास्तविक बाधा क्यों माना जाना चाहिए।
- ii. चूंकि आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हुई है इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति या वास्तविक बाधा होने कोई आधार नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग की वेबसाइट के अनुसार उनका संयंत्र 2019 में चालू हुआ था। वह व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रक्रिया संबंधी मैनुअल में प्रदत्त वास्तविक बाधा की परिभाषा के अनुसार वास्तविक बाधा का दावा नहीं कर सकते हैं।
- iv. जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए क्षति का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- v. घरेलू उद्योग के सभी कारक विचारित संपूर्ण क्षति अवधि में सकारात्मक रहे हैं।
- vi. वित्तीय वर्ष 2021-22 और प्रस्तावित पीओआई (जनवरी, 2022 – दिसंबर, 2022) के तीन महीने साझे हैं। घरेलू उद्योग को तुलनीय कलेंडर वर्षों 2019, 2020 और 2021 तथा 2022 (पीओआई) के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।
- vii. अतिव्यापी अवधि के साथ दो वर्षों की तुलना से सही तस्वीर का पता नहीं चल सकता है। अतिव्यापी अवधियों के बिना केवल समान अवधि की तुलना से घरेलू उद्योग को क्षति का उचित आकलन हो पाएगा।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

46. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. एक्सोनमोबिल द्वारा किया गया अनुरोध काफी देरी से है, क्योंकि उसकी अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2023 थी जबकि इसे 9 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे अनुरोध को अस्वीकृत कर देना चाहिए। पैनल और अपीलीय निकाय ने अनेक रिपोर्टों में यह माना है कि जांचकर्ता प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए समय पश्चात् अनुरोध को अस्वीकृत कर सकते हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई। वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से प्रदत्त विस्तृत सूचना के आधार पर और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद शुरू की गई कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से जानकारी मांगी गई थी और आवेदक ने उसे प्रस्तुत किया है।
48. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) की है और क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021 -22 की अवधि शामिल है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3क) के अनुसार है।
49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की जांच की है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी की जांच करने के लिए स्थापित हो रहा उद्योग नहीं माना है।
50. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि पक्षकारों ने देरी से अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जबकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह अनुरोध वास्तव में काफी देरी से किए गए हैं और यह अनुचित है कि हितबद्ध पक्षकार इन समय सीमाओं की अनदेखी करते हुए कार्रवाई के ऐसे अंतिम स्तर पर अनुरोध प्रस्तुत करें। फिर भी प्राधिकारी ने इन अनुरोधों पर विचार करना उचित समझा है। प्राधिकारी ऐसे पक्षकारों के आचरण को अनुचित मानते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों के लिए लागत संबंधी आंकड़ों की सूचना या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।
 - ii. घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह संबद्ध देशों से लागत संबंधी सूचना प्राप्त करने में असमर्थ क्यों रहा था।
 - iii. घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य पाटनरोधी करार के अनुच्छेदों 5.2(iii), अनुच्छेद 2.2, और अनुच्छेद 2.2.2 का उल्लंघन करता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के आंकड़ों पर भरोसा किया है और विभिन्न घरेलू उद्योगों के बीच विनिर्माण, एसजी और ए तथा लाभ में अंतर पर विचार नहीं किया है। किसी तर्क संगत स्पष्टीकरण के बिना संबद्ध देशों के लिए केवल एक परिकलित सामान्य मूल्य दिया गया है।
 - iv. घरेलू उद्योग सऊदी अरब से प्राप्त निर्यात कीमत में किए गए समायोजनों का कोई साक्ष्य नहीं दिया है और चीन तथा सऊदी अरब के लिए किसी औचित्य के बिना समान समुद्री भाड़े के समायोजन का प्रयोग किया है।
 - v. रूस को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए जैसे कि हाल के जांचों में यूएसए और कनाडा ने किया है। यूरोपीय आयोग भी रूस की अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में भारी गड़बड़ियों को देखता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

52. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के नियम 7 के अनुबंध I के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत जमा लाभ पर विचार करते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- iii. संबद्ध देशों के लिए घरेलू बिक्री के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चूंकि अधिकांश संबद्ध देश संबद्ध वस्तु के निवल निर्यातक हैं। इसलिए संबद्ध देशों में आयात कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- iv. तदनुसार, घरेलू उद्योग ने वैकल्पिक आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है। घरेलू उद्योग ने उसके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध देशों में उत्पादन लागत जमा लाभ से संबंधित उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
- v. निर्यात कीमत को प्रकाशित डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों से अपनाई गई प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु किए गए आवश्यक समायोजनों के बाद निर्धारित करना चाहिए।
- vi. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

53. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- क. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड
- ख. एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम

ग.	एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी
घ.	एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड
ड.	अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी
च.	सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच
छ.	पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्लिंग
ज.	पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम
झ.	ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ

छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

55. प्राधिकारी चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

8. (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को

दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

56. जांच शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानते हुए कार्रवाई की थी। जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और यह जानकारी देने की सलाह दी थी कि क्या सामान्य मूल्य के निर्धारण में उनके आंकड़ों / सूचना को अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में, संगत सूचना देने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य / पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं।

57. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

“(क) जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सव्सीडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन. गण. के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में यथा उल्लिखित मान्यता के खंडन के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
60. यह नोट किया गया कि एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में गैर-अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की गणना हेतु तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर; (ख) ऐसी किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को पहले प्रतिनिधि देश की कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे देशों से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।
61. आवेदन प्रस्तुत करने के समय घरेलू उद्योग ने बताया था कि चीन के लिए सामान्य मूल्य समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजन के बाद परिकलित किया जाना चाहिए।
62. यह नोट किया जाए कि पहले और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना / साक्ष्य नहीं दिया गया है। किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे किसी देश का सुझाव नहीं दिया है जिसे

सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उचित तीसरा देश माना जा सके। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में उत्पादित संबद्ध वस्तु की कीमत या परिकलित मूल्य के संबंध में किसी पक्षकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

63. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या भारत में उचित तीसरे देश से कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया था कि संबद्ध आयात भारत में कुल आयातों का 97 प्रतिशत हैं। संबद्ध देशों के अलावा, किसी देश ने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद की तर्कसंगत मात्रा का निर्यात नहीं किया है। अन्य संबद्ध देश से आयात कीमत पहले से कथित पाटित कीमत है। इसके मद्देनजर भारत को किसी उचित तीसरे देश से निर्यातों की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
64. उक्त सूचना / साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति अर्थात् भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।
65. इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की ईष्टतम उत्पादन लागत पर विचार किया है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

66. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया गया है। इसके अलावा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और कमीशन के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं।

सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य

एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")

67. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल") सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री के अभाव में प्राधिकारी ने उत्पादक की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में विचार किया है।
68. प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ कारखानाद्वारा उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ लाभ मार्जिन पर पूरी कंपनी के लाभ के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

69. सिंगापुर से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत

एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल"), एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड ("एमआरएफ एसजी") और सीआईईईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("सीआईईईएल")

70. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। ईएमएपीपीएल ने असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और असंबंधित व्यापारी अर्थात् एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड (एमआरएफ एसजी) और सीआईईईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सीआईईईएल) के माध्यम से निर्यात किया है। एमआरएफ एसजी और सीआईईईएल ने भारत में अपनी संबंधित कंपनियों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अलावा, ईएमएपीपीएल की भारत में एक संबंधित कंपनी अर्थात् एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) है। तथापि, सीआईईईएल विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण या खरीद या बिक्री में शामिल नहीं है। सीआईईईएल भारत में एक सेवा कंपनी के रूप में कार्य करती है और विपणन सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक (ईएमसीएपी), ईएमएपीपीएल का एक डिवीजन है। यह विचाराधीन उत्पाद की खरीद और बिक्री में शामिल है और उसने भारत और अन्य देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, ईएमएपीपीएल ने ईएमसीएपी के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। जांच अवधि के दौरान ईएमएपीपीएल ने निम्नलिखित वितरण चैनलों के जरिए वस्तु का निर्यात किया है।

ईएमएपीपीएल → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

ईएमएपीपीएल → एमआरएफ एसजी → भारत में संबंधित उपभोक्ता

ईएमएपीपीएल → सीआईईईएल → भारत में संबंधित उपभोक्ता

71. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान ईएमएपीपीएल *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिसमें से *** एमटी भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे और *** एमटी असंबंधित व्यापारी के जरिए निर्यात किया गया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा, ऋण लागत, कमीशन, भंडागार और भारत को सीधी बिक्री के लिए संबंधित लागतों हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं। भारत को व्यापारियों के माध्यम से निर्यातों के लिए ऋण लागत और बैंक प्रभार हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं। निर्यातक ने *** से निर्यातों के लिए भारत को किए गए निर्यातों पर घाटे के लिए समायोजनों का दावा किया है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ इसे स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की है।

सिंगापुर से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

72. सिंगापुर से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य

अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")

73. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या") सऊदी अरब में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केम्या ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ उत्पादन लागत पर विचार किया है।

74. प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ कारखानाद्वारा उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ लाभ मार्जिन पर पूरी कंपनी के लाभ (***) के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सऊदी अरब में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

75. सऊदी अरब से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

सऊदी अरब के लिए निर्यात कीमत

अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या"), एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, ("ईएमपीसी") और एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ("ईएमसीएपी"), सीआईईईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("सीआईईईएल")

76. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या") सऊदी अरब में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। केम्या ने अपने संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् एक्सॉनमोबिल - एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम (ईएमपीसी) और एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर (ईएमसीएपी) के लिए भारत को निर्यात हेतु विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। ईएमपीसीएपी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता वस्तु का निर्यात किया है। ईएमपीसी ने केम्या से वस्तु को खरीदा है और ईएमसीएपी को बेचा है जिसे सीआईईईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सीआईईईएल एसजी) को वस्तु की पुनः बिक्री की गई है जिसे भारत में उसकी संबंधित कंपनी को निर्यात किया गया है।

केम्या → ईएमपीसी → ईएमसीएपी → सीआईईईएल एसजी → भारत में संबंधित कंपनियां
केम्या → ईएमसीएपी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

77. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान केम्या ने *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत, समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, भंडार लागत, पट्टन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत को अंतिम रूप से निर्धारित किया है।

सऊदी अरब से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

78. सऊदी अरब से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

रूस के लिए सामान्य मूल्य

79. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रूस को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वह कानूनी प्रावधान नहीं बताया है जिसके अंतर्गत रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाना चाहिए और न ही साक्ष्यों के साथ यह सिद्ध किया है कि संबद्ध वस्तु के संबंध में रूस के प्रचालन लागत या कीमत संरचना के बाजार सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं। यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि यूएसए और कनाडा ने रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है। तथापि, उन्होंने वर्तमान विचाराधीन उत्पाद के संबंध में यह निष्कर्ष नहीं निकाला है। रिकार्ड में साक्ष्यों के अभाव में रूस को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है।

पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम (एनकेएनएच)

80. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम ("एनकेएनएच") रूस में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एनकेएनएच ने पीओआई के दौरान घरेलू बाज़ार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है। जबकि भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी पीसीएन वार आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण करते हैं। यदि लाभ कमाने वाले सौदे कुल बिक्री के 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं तो सभी सौदों को घरेलू बिक्री में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है और यदि लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम होते हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया जाता है। वर्तमान मामले में चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू बिक्रियां लाभप्रद हैं इसलिए सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। कंपनी ने बीमा और अंतर्देशीय परिवहन के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। इस प्रकार एनकेएनएच के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य पीओआई के लिए परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

रूस में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

81. रूस से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम ("एनकेएनएच"), सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच ("एसआई जीएमबीएच") और पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्लिंग ("सिबुर होल्लिंग") और ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ ("ट्रिगॉन")

82. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम (एनकेएनएच) रूस में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एनकेएनएच ने रूस में असंबंधित व्यापारियों - सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच (जीएमबीएच) और पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्लिंग (एसआईबीयूआर होल्लिंग) के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिन्होंने आगे इस वस्तु को संयुक्त अरब अमीरात में एक असंबंधित निर्यातक - ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ (ट्रिगॉन) को वस्तु बेची है जिसने विचाराधीन उत्पाद को भारत में असंबंधित उपभोक्ता को बेचा है।

एनकेएनएच → □ सिबुर होल्लिंग → □ एसआई जीएमबीएच → □ ट्रिगॉन → □ भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
 एनकेएनएच → □ एसआई जीएमबीएच → □ ट्रिगॉन → □ भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

83. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान ट्रिगॉन के जरिए एनकेएनएच ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। मेटल कंटेनर, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, लागत, अन्य लॉजिस्टिक प्रभार, बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन और भंडारण के लिए दावा किए गए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत को अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

रूस से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

84. रूस से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

यूएसए के लिए सामान्य मूल्य
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी")

85. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी") यूएसए में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। ईएमपीएससी ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है। जबकि भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी पीसीएन वार आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण करते हैं। कंपनी ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और व्यापार समायोजन के स्तर के लिए कीमत समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। इस प्रकार ईएमपीएससी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य पीओआई के लिए परिकल्पित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

यूएसए में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

86. यूएसए से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

यूएसए के लिए निर्यात कीमत

एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी"), एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ("ईएमसीएपी"), एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड ("एमआरएफ एसजी") और सीआईईईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("सीआईईईएल")

87. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी") यूएसए में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। ईएमपीएससी ने अपने एक संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात् एक्सॉनमोबिल - एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर (ईएमसीएपी) ने भारत को निर्यातों के लिए और एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड (एमआरएफ एसजी) और सीआईईईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सीआईईईएल) को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। जिसने भारत में अपनी असंबंधित कंपनियों को वस्तु बेची है।

ईएमपीएससी → ईएमसीएपी → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

ईएमपीएससी → एमआरएफ एसजी → भारत में संबंधित कंपनियां

ईएमपीएससी → सीआईईईएल → भारत में संबंधित कंपनियां

88. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान ईएमसीएपी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, भंडारण व्यय, बीमा, ऋण लागत, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत को अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

यूएसए से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

89. यूएसए से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

छ.3.2 पाटन मार्जिन

वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	50-60%
सिंगापुर					
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड/ एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	25-35%
कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%
रूस					
पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम	***	***	***	***	30-40%
कोई अन्य	***	***	***	***	35-45%
चीन					
कोई	***	***	***	***	10-20%

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

90. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में उत्पादकों / निर्यातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- सिबुर की कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का पाटन सभी संबद्ध देशों आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को एकत्रित करके अन्य संबद्ध देशों से क्षतिरहित आयातों को समाप्त करने का प्रयास है और याचिकाकर्ता को बाजार को एकाधिकारी बनाने की अनुमति देता है। प्राधिकारी को अपने क्षति विश्लेषण में रूस से संबद्ध आयातों को अलग-अलग करना चाहिए।
- सिबुर ने याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की शुरुआत के समय तक कम कीमत पर जानबूझकर निर्यात किया है और उसके बाद याचिकाकर्ता के उत्पादन शुरू करने पर निर्यात कम कर दिए हैं। याचिकाकर्ता कम कीमत पर रूस से विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा था और 2018-19 और 2019-20 में भारतीय बाजार में बेच रहा था।
- रूस से आयातों को क्षति विश्लेषण के लिए अलग करना चाहिए, क्योंकि रूस से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति अलग है क्योंकि याचिकाकर्ता रूस के एक प्रमुख उत्पादक / निर्यातक से संबंधित है,

रूस के निर्यातकों द्वारा रखी गई कीमत गड़बड़ी वाली है क्योंकि वह एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था है। रूस की आयात कीमत 2020-21 को छोड़कर संबद्ध देशों में से सबसे कम रही है, रूस भारत को विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। रूस से आयातों की कीमत में अन्य देशों की कीमत वृद्धि की तुलना में काफी कम वृद्धि हुई है। रूस से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है जबकि अन्य देशों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

- iv. संबद्ध देशों से आयात में समग्र या उत्पादन और खपत की दृष्टि से निरंतर गिरावट आई है। तुलना करने पर मांग और याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- v. चीन से आयातों में वृद्धि हुई है। रूस के मूल के उत्पाद को चीन से निर्यातित किया गया है और प्राधिकारी इसकी जांच कर सकते हैं।
- vi. कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है जिससे बेहतर मार्जिन मिला है।
- vii. घरेलू उद्योग को कीमत कटौती से नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा, अनुमानित कीमत से कथित पाटित आयातों की कीमत की तुलना से अनुच्छेद 3.2 की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है। घरेलू उद्योग ने अनुमानित कीमत का आधार नहीं दिया है और यह नहीं बताया कि क्या यह अनुमानित कीमत तर्कसंगत रूप से संबद्ध वस्तु की औसत कीमत के बराबर है।
- viii. घरेलू बिक्री के बिक्री कीमत न तो कम है और न ही न्यून है, बल्कि क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ रही है।
- ix. सऊदी अरब से आयातों की पहुंच कीमत में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और वह वैश्विक बाजार के कीमत रुझानों के समान है।
- x. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जबकि इसी के साथ संबद्ध आयातों और अन्य आयातों में गिरावट आई है।
- xi. याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि एचआईआईआर की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, आबद्ध खपत, घरेलू बिक्री, बिक्री कीमत और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता की मालसूची में गिरावट आई है।
- xii. क्षमता उपयोग के आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि आबद्ध और व्यापारिक उत्पादन दोनों के लिए क्षमता पर विचार किया गया है। जबकि केवल व्यापारिक उत्पादन पर विचार करना होता है। इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उत्पादन में अलग विशेषता का उत्पाद शामिल है।
- xiii. केयर रेटिंग्स की प्रेस विज्ञप्ति दर्शाती है कि याचिकाकर्ता ने 2023-24 की पहली तिमाही में पूरी क्षमता पर प्रचालन किया है।
- xiv. औसत मालसूची में उच्चतर घरेलू बिक्री मात्रा और निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण संपूर्ण अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।
- xv. उत्पादकता सूचकांक (प्रति दिन, कर्मचारी और प्रति दिन प्रति कर्मचारी) में पूरी अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।
- xvi. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है।
- xvii. याचिकाकर्ता की प्रति इकाई ब्याज लागत में गिरावट आई है। यद्यपि याचिकाकर्ता के लाभ और हानि विवरण में कोई ब्याज लागत सूचित नहीं की गई है। तथापि, याचिका में उसका उल्लेख है।
- xviii. चूंकि कुल ब्याज लागत अस्थिर रही है। इसलिए पूंजीगत संरचना अब तक स्थिर नहीं हुई है जो किसी भी शुरूआती प्रचालन के लिए आम बात है।
- xix. याचिकाकर्ता को क्षति उच्च स्टार्ट-अप लागतों के कारण हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले निवेश करना पड़ा था।
- xx. याचिकाकर्ता को स्टार्ट-अप लागतों और प्रचालन के आरंभिक वर्षों में मूल्यह्रास के कारण घाटा उठाना पड़ा है और क्षति अवधि के दौरान यह घाटा कम हो गया है।

- xxi. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लाभ और घाटा विवरण के अनुसार याचिकाकर्ता को 2019-20 के दौरान लाभ हुआ था जबकि वह केवल आईआईआर का उत्पादन कर रहा था। इस प्रकार प्रस्तुत आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।
- xxii. याचिकाकर्ता ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया है क्योंकि कच्ची सामग्री की कोई खपत नहीं हुई है और इस प्रकार ऐसी अवधि में किसी घाटे के लिए विनिर्माण प्रचालन जिम्मेदार नहीं है।
- xxiii. प्राधिकारी आरआईएल और याचिकाकर्ता के बीच कच्ची सामग्री की खरीद संबंधी करार का सत्यापन कर सकते हैं और यह जांच कर सकते हैं कि क्या यह खरीद दूरवर्ती आधार पर की गई थी।
- xxiv. याचिकाकर्ता लगातार संपत्ति संयंत्र और उपकरण में निवेश कर रहा है इसलिए उसने भारतीय बाजार में सकारात्मक रुझान की परिकल्पना की होगी।
- xxv. याचिकाकर्ता के अनुरोधों के विपरीत उसे निर्यात के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा था क्योंकि निर्यातों में 2020-21 के बाद गिरावट आई है।
- xxvi. याचिकाकर्ता ने अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि की है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या और वेतन लागत में गिरावट आई है जबकि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- xxvii. वाणिज्यिक उत्पादन से पहले एक नयी कंपनी जो जांच अवधि के अंत तक अनुमोदन के लिए उपभोक्ताओं को नमूने भेजती है और इस कार्य में 12-18 महीने लगते हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक उत्पादन करने में देरी उपभोक्ता के अनुमोदन के लंबी प्रक्रिया के कारण हुई है।
- xxviii. क्षति याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सीमित रेंज के कारण भी हो सकती है। याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित किस्मों के लिए भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता है।
- xxix. याचिकाकर्ता ने ऐसे समय पर उत्पादन शुरू किया है जब ब्यूटाइल रबड़ का वैश्विक व्यापार आर्थिक मंदी में था। वैश्विक रूप से क्षमता अधिक थी जिससे विश्व भर में बाजारों में कीमतें कम थीं। 2013 से वैश्विक क्षमताओं में वैश्विक मांग की तुलना में अधिक वृद्धि हुई थी।
- xxx. 2020 से वैश्विक टीएफई लागतों में वृद्धि हुई है परंतु ब्यूटाइल रबड़ की कीमतों में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। प्राधिकारी को वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के क्षतिकारी प्रभाव को अलग रखना चाहिए और उसमें अंतर करना चाहिए।
- xxxi. याचिकाकर्ता को क्षति को कोविड-19 के कारण हुई जिससे उत्पाद की आपूर्ति, उत्पाद की मांग में रुकावट आई है और याचिकाकर्ता के वाणिज्यिक प्रचालनों में देरी हुई है। याचिकाकर्ता का संयंत्र मार्च 2020 से मई 2020 तक बंद रहा था। जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता वैश्विक महामारी से रिकवरी की प्रक्रिया में था।
- xxxii. याचिकाकर्ता की मूल्यहास की लागत के साथ उच्च स्थिर लागतों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के समय मानकीकृत किया जाना चाहिए।
- xxxiii. घरेलू उद्योग ने कोई साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना अतर्कसंगत रूप से उच्च क्षतिरहित कीमत का आरोप लगाया है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

91. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. उत्पादन की कुल अवधि में घरेलू उद्योग को *** दिनों या लगभग *** महीनों की अवधि के लिए संयंत्र बंद करना पड़ा है।
- ii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने फरवरी 2021 में परीक्षण प्रक्रिया में ईष्टतम उत्पादन हासिल किया है। तथापि, उसे वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा को रोकना पड़ा था।

- iii. बाजार में घरेलू उद्योग की मौजूदगी के बावजूद आयातों की मात्रा अधिक बनी रही और देश में कुल आयातों का 97 प्रतिशत रही थी।
- iv. कीमत कटौती दो उपभोक्ताओं को छोड़कर सकारात्मक है।
- v. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत से काफी कम है। चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता है इसलिए वह आयात कीमत से उच्चतर कीमत नहीं ले सकता है।
- vi. कुछ निर्यातक बीजक पश्चात् छूटों की अनुमति देते हैं। इसके परिणामस्वरूप सीआईएफ कीमत को अधिक बताया गया है।
- vii. कुछ प्रयोक्ताओं ने संबद्ध देशों में अपनी संबद्ध खरीद कंपनियां स्थापित की हैं जिन्होंने घरेलू रूप से वस्तु की खरीद की है और उसके बाद उच्चतर कीमत पर आपूर्ति की है।
- viii. कीमत कटौती को महीना-वार तुलना के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
- ix. उस कीमत जिस पर समान महीने में समान उपभोक्ता द्वारा संबद्ध वस्तु खरीदी गई है, में भारी अंतर है। कम कीमत वाले आयातों ने कीमतों का एक बेंचमार्क निर्धारित किया है जिसकी उपभोक्ता घरेलू उद्योग से उम्मीद करते हैं।
- x. यद्यपि घरेलू उद्योग ने नकद घाटों में कटौती की है। तथापि, निर्यातक 45-60 दिनों की लंबित क्रेडिट अवधि दे रहे हैं जिसे पहुंच कीमत के निर्धारण में समायोजित किया जाना चाहिए।
- xi. यद्यपि इस पर प्रश्न उठाया गया है कि घरेलू उद्योग आयातों की कीमत से कम कीमत क्यों प्रभावित कर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का केवल एक छोटा हिस्सा घरेलू बाजार में शेयर करने में सक्षम रहा है।
- xii. चूंकि संबद्ध पक्षकारों से सौदे हुए हैं इसलिए कीमत कटौती क्षति मार्जिन को उत्पादक की कीमतों के आधार पर निर्धारित करना चाहिए और न कि निर्यातक के आधार पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रयोक्ता उस कीमत पर कीमत की सौदेबाजी करते हैं जिस पर संबद्ध निर्यातक उत्पादक से उत्पाद को खरीद रहा है।
- xiii. यूएसए के मामले में थोड़ी मात्रा को छोड़कर सभी सौदे संबंधित पक्षकार के सौदे हैं।
- xiv. आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमत वृद्धि नहीं कर पाया और उसे लागत से कम पर बिक्री करनी पड़ी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को ऐसी कीमत पर बेच रहा है जो अनुमानित कीमत से काफी कम है।
- xv. यह भलिभांति स्वीकृत है कि घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति या कीमत क्षति हो सकती है। इन दोनों की मौजूदगी आवश्यक नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग अपना अनुमानित उत्पादन और क्षमता उपयोग वर्तमान जांच अवधि के अंत तक हासिल करने में असमर्थ रहा था।
- xvii. घरेलू उद्योग का *** महीनों की अवधि के भीतर 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग हासिल करने का अनुमान था। इसके बजाय, *** महीनों के लिए उत्पादन करने के बाद भी उसका क्षमता उपयोग केवल *** प्रतिशत है।
- xviii. घरेलू उद्योग आयातों के कारण 910 दिनों तक वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने में असमर्थ रहा था।
- xix. क्षमता उपयोग केवल *** प्रतिशत की घरेलू बिक्रियों पर आधारित है।
- xx. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग से अधिक क्षमता है। तथापि, उसका बाजार हिस्सा *** प्रतिशत रहा है।
- xxi. घरेलू उद्योग ने निर्यात का कोई अनुमान नहीं लगाया है। इसके बावजूद उसे अपने उत्पादन के *** प्रतिशत का निर्यात करना पड़ा है।

- xxii. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान *** करोड़ रुपये का संचयी वित्तीय घाटा हुआ है। यद्यपि उसने प्रचालन के *** में भारी लाभ का अनुमान लगाया था। तथापि उसे घाटा और नकारात्मक ईबीआईटीए लगातार झेलना पड़ा है।
- xxiii. नकद लाभ और निवेश पर आय में इस अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है।
- xxiv. घरेलू उद्योग की वास्तविक पीबीआईटी *** प्रतिशत आय के लिए आवश्यक पीबीआईटी से 122 प्रतिशत कम रहे हैं।
- xxv. प्रचालन की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग न लाभ, न हानि की स्थिति में भी नहीं रहा है।
- xxvi. वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग को न केवल वर्तमान क्षमता उपयोग बल्कि प्रचालन के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग के लिए भी भारी घाटा होगा।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

92. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और विपरीत तर्कों की जांच की है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का उल्लेख करता है।
94. आर आई एल और आर एस ई पी एल के बीच तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रारंभिक निर्धारण और उपलब्ध कराई गई सूचना के लंबित सत्यापन के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी संबंधित पार्टी सौदे नजदीकी कीमतों (आर्म्स लैंथ प्राइज) पर किए गए हैं, उचित रूप से संतुष्ट होने के पश्चात घरेलू उद्योग के आंकड़ों को स्वीकार किया गया है।
95. वैश्विक आर्थिक विकास और अधिक क्षमताओं के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है। यदि वैश्विक अतिरिक्त क्षमताएं पाटन का कारण हैं और यदि यह भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, तो ऐसे पाटन के विरुद्ध उपचार की मांग करना उद्योग के लिए उचित है। घरेलू उद्योग को क्षति का घरेलू बाजार के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। अतिरिक्त क्षमता या कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन भारत में पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति के संलग्न होने के लिए निर्यातकों को औचित्य प्रदान नहीं करता।
96. घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में ट्रायल उत्पादन आरंभ किया और मार्च, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। इसलिए, 2019-20 के लिए आंकड़े, सितंबर, 2019 से आरंभ कर मार्च, 2020 तक के ट्रायल उत्पादन से संबंधित हैं।

ज.3.1 क्षति का संचयी आकलन

97. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-III में यह व्यवस्था की गई है कि यदि, जहां किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देश से किया जा रहा है और वे एक ही समय एक साथ पाटनरोधी जांच के

अधीन हैं, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि यह निर्धारित होता है कि:-

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सत्यापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां पृथक देशों से निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार होंगे।
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :-

- क. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन की मात्रा नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा पृथक-पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

99. प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के संबंध में, संबद्ध देशों से आयात मात्रा की प्रवृत्ति दर्शाती है कि जहां रूस और यू. एस. ए. से आयातों में गिरावट आई है, सिंगापुर से आयातों में वर्ष 2020-21 और 2021-22 में गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि में इस में वृद्धि हुई। सउदी अरब और चीन जन. गण. से आयातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, भारत में घरेलू उत्पाद के आरंभ होने के साथ भारत में कुल आयात मात्रा में कमी आई है। आयातों की कीमत के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में सभी संबद्ध देशों से आयात कीमतों ने समान प्रवृत्ति दर्शायी है। क्षति अवधि में विभिन्न संबद्ध देशों से कीमतों की पद्धति में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों की तुलना में रूस से आयातों की पहुंच कीमत अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अपीलिय निकाय ने ई.सी. ब्राजील से मालेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में नोट किया है कि यह निर्धारण करने के लिए प्रत्येक देश से मात्रा और कीमत विश्लेषण का कोई मौजूदा संदर्भ नहीं है कि क्या आयातों का संचयन किए जाने की कोई जरूरत है। अतः प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच में आयातों का संचयी मूल्यांकन किया जाना उचित है।

100. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि संचित रूप से घरेलू उद्योग पर चीन जन.गण., रूस, सिंगापुर, सउदी अरब और यू.एस.ए. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना उचित है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

101. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों और आयातों की घरेलू विक्रियों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आवेदक की विक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	510	594	816
संबद्ध आयात	मी.ट.	44,860	36,272	29,808	19,110
अन्य आयात	मी.ट.	1,531	566	621	361
खपत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	122	124

102. यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में मांग में वृद्धि हुई थी और फिर 2021-22 में इसमें मामूली गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान मांग में फिर से वृद्धि हुई है।

(ख) **संबद्ध देशों से आयात मात्रा**

103. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या पाटित आयातों में, या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डी.जी. सिस्टम्स से अधिप्राप्त सौदे-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	मी. टन	44,860	36,272	29,808	19,110
सिंगापुर	मी. टन	13,546	6,094	6,830	11,291
रूस	मी. टन	25,847	18,642	14,014	3,104
सऊदी अरब	मी. टन	1,299	1,577	1,790	1,903
यू एस ए	मी. टन	4,168	9,943	6,939	1,563
चीन जन. गण.	मी. टन	0	17	234	1,249
अन्य देश	मी. टन	1,531	566	621	361
कुल आयात	मी. टन	46,391	36,838	30,428	19,470
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात :					
कुल आयात	%	97%	98%	98%	98%
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	55	34
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	17	8

104. यह देखा गया कि:-

- क. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में कमी आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा नए उत्पादन को आरंभ करने का परिणाम है। घरेलू उद्योग ने 1.20 लाख मी.टन की क्षमता के साथ सितंबर, 2019 में उत्पादन का आरंभ किया और मार्च, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन किए जाने की घोषणा की।
- ख. 2019-20 की अवधि के दौरान आयात भारत में खपत के ***% से अधिक के लिए उत्तरदायी है किन्तु जांच की अवधि में इसमें ***% की गिरावट आई। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप है। फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य की तुलना में आयातों का हिस्सा उच्च बना हुआ है कि इस अवधि में *** मी.टन की मांग की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग ने *** मी. टन का उत्पादन किया है और भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी।
- ग. उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा क्षति अवधि के आरंभ में ***% से अधिक थी। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने के कारण, इसमें गिरावट आई है। तथापि, यह नोट किया गया है कि भारत में स्थापित क्षमताओं पर विचार करते हुए, ऐसा उत्पादन अभी भी महत्वपूर्ण है।
- घ. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा कुल आयातों के 98 प्रतिशत तक बढ़ गया।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल क्षति अवधि के दौरान (सितंबर, 2019 में) ही उत्पादन प्रारंभ किया। इसलिए, यह सामान्य बात है कि आयातों ने क्षति अवधि में गिरावट देखी है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वृद्धिकारक रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग किया है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और ग्राहकों को माल बेचने के लिए, महत्वपूर्ण वित्तीय हानियों पर माल की बिक्री की है इसलिए, जहां घरेलू उद्योग ने मात्रा में वृद्धि प्राप्त की है, परिणामस्वरूप लाभप्रदता के संबंध में उन्हें हानि मिली है।
106. इन अनुरोधों के संबंध में कि चीन से आने वाले आयात रूस के मूल के उत्पाद हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल ऐसे सौदों के बारे में विचार किया है जहां आयात सौदों में मूलता के देश को चीन के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

107. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती।

(क) कीमत कटौती

108. कीमत कटौती को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलियों की जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना करके निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	पीओआई
बिक्री कीमत	अम. डॉ./ मी. टन	***
पहुंच कीमत	अम. डॉ./ मी. टन	2,541
कीमत कटौती	अम. डॉ./ मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***
प्रवृत्ति	रेंज	नकारात्मक

109. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती ऋणात्मक है। तथापि, डी. आई. के एक नए प्रवेशी के रूप में आरोप लगाता है कि घरेलू उद्योग को निम्न कीमतों पर आयातों की मात्रा के साथ निरपवाद रूप से प्रतियोगिता करनी होगी। तदनुसार, चाहे कुछ आयात उच्च कीमतों पर किए गए हैं, यह निम्न कीमतों पर आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को नकारता नहीं है।
110. आवेदक ने इस बात पर जोर दिया है कि समान समय पर समान क्रयकर्ता द्वारा किए गए आयातों की कीमतों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्षकारों में लेन देन हुए हैं जिसके कारण कीमतें प्रतिनिधिक नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में कीमत कटौती नकारात्मक है। प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की जरूरत है कि क्या आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं या उन का न्यूनीकरण कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव को समाप्त करने के लिए समान समय पर कीमत कटौती और ह्रास/न्यूनीकरण, दोनों ही उपस्थित हों।

(ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

111. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा सामान्य स्थिति में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की निम्नानुसार तुलना की गई थी -

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	₹/ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	83	100
बिक्री कीमत	₹/ मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	122	153
पहुंच कीमत	₹/ मी.ट.	135,678	128,882	153,915	205,267
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	113	151

112. यह देखा गया है कि जहां 2020-21 और पी ओ आई के बीच बिक्रियों की लागत में *** रूपए प्रति मी.टन वृद्धि हुई है, वहीं बिक्री कीमत में केवल *** रूपए प्रति मी. टन की वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस संबंध में आधार वर्ष के साथ तुलना करना गलत है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत का प्रथम उत्पादन था।

ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

113. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

114. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी. टन	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	171	171
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	381	516
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	214	222	301
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	510	594	816
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	611	357	212
आबद्ध खपत	मी. टन	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	646	1,315
ऐसे दिनों की संख्या जब उत्पादन बंद था	दिन	***	***	***	***

115. यह देखा गया है कि -

क. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, इस अवधि में उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की बिक्रियों में सुधार हुआ है।

- ख. जहां घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है, यह देखा गया है कि यह उल्लेखनीय रूप से उत्पादन से कम थी। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि उठाकर अपने उत्पादन के महत्वपूर्ण भाग को निर्यात करने पर विवश होना पड़ा है।

विवरण	इकाई	पी ओ आई
बिक्रियों की लागत (निर्यात)	₹/ मी.ट.	***
बिक्री कीमत (निर्यात)	₹/ मी.ट.	***
लाभ/(हानि)	₹/ मी.ट.	(***)

- ग. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि यदि केवल घरेलू बिक्रियों के लिए उपयोग की गई क्षमता पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों के प्रति अपनी क्षमताओं के केवल ***% का ही उपयोग किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग केवल निर्यात बिक्रियों को प्रभावित कर और आवद्ध खपत के परिणाम स्वरूप ही अपने क्षमता उपयोग में सुधार करने में सक्षम है।
- घ. यह ***% के क्षमता उपयोग के विपरीत है, जिसे घरेलू उद्योग प्राप्त कर सकता था यदि इसने देश में मांग के लिए आपूर्ति की होती साथ ही वर्तमान निर्यात बिक्रियां भी की होतीं।
- ड. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान *** दिनों के लिए और जांच की अवधि के दौरान *** दिनों के लिए उत्पादन बंद करना पड़ा था। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह शट डाउन उत्पाद के पाटन तथा लगातार हानियों के कारण था। ऊपर दी गई तालिका क्षति अवधि में शट डाउन की अवधि को दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि जहां अवधि के आरंभ में शट डाउन नई उत्पादन सुविधाओं के कारण हो सकता है, यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण अवधि के गुजर जाने के बावजूद यह जांच की अवधि तक जारी रहा।
116. यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षमता उपयोग को घरेलू उद्योग के व्यापारिक और आवद्ध उत्पादन, दोनों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है। अतः क्षमता और क्षमता उपयोग, दोनों घरेलू उद्योग द्वारा कुल उत्पादन के लिए हैं। यह भी नोट किया गया है कि कल्पना से परे (ऑफ-स्पेक) उत्पादन की मात्रा केवल उत्पादन आरंभ किए जाने की प्रारंभिक अवधि में थी और जांच की अवधि के दौरान काफी कम थी।
117. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने पीओआई के पश्चात की अवधि में पूरी क्षमता पर प्रचालन किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति की जांच की है और घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री की है। इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों प्राधिकारी को वर्तमान जांच में पी ओ आई के पश्चात की अवधि पर विचार करना चाहिए।
118. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है घरेलू उद्योग को कोविड-19 के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि 2022-23 है और इस अवधि के दौरान कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) बाजार हिस्सा

119. घरेलू उद्योग और आयातों के बाजार हिस्से को नीचे तालिका में दर्शाया गया था :-

बाजार हिस्सा	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	POI
घरेलू उद्योग	%- सूचीबद्ध	100	391	473	636
संबद्ध आयात	%- सूचीबद्ध	100	65	55	35
अन्य आयात	%- सूचीबद्ध	100	33	33	33

120. यह नोट किया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, इसके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयातों का बाजार के लगभग ***% के लिए

उत्तरदायी होना जारी है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के बड़े भाग का प्रयोग करने में सक्षम होता तो यह आबद्ध खपत और निर्यात विक्रियों के लिए उत्तरदायी होने के बाद भी संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता था। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से का केवल ***% प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह केवल उठाई गई हानियों की कीमत पर ही अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम हुआ है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पी ओ आई के अंत तक व्यापार के आरंभ किए जाने के बाद से इसकी संचयी वित्तीय हानियां *** करोड़ रूपए थीं।

(ग) मालसूची

121. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतशेष मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	184	124	82

122. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में कमी आई है। यह देखा गया है कि यह इस कारण है कि घरेलू उद्योग की घरेलू विक्रियों में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने कहा है कि पाटन के द्वारा सृजित बाजार स्थिति के कारण, इसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान *** दिनों के लिए और जांच की अवधि के दौरान *** दिनों के लिए उत्पादन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा था।

(घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

123. क्षति अवधि में लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पी ओ आई
लाभ/ (हानि)	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-349
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-263
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-25	-92	-125

124. यह देखा गया है कि-

- (क) घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण हानियां वहन की हैं। जहां आधार वर्ष के दौरान हानियों के कारण निम्न क्षमता उपयोग, नई उत्पादन क्षमताओं और विक्रियों की कम मात्रा हो सकती है, उच्च क्षमता उपयोग के बावजूद जांच की अवधि के दौरान हानियों में वृद्धि हुई है।
- (ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन में 416%, घरेलू विक्रियों में 716% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद क्षति अवधि में नकद हानियों में 249% की वृद्धि हुई है जबकि नकद घाटे में 163% की वृद्धि तथा नियोजित पूंजी पर आय में 25% अधिक हास हुआ है। अतः घरेलू उद्योग की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन कीमत मापदंडों के संबंध में उल्लेखनीय रूप से और भी अधिक गिरावट आई है।
- (ग) घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि में महत्वपूर्ण नकद हानियों और ऋणात्मक ई बी आई डी टी ए का सामना किया है। इसके अलावा, उत्पादन और घरेलू विक्रियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि में नकद हानियों और ब्याज-पूर्व हानि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- (घ) कुल रूप में, जांच की अवधि के दौरान हानियां और नकद हानियां उच्चतम रही हैं।
- (ड.) लगातार 43 महीनों तक प्रचालन में रहने के बावजूद घरेलू उद्योग घाटे में चलने में सक्षम नहीं है।

- (च) पूरी क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक बनी रही है और क्षति अवधि में इसमें ह्रास हुआ है।
125. तथापि, जहां घरेलू उद्योग ने अपनी समग्र बिक्री कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019-20 के दौरान बिक्रियों का ***% ऑफ स्पेसिफिकेशन उत्पादों (गैर-विशिष्ट उत्पाद) की बिक्री का था, जबकि वह तदनुसारी अवधियों में निम्न था। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि प्राधिकारी को केवल मुख्य ग्रेड को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की कीमतों की जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में मुख्य उत्पाद की कीमतों पर विचार करना उचित है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा अन्य कारकों के क्षतिकारक प्रभावों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आधार वर्ष में, विशिष्ट उत्पादों की बिक्री के कारण बिक्री कीमत में ह्रास होगा, जिसके कारण और अधिक नुकसान होगा। इसके प्रभावको अलग किया जाना चाहिए।
126. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में *** करोड़ रूपए की संचित हानियां उपगत की हैं। इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के आरंभ होने के बाद से, हानियों के रूप में, पहले ही नियोजित पूंजी के लगभग ***% के समकक्ष राशि को गंवा चुका है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसकी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसके विपरीत स्थिति होने पर, इसने इस अवधि के लिए अपने प्रचालनों की अवधि में, *** करोड़ रूपए अर्जित किए होते।
127. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि नियोजित पूंजी पर ***% की आय अर्जित करने के लिए, घरेलू उद्योग को प्रति मी. टन *** रूपए की एक पीबीआईटी अर्जित करनी थी। इसके विपरीत, इसने प्रति मी. टन *** रूपए की हानि उपगत की है। यह *** प्रति मी. टन की बिक्री मात्रा पर *** रूपए प्रति मी. टन के राजस्व की हानि को दर्शाता है।
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मुख्य उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करने के बाद भी, घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानियों का सामना किया है। घरेलू बिक्रियों पर होने वाली हानियों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिख रही है।
129. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता के पी एंड एल विवरण में ब्याज लागत नहीं बताई गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके बारे में 2022-23 के वित्तीय विवरणों में बताया गया है। चूंकि पिछले वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की गई थी, ब्याज लागत को बही खातों के प्रयोजन के लिए पूंजीकृत किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा जारी फार्मेटों के अनुसार इस बारे में रिपोर्ट की है।
130. इस निवेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हानियां स्टार्टअप लागतों और मूल्य ह्रास के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी स्टार्टअप लागतों को भारत के जी ए ए पी के तहत पूंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग 43 महीनों से प्रचालन कर रहा है। 2019-20 प्रचालन का प्रथम वर्ष था और इसलिए, स्टार्ट अप लागतों पर असर पड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। तथापि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति इकाई हानि में वृद्धि हुई है।
131. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों के प्रथम पूरे वर्ष में लाभ और प्रचालनों के तीसरे वर्ष तक महत्वपूर्ण लाभ प्रक्षेपित किए थे। इसलिए, पी ओ आई में हानियों को स्टार्ट-अप लागतों का कारण नहीं माना जा सकता।

विवरण	यू ओ एम	आई आई आर		
		पीओआई – वास्तविक	प्रक्षेपित वर्ष -3	प्रक्षेपित वर्ष 4
स्थापित क्षमता *	मी. टन	120,000	120,000	120,000
कुल उत्पादन मात्रा	मी. टन	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
बिक्री मात्रा	मी. टन	***	***	***

घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
आबद्ध स्थानांतरण	मी. टन	***	***	***
बिक्रियों की लागत (कारखानागत)	₹/ मी. टन	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्तियां	₹/ मी. टन	***	***	***
पीबीआईटी (कर पूर्व लाभ)	₹/ मी. टन	(***)	***	***
पीबीआईटी (कर पूर्व लाभ)	लाख रूपए	(***)	***	***
मूल्य ह्रास	₹/ मी. टन	***	***	***
नकद लाभ (पीबीटी+ मूल्य ह्रास)	₹/ मी. टन	(***)	***	***
ब्याज लागत	₹/ मी. टन	***	***	***
पी बी आई टी	लाख रूपए	(***)	***	***
पी बी आई टी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ)	₹/ मी. टन	(***)	***	***
पी बी आई टी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ)	लाख रूपए	(***)	***	***
नियोजित औसत पूंजी	लाख रूपए	***	***	***
निवल अचल परिसंपत्तियां	लाख रूपए	***	***	***
कार्यशील पूंजी	लाख रूपए	***	***	***
पीबीआईटी नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में (आर ओ आई)	लाख रूपए	(***)	***	***

132. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता ने 2019-20 में लाभ अर्जित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को 2019-20 में आर्थिक नुकसान हुआ है।
133. इस दावे के संबंध में कि आवेदक ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण नहीं किया है, और इसलिए हानियों को विनिर्माण प्रचालनों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इन दो वर्षों में संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्राओं का उत्पादन और बिक्री की है। इसके अलावा, बिक्री मात्रा में वृद्धि के बावजूद 2022-23 में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानियों में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अधिक उत्पादन और बिक्री की है, इसे लगातार अधिक वित्तीय हानियां उठानी पड़ी।

ड. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरियां

134. प्राधिकारी ने निम्नानुसार रोजगार, मजदूरियों और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	77	87
वेतन और मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	341	272	250
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	214	222	301

प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	228	287	346

135. यह नोट किया गया है कि 2021-22 तक कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई। इसके विपरीत, 2020-21 में वेतन में वृद्धि हुई, तब इसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है।

(च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	%	267%	4%	35%
घरेलू बिक्रियां	%	410%	17%	37%
लाभ/(हानियां)	%	-14%	-107%	-48%
नकद लाभ	%	-14%	-107%	-11%
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	75%	-264%	-36%

136. यह देखा गया है कि क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, इसके मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ है। हालांकि, पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गिरावट आई है। मात्रा संबंधी मानदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, कीमत संबंधी मानदंडों में वृद्धि बहुत प्रतिकूल है।

(छ) पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

137. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता स्थापित की है और इस प्रकार, यह पूंजी निवेश जुटाने के लिए सक्षम था। तथापि, इस अवधि में घरेलू उद्योग ने भारी हानियां उपगत की हैं और यह ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है। ई बी आई डी टी ए ऋणात्मक है और क्षति अवधि में इसमें ह्रास हुआ है। इसलिए घरेलू उद्योग ने अपनी वर्तमान ऋण बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से अर्जन नहीं किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने देखा कि आयातों ने पूंजी निवेशों को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

(ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

138. यह नोट किया गया है कि चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की लागत की तुलना में निम्न है, इसने घरेलू उद्योग पर एक दबाव डाला है। इसके अतिरिक्त, के एनआईपी से कम है। इसने घरेलू उद्योग को उनकी कीमत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश किया है जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का कम उपयोग और वित्तीय हानियां हुई। घरेलू उद्योग भारत में अपनी लक्षित कीमतों को प्राप्त करने में असफल रहा है। आयातों ने कीमत में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा घटित हुई होती और घरेलू उद्योग ने भारी हानियां उठाई हैं।
139. संबद्ध देशों से आयात कीमतों का विचार, लागत ढांचे में परिवर्तन, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण समानुपात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होने के कारण भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण कीमत ह्रास हुआ है। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है। संबद्ध वस्तुओं की मांग ने वृद्धि दर्शायी है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने के लिए कारक नहीं हो सकता। देश में संबद्ध वस्तुओं की उल्लेखनीय मांग को और उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा को देखते हुए, जो घरेलू उद्योग द्वारा अवश्य बेची जानी है, घरेलू उद्योग के पास एकमात्र विकल्प इसकी घाटे वाली कीमतों पर बिक्री करना है। उपभोक्ता आयातित उत्पाद कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग के साथ कीमतों का मोलभाव कर रहे हैं। अतः घरेलू उद्योग कीमतों के लिए उत्तरदायी प्रधान कारक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतें हैं।

(झ) पाटन की मात्रा

140. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का उल्लेखनीय पाटन हुआ है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को समाप्त कर दिया है।

ज.3.5. क्षति का समग्र मूल्यांकन

141. संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन स्पष्ट दर्शाते हैं कि:

- i. घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 से उत्पादन आरंभ किया। घरेलू उद्योग के पास क्षमताएं देश में उत्पादन की मांग से अधिक हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ ही आयातों की मात्रा में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के मात्रा मात्रा मापदंड में वृद्धि हुई है।
- ii. पीओआई में घरेलू उद्योग की भारांशित औसत क्षमता उपयोग केवल ***% थी, अतः परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं का उल्लेखनीय कम उपयोग हुआ है।
- iii. घरेलू उद्योग ने बाजार में पाटित आयातों की उल्लेखनीय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के निपटान के लिए अपनी माल सूचियों के महत्वपूर्ण हिस्से का हानियों पर निर्यात किया है।
- iv. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।
- v. लगातार और वृद्धिकारी हानियों, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय के साथ इस अवधि में घरेलू उद्योग के लाभों में ह्रास हुआ है। पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियों का सामना किया है।
- vi. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ऋणात्मक ई बी आई डी टी ए का सामना कर रहा है।
- vii. उत्पादन के 43 महीनों के बावजूद घरेलू उद्योग घाटे से उबरने में सक्षम नहीं हैं।
- viii. जहां घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है, कीमत और मापदंडों में उल्लेखनीय रूप से ह्रास हुआ है।
- ix. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेशों को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।
- x. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- xi. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

142. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण क्षति झेली है।

ज. 3.6. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

143. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव, पाटित मात्रा की विद्यमानता की जांच करते हुए, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटित आयातों के अलावा, किसी घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है, जैसा कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

144. यह नोट किया जाता है कि किसी अन्य देश से नगण्य आयात किए गए हैं। संबद्ध देशों से आयात भारत को कुल आयातों का 97 प्रतिशत हैं। इसलिए, क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं है।

(ख) मांग में संकुचन

145. विचाराधीन उत्पाद की मांग में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम थी। संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संभावित संकुचन के कारण नहीं है।

(ग) खपत की पद्धति

146. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग की क्षति का कारण बन सकता हो।

(घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियां

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो।

(ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

148. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नया संयंत्र स्थापित किया है।

च. उत्पादकता

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग इस कारण से क्षति का सामना नहीं कर रहा है।

(छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

150. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः, उठाई गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

(ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

151. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता।

ज. 3.7 कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

152. जहां नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा की गई है:-

- i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ है।
- ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, क्षमता उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। हालांकि, पाटन ने उत्पादन क्षमताओं के अधिकतम उपयोग को रोका है।
- iii. चाहे आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, नए उत्पाद के परिणामस्वरूप, मात्रा काफी महत्वपूर्ण है और इसने घरेलू उद्योग को इसके उत्पादन और स्थापित क्षमताओं की सीमाओं तक बिक्री करने से रोका है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बाजार को आपूर्ति करने के बाद, भारतीय मांग को पूरा करने और इसकी आवद्ध खपत के लिए माल उपलब्ध कराने के बाद भी आयातों का बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- v. घरेलू बिक्रियों के लिए उपयोग की गई क्षमता जांच की अवधि के दौरान केवल ***% है। घरेलू उद्योग केवल आवद्ध खपत और निर्यात बिक्रियों के कारण ही अपनी क्षमताओं के अधिकतम हिस्से का उपयोग करने में सक्षम है।
- vi. घरेलू उद्योग अपनी माल सूचियों का निपटान करने के लिए हानियों पर निर्यात करने के लिए विवश था।
- vii. आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा घटित हुई होती।
- viii. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी हानियां वहन की हैं और जांच की अवधि के दौरान इनमें वृद्धि हुई है।
- ix. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय और नकदी प्रवाह में अवधि के दौरान ह्रास हुआ है और ये ऋणात्मक हैं।
- x. घरेलू उद्योग के मात्रामापदंडों ने जहां सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है, लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में ह्रास हुआ है।
- xi. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेशों को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

153. अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष देते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

154. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किए हैं :-

- i. घरेलू उद्योग, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र उत्पादक है, ने अपनी लक्षित कीमतों के लिए बहुत ऊंचा स्तर निर्धारित किया है।
- ii. किसी पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से प्रयोक्ताओं और उनके ग्राहकों के लिए लागत में वृद्धि होगी।
- iii. शुल्कों को लगाए जाने के मामले में, या तो प्रयोक्ता आयातों पर अदा किए गए शुल्क को अवशोषित करेगा या वो इसे बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा इसे अपने अंतिम ग्राहक तक पहुंचाएंगे। पहली स्थिति में शुल्कों को लगाने से लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आएगी और अन्ततः परिणाम प्रयोक्ता उद्योग को हानि में होगा और दूसरी स्थिति में शुल्क के कारण विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करते हुए विनिर्मित की गई तैयार वस्तुओं के बिक्री मूल्य/बिक्री कीमत में भारी वृद्धि होगी।
- iv. विचाराधीन उत्पाद की लागत में कोई भी वृद्धि डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है जो प्रयोक्ताओं को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बना सकती है या उन्हें प्रचालन संबंधी हानियों में धकेल सकती है।
- v. शुल्क को लागू किया जाना घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार व्यवहार के लिए द्वार खोल सकते हैं।
- vi. शुल्क को लागू किया जाना संबद्ध देशों से आपूर्ति को सीमित कर देगा और एक अत्यधिक मांग-आपूर्ति अंतर का सृजन करेगा जिसे घरेलू उद्योग संभवतः पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।
- vii. घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने की अपनी क्षमता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- viii. जांच को आगे बढ़ाना और उपायों को लागू करना अंतिम प्रयोक्ताओं के सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

155. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. संबद्ध वस्तुओं के लिए देश में कोई मांग आपूर्ति अंतर नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है और यदि मांग में वृद्धि होती है तो, इसके पास अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना मौजूद है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं अत्यधिक पूंजी गहन हैं। घरेलू उद्योग ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग *** करोड़ रुपए निवेश किए हैं जिसमें से आईआईआर लगभग *** करोड़ रुपए के लिए उत्तरदायी है।
- iv. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा और भारत एक बार फिर से पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाएगा।
- v. घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।
- vi. देश में विचाराधीन उत्पाद का कोई घरेलू उत्पादन नहीं था। हालांकि यह टायर उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है।
- vii. अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव बहुत न्यूनतम होगा।
- viii. अतः डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत में उत्पाद का हिस्सा कठिनता से 1.3 – 1.6 प्रतिशत है।
- ix. खुदरा बाजार में टायरों की कीमत आईआईआर की कीमतों के अनुसार भिन्न नहीं होते हैं।
- x. प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ टायर उद्योग के लिए कच्चे माल की अधिकतम लागत को स्थापित करता है और अन्य कच्चे माल की कीमतों का टायर उद्योग के प्रचालनों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
- xi. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अत्यधिक विनियमित और सीमित है और देश में उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति का उपचार करना है जिसके द्वारा भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा देना है। यह केवल एक विनियामक उपाय नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना संबद्ध देशों से मनमाने ढंग से आयातों में कमी करना नहीं है बल्कि यह समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का जारी रहना भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का सारांश इन उपायों को लागू करने से अप्रभावित बना रहेगा। हासमान प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना पाटन पद्धतियों के जरिए अनचित लाभ को प्रोद्भूत होने से रोकेगा। यह संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन के लिए ग्राहकों की पहुंच का रक्षोपाय करता है। अतः, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाले हैं।
157. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की है। घरेलू उद्योग, उत्पादकों / निर्यातकों और आयातकों / प्रयोक्ताओं / उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित, संभावित जांच के संबंध में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुमति देने हेतु एक आर्थिक ब्याज प्रश्नावली भी निर्धारित की गई।
158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और संबद्ध वस्तु के केवल दो आयातकों / उपभोक्ताओं अर्थात् एक्सेल रबर प्रा. लिमिटेड और क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा आर्थिक ब्याज प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए। संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उपभोक्ता ने न तो प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और न ही आर्थिक ब्याज प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टायरों का विनिर्माण करने के लिए संबद्ध वस्तुएं एक अनिवार्य कच्चा माल है। हालांकि, टायर उद्योग ने उनके प्रचालनों पर प्रस्तावित एडीडी के प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। वर्तमान जांच में निवेदन प्रस्तुत करने वाली ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के बावजूद, शुल्कों के प्रभाव के संबंध में टायर उद्योग द्वारा सहयोग और भागीदारी की अनुपस्थिति प्राधिकारी की स्थिति को रेखांकित करती है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता की पुष्टि करती है।
160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र की स्थापना से पूर्व, भारत पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर था। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा तो घरेलू उद्योग उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा।
161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं टायर का एक अभिन्न भाग हैं। ऐसे परिदृश्य में, यह महत्वपूर्ण है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता हो। इसके अतिरिक्त, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा जोर डाला गया है, किसी टायर में मुख्य लागत संघटक प्राकृतिक रबर है और सामग्रियां जैसे आईआईआर, हालांकि अभिन्न सामग्री है, किन्तु टायर में एक छोटे संघटक को स्थापित करता है। अतः, वे टायर उद्योग के लिए एक प्रमुख लागत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यदि प्रभाव को और अधिक डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर निर्धारित किया जाए तो, प्रभाव निश्चय ही न्यूनतम होगा।

162. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते, किंतु सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क को लागू किया जाना उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति विद्यमान है।
163. हालांकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं कि वे भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
164. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि, संबद्ध आयात देश में आने वाले कुल आयातों का 97 प्रतिशत स्थापित करते हैं, उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी वैश्विक रूप से बहुत से देशों में उपलब्ध है। अतः, माल को अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और जापान। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में विचाराधीन उत्पाद का अन्य स्रोतों से भी आयात किया गया है।
165. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा *** करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसने एक संयंत्र स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों से प्रौद्योगिकी प्राप्त की है। तथापि, 43 महीनों की अवधि के भीतर, घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रुपए की हानियां उपगत की हैं। इस प्रकार, भारतीय उद्योग को भारी घाटा हो रहा है जिससे निवेश की व्यवहार्यता के लिए संकट पैदा हो गया है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

166. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारक कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु विचार किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिता के साथ भी समान उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22 प्रतिशत) को अनुमति दी गई थी जैसाकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित किया गया है और अनुसरण किया जा रहा है।
167. गैर-क्षतिकारक कीमत के निर्धारण के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारक कीमत को नियमावली के अनुबंध III और प्राधिकारी द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है।

168. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

169. उपरोक्त के अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारक कीमत के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है।

क्षति मार्जिन

उत्पादक	एनआईपी (यूएसडी/मी.टन)	पहुंच कीमत (यूएसडी/मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/मी.टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
सिंगापुर					
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड/ एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	45-55%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	25-35%
कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%
रूस					
पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम	***	***	***	***	50-60%
कोई अन्य	***	***	***	***	60-70%
चीन					
कोई भी	***	***	***	***	25-35%

ट. निष्कर्ष और सिफारिशें

170. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच के पश्चात् तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष देते हैं कि:-

- i. चीन जन. गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोव्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबड़ (आईआईआर) के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ठहरता है।

- ii. विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) है, जोकि एक सिंथेटिक रबड़ है, जो सामान्यतः टायरों के लिए आंतरिक ट्यूब्स और अन्य उच्च दबाव वाली ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। च्युइंगम के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कूड – ग्रेड आईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
- iii. प्राधिकारी ने एक पीसीएन पद्धति को अपनाया है और इसी को अधिसूचित किया है।
- iv. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और भारत में अदायगी योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है जो घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर आधारित है।
- v. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, ऐसी सूचना के सत्यापन के अध्यधीन, के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- vi निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- vii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2021-22 में गिरावट आई थी और दुबारा इसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम स्तर पर थी।
- viii. नई उत्पादन सुविधाओं में उत्पादन आरंभ होने के साथ घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्तियों की प्रतिक्रिया में आयातों में गिरावट आई है।
- ix. संबद्ध देशों से आयात देश में कुल आयातों का 97 प्रतिशत स्थापित करते हैं।
- x. वर्तमान जांच में कीमत कटौती ऋणात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग बाजार में कीमत ह्रास का सामना कर रहा है, क्योंकि घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत में वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है।
- xi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:-
 - क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को *** दिनों के लिए, पाटन के कारण अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए विवश होना पड़ा था।
 - ख. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना किया है।
 - ग. चूंकि, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया है, क्षति अवधि में इसके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, आवद्ध खपत और निर्यात बिक्रियों को शामिल न करने के बाद, यह घरेलू उद्योग की क्षमताओं के अनुरूप नहीं है।
 - घ. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूचियों में कमी आई है।
 - ड. मालसूची के संचय को रोकने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं को निर्यात करने के लिए दबाव था।
 - च. घरेलू उद्योग ने हानियों, नकद हानियों और ऋणात्मक आय का सामना किया है।
 - छ. घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए ऋणात्मक है।
 - ज. घरेलू उद्योग के मात्रा पैरामीटर्स में सुधार हुआ है किंतु लाभप्रदता संबंधी पैरामीटरों में गिरावट आई है।
 - झ. आयातों ने घरेलू उद्योग की और अधिक निवेश जुटाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाला है।
- xii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटित वस्तुओं के परिणामस्वरूप क्षति का सामना किया है।
- xiii. क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।
- xiv. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक मौजूद नहीं है। यह नोट किया गया है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने भारी क्षति का सामना किया है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से प्रमाणित होता है:-

- क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं।
- ख. संबद्ध वस्तुएं डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए प्रमुख लागत नहीं हैं।
- ग. संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख अनुप्रयोग टायर उद्योग में हैं। तथापि, टायर उद्योग ने शुल्कों के महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।
- घ. इसलिए, शुल्कों को लागू किया जाना उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है।
- ड. सामान को अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है।

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब जांच की शुरुआत की गई थी और तब सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में जांच आरंभ करने तथा आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का मत है कि जांच के पूरा होने तक, पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए अनंतिम शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए, प्राधिकारी इसे जरूरी समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।

172. प्राधिकारी द्वारा अनुसारित किए गए कमतर शुल्क के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे प्रस्तुत की गई तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40023100	आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़	चीन	चीन सहित कोई देश	कोई भी	319	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन	कोई भी	319	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	रूस	रूस	पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कने प्रतेखिम	519	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	(3) के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	571	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब,	रूस	कोई भी	571	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

			सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश					
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब	अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी	588	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
7	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	(6) के अतिरिक्त कोई भी देश	647	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	647	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
9	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड	431	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
10	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	(9) के अतिरिक्त कोई भी देश	474	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
11	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	474	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
12	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	एक्सॉनमोप्रोड कट साल्यूशंस कंपनी	663	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
13	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	(12) के अतिरिक्त कोई भी देश	729	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
14	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	729	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

ठ. आगे की प्रक्रिया

173. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद, नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का बाद में पालन किया जाएगा:-

- i. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन निष्कर्षों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर इन अनंतिम निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक इन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।
- ii. प्राधिकारी संबद्ध जांच के संगत अपने मतों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए नियम 6(6) के संदर्भ में एक मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।
- iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।
- iv. प्राधिकारी अनिवार्य समझी जाने वाली सीमा तक आगे का सत्यापन करेंगे।
- v. प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों को प्रस्तुत करने से पहले पाटनरोधी नियमों के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

Preliminary Findings

New Delhi, the 16th April, 2024

Case No- AD(OI)- 05/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR)” originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America

F. NO. 6/05/2023-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

1. Whereas, Reliance Sibur Elastomers Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “the domestic industry” or “RSEPL”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the anti-dumping rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the Isobutylene-Isoprene Rubber (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or “IIR”) from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/05/2023-DGTR dated 30th June 2023, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into the imports of the product under consideration originating in or

exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America in accordance with Rule 5 of the anti-dumping rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th June 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the anti-dumping rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
 - e. The Authority sent an exporter's questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Arlanxeo Singapore Pte. Ltd
 - ii. China Petrochemical Corporation
 - iii. Exxon Mobile Corporation
 - iv. Huntsman International LLC.
 - v. Japan Butyl Co. Ltd
 - vi. Lyondell Basell Industries Holdings B.V
 - vii. Timco Rubber
 - viii. PJSC Nizhnekamskneftekhim
 - ix. SABIC
 - x. TPC Group
 - xi. Zhejian Cenway New Synthetic Materials Co., Ltd.
 - f. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - g. In response to the initiation of the subject investigation notification, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing a questionnaire response:
 - i. ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. ("EMAPPL")
 - ii. ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, Belgium (EMPC)
 - iii. ExxonMobil Product Solutions Company ("EMPSC")
 - iv. MRF SG PTE LTD.
 - v. Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya")
 - vi. ARLANXEO Singapore Pte Ltd.
 - vii. Public Joint Stock Company
 - viii. Public Joint Stock Sibur Holding

- ix. Sibur International GMBH,
- x. Trigon Gulf FZCO
- h. The Authority sent an importer's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Rubberking Tyres India Pvt Ltd
 - ii. Elpha Polychem Private Limited
 - iii. Cavendish Industries Limited
 - iv. Chelna Inc
 - v. Ram Charan Company Private Limited
 - vi. Balaji Enterprises
 - vii. Karnataka Chemical Industries
 - viii. Ganpati General Trading LLP
 - ix. Dev Rubber Factory Private Limited
 - x. Braza Tyres Pvt. Ltd.
 - xi. Pinkcity Rubber and Chemicals
 - xii. Aks Polychem Pvt Ltd.
 - xiii. Adven Tyre Tube India Pvt. Limited,
 - xiv. Paragon Vial Caps Pvt Ltd
 - xv. Ud Pharma Rubber Products
 - xvi. Ravinder Kumar Vijay Kumar
 - xvii. Sunrise Industrial Corporation
 - xviii. Swastik Sales Agency
 - xix. Exxon Mobil Company India Pvt Ltd
 - xx. Cinq Micron Chem Pvt Ltd
 - xxi. Kesoram Industries Ltd
 - xxii. Raman Enterprises
 - xxiii. Astron Polymers Private Limited
 - xxiv. Kohinoor India Pvt Ltd
 - xxv. Ambica Boiler & Fabricator
 - xxvi. Prs Tyres Limited
 - xxvii. Supple Rubber Chemical Pvt Ltd
 - xxviii. Hindustan Cycles & Tubes Pvt. Ltd.
 - xxix. Seal For Life India Pvt Ltd
 - xxx. Sangee
 - xxxi. Jonson Rubber Industries Limited
 - xxxii. J K Tyre & Industries Ltd.
 - xxxiii. Vista Business Ventures LLP
 - xxxiv. Bajaj Rubber Company Pvt Ltd
 - xxxv. Sonata Rubber Pvt. Ltd
 - xxxvi. Sun Exim
 - xxxvii. Sahil Enterprises

- xxxviii. Mil Industries Ltd
- xxxix. B. B. M. Impex Pvt Ltd
- xl. Majestic International
- xli. Anabond Ltd
- xl. Pix Transmissions Ltd
- xl. Henkel Anand India Private Limited
- xliv. Gujarat Fluoro Chemicals Ltd
- xl. Jayam Industries
- xlvi. Vee Rubber India Private Limited
- xlvi. Elgi Rubber Company Limited
- xlvi. Maxxis Rubber India Pvt Ltd
- xl. Bis Polymers Ltd
- l. Specific Ventil Fabrik
- li. Pearl Patch
- lii. Indian Rubber Manufacturers Resear
- lii. Armacell India Pvt Ltd
- liv. Deepak Overseas
- lv. R.K. Polymer
- lvi. Sakshi Impex
- lvii. Maxwell Polymers LLP
- lviii. Hartex Rubber Pvt Ltd
- lix. Rubber India
- lx. Shri Krishan Rubber Chemical
- lxi. Surendra Elastomers Pvt Ltd
- lxii. Thakar Dass & Co
- lxiii. Thomson Rubbers India Pvt Ltd
- lxiv. Jamnadas Industries
- lxv. Midas Treads (India) Private Limited
- lxvi. Polygold Precured Systems Pvt. Ltd.
- lxvii. Rajshila Synthetics Pvt. Ltd
- lxviii. Reliance Sibur Elastomers Private Ltd.
- lxix. B. K. Rubber Industries Pvt Ltd
- lxx. Allied J B Friction Pvt Ltd
- lxxi. Speedways Rubber Company
- lxxii. Chemicolour International Pvt Ltd
- lxxiii. Cherry International
- lxxiv. K.L. Trading Corporation
- lxxv. Classic Auto Tubes Ltd
- lxxvi. Chowdhry Rubber & Chemical Pvt Ltd.
- lxxvii. Metro Tyres Limited
- lxxviii. Midas Butyl Products India Pvt Ltd

lxxix.	Flexilis Private Limited
lxxx.	Zenith Industrial Rubber Products Pvt.
lxxxi.	Yokohama India Pvt. Ltd.
lxxxii.	Ceat Specialty Tyres Limited
lxxxiii.	Jay Ashirwad Trading Co.
lxxxiv.	Tulsiram Hanumanbagas Gilada
lxxxv.	Jasmino Polymertech Pvt Ltd.
lxxxvi.	B.P. Chemicals
lxxxvii.	Abhi Rubber & Chemicals
lxxxviii.	Sagar Rubber Products Pvt. Ltd.
lxxxix.	Agarwal Rubber Limited
xc.	Wrigley India Private Limited
xc.	Toyota Tsusho India Private Limited
xcii.	MRF Limited
xciii.	Sakshi Innovations Private Limited
xciv.	Exel Rubber Private Limited
xcv.	Bharat Rubber Works Private Limited
xcvi.	Classic Industries and Exports Limited
xcvii.	Apollo Tyres Limited.
xcviii.	Goodyear South Asia Tyres Private Ltd.
xcix.	B P Chemicals
c.	Triton Valves Limited
ci.	Mysore Polymers And Rubber Products
cii.	Continental India Private Limited
ciii.	Jmf Synthetics India Private Limited
civ.	Balkrishna Industries Limited
cv.	Jk Tyre & Industries Limited
cvi.	Elmer Products Pvt Ltd
cvii.	Bridgestone India Private Limited
cviii.	Corrosion Engineers Private Limited
cix.	Satyam Rubber Industries
cx.	Dolfin Rubbers Ltd.
cx.	Hind Elastomers Private Limited
cxii.	D Decor Exports Private Limited.
cxiii.	Ceat Limited
cxiv.	Globus Rubchem Private Limited
cxv.	Accura Valves Private Limited
cxvi.	Nishigandha Polymers Pvt Ltd
cxvii.	Perfetti Van Melle India Private Limited
cxviii.	Crane Process Flow Technologies (I)

- i. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers on July 14, 2023 however the Authority has not received any comments.
- j. The Authority sent the importer's questionnaire to the following known Associations of the subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. FICCI
 - ii. CII
 - iii. ASSOCHAM
 - iv. FIEO
- k. In response to the initiation of the subject investigation notification, the following importers/users from the subject countries have responded by filing a questionnaire response:
 - i. ExxonMobil Company India Private Limited ("EMCIPL")
 - ii. Exel Rubber Pvt. Ltd
 - iii. Classic Industries and Exports Ltd.
 - iv. JMF Performance Materials Pvt. Ltd.
 - v. Adven Tyre Tube India Pvt. Ltd.
 - vi. Automotive Tyre Manufacturers' Association ('ATMA')
 - vii. CEAT Ltd
 - viii. MRF Ltd
 - ix. J K Tyre & Industries Ltd
- l. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- m. Request was made to DG System to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- n. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.
- p. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis.
- q. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- r. The Authority conducted a meeting where the interested parties were invited to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.
- s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties up to this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by

- the interested parties subsequent to the preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- t. “***” in this notification represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 80.79.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows by the Authority:

“The product under consideration in the present investigation is Isobutylene-Isoprene Rubber (“IIR”) which is a synthetic rubber, commonly used to manufacture inner tubes for tyres and other high-pressure tubes. IIR has applications in the tube and tyre inner liners, which form an integral part of the pneumatic tyre manufacturing process. It is also used in diaphragms, gaskets, wire and cable insulations, liners, O-rings, seals, weather stripping, and bottle closures.

The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code 40023100 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.”

C.1 Views of other interested parties

5. The submissions of the other interested parties with regard to the product under consideration and like article are as follows:
 - i. The scope of the product under consideration defined in the initiation notification is broad and covers certain speciality grades which are not produced or sold by the domestic industry and should be excluded from the product scope.
 - ii. The two major specifications in the product under consideration which lead to different technical properties resulting in different end-use applications are “Mooney Viscosity”; and “Unsaturation Levels”. While the regular grade produced by the domestic industry and EMPSC have high mooney viscosity and medium unsaturation levels, the speciality grades of IIR manufactured by EMPSC have different combinations of the specifications. The Authority must exclude IIR with low unsaturation content ≤ 1.35 mol% and IIR with high unsaturation content ≥ 2.00 mol% from the product scope.
 - iii. Differences in the mooney viscosity and unsaturation levels in the specialty grades as compared to regular grades lead to differences in chemical composition, molecular structure and technical specifications, which imply that specialty and regular grades are not technically substitutable. Further, the products have different applications and end uses.
 - iv. In case the Authority does not exclude the specialty grades from the product scope, it must notify separate PCN for specialty grades since such grades command higher prices on account of different raw material composition, technical properties, and end-use applications.
 - v. To ensure a fair comparison between the regular grade and specialty grade, the following PCN is proposed –

S.N.	PCN parameter	Value	Notation
1.	Mooney Viscosity (MU)	High (51 +/- 5)	H
		Low (31 +/- 5)	L
2.	Unsaturation content (mol%)	High (2.00-2.60)	H
		Medium (1.50-1.90)	M
		Low (0.85-1.35)	L

- vi. The domestic industry does not produce a like article to the food grade IIR produced by Arlanxeo, due to differences in physical and chemical characteristics and end-use. Food grade IIR complies with strict government and industry requirements, for food contact applications (for the production of chewing gums), and has different technical specifications.

- vii. It is requested that the Authority clarify that HIIR is not included in the scope of the product under consideration.
- viii. There is no need for formulation of PCN methodology in the present case.

C.2 Views of the domestic industry

6. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like articles are as follows:
 - i. The domestic industry has provided evidence that it has produced and sold low mooney viscosity. Further, IR with “low” and “high” unsaturation content is already in the product profile of the domestic industry.
 - ii. The demand for low mooney viscosity and High Mooney Viscosity and IIR with low unsaturation content ≤ 1.35 mol% and high unsaturation content ≥ 2.00 mol% content is quite low in the country i.e., at less than 0.1%.
 - iii. Food grade IIR is used in wrapping or packing material and medicinal items and is in the product profile of the domestic industry.
 - iv. Food grade IIR is also used for making chewing gums, which is not there in the current product profile, but the domestic industry intends to start selling it. The demand for the food grade IIR used in food items is only 50-60 MT.
 - v. Since the domestic industry is a new entrant in the market, it is attempting to first establish itself in the market instead of focusing on market segments.
 - vi. Mere difference in specification does not call a need for PCN. The other interested parties have not provided evidence that there is a significant difference in the cost of the different specifications. The consumer association has categorically stated that there is no need for PCN.

C.3 Examination by the Authority

7. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the PUC and PCNs. Further, the interested parties were asked to provide the details of cost and selling price differences for different parameters and values as suggested in their proposed PCN methodology.
8. Comments were filed by ExxonMobil Product Solutions Company (“EMPSC”), Arlanxeo Singapore Pte. Ltd and Automotive Tyre Manufacturer’s Association (ATMA). The domestic industry was also asked to provide its comments on the cost/price differences in the PCNs proposed by the producers/exporters.
9. With regard to specialty grades, the domestic industry showed that the low mooney viscosity has been produced and sold by the domestic industry. Further, the IIR with low unsaturation content ≤ 1.35 mol% and IIR with high unsaturation content ≥ 2.00 mol% - products with “low” and “high” unsaturation content can be produced by RSEPL, with the existing machinery and technology. Although the other interested parties have argued that these speciality grades should be excluded from the scope of the product under consideration, the Authority notes that there are no imports of IIR with low unsaturation content. Further, only a negligible volume of 300 kg of IIR having low mooney viscosity but high unsaturation has been imported. It is well settled that the question of exclusion arises only when there are imports of the product type, and the domestic industry has not supplied like the article. However, in the present case, there are no imports of the product types for which exclusion has been sought, barring one transaction of negligible volume. There is no material demand for the product in the market, and therefore, the domestic industry has not produced and supplied the same as well. The product with low or high mooney viscosity and unsaturation content can be interchangeably used. Further, the domestic industry has provided evidence to show the production of goods with low mooney viscosity. Further, the domestic industry has also enclosed a specification sheet, which shows that product with different unsaturation contents falls within the specification of goods it can produce. The Authority further notes that the present case involves a new industry, that has set up a facility for a new product and is facing difficulty in capturing the market on account of dumped imports of the product. Further, the product types are not being imported into India as such. In view of the same, it is not appropriate to consider whether the product has actually been produced and sold by the domestic industry, but whether the domestic industry has the

capability to produce such products. Accordingly, the Authority provisionally finds that there is no cause for the exclusion of specialty grades from the product scope.

10. With regard to food-grade IIR, it is noted there are two grades of food-grade IIR. One is used for packing in food or medicinal items and the other one is used as an ingredient for making food items like chewing gums. The Authority notes that while food-grade IIR used for wrapping or packaging is being offered for sale by the domestic industry, food-grade IIR used as an ingredient in chewing gum is not. Although the domestic industry has claimed that it intends to start producing and selling this product, it is currently not in its product profile. Since the domestic industry has not shown any ability to produce the food-grade IIR used for making food items, the Authority has excluded the food-grade IIR used as an ingredient in the production of chewing gum from the scope of the current investigation.
11. Accordingly, the scope of the product under consideration is provisionally determined as follows.

“3. The product under consideration in the present investigation is Isobutylene-Isoprene Rubber (“IIR”) which is a synthetic rubber, commonly used to manufacture inner tubes for tyres and other high-pressure tubes. The scope of the product under consideration excludes food-grade IIR used as an ingredient in the production of chewing gum. IIR has applications in the tube and tyre inner liners, which form an integral part of the pneumatic tyre manufacturing process. It is also used in diaphragms, gaskets, wire and cable insulations, liners, O-rings, seals, weather stripping, and bottle closures.

4. The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code 4002 31 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.”

12. Further, based on the information supplied by the interested parties and discussions held, the Authority has adopted the following PCN methodology for fair comparison.

S.N.	PCN parameter	Value	Notation
1.	Mooney Viscosity (MU)	High (51 +/- 5)	H
		Low (31 +/- 5)	L
2.	Unsaturation content (mol%)	High (2.00 - 2.60)	H
		Medium (1.36 - 1.99)	M
		Low (0.85 - 1.35)	L

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of other interested parties

13. The submissions of the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing are as follows:
- SIBUR indirectly controls certain key management and policy decisions of RSEPL, as per the AoA of the petitioner. Two directors are appointed by SIBUR on the board of RSEPL. A decision on reserved matters and joint approval transactions cannot be taken without the approval of at least one of the directors appointed by SIBUR and one of the authorised representatives of one of the shareholders of SIBUR till the time SIBUR holds qualifying shares (25.1%).
 - The only exception to the abovementioned is when the board meeting has been adjourned three times due to the absence of at least one director of each shareholder group. However, such a situation is extraordinary and is unlikely to occur.
 - In case of related party transactions, the directors of the shareholder group with whom the related party transactions are proposed shall not be part of the discussion and shall be bound to vote as per the vote of

other shareholder group. Thus, in case of related party transactions with RIL, SIBUR gets majority voting rights in the board meeting.

- iv. Even when SIBUR ceases to hold qualifying shares but collectively holds more than 15.1% of shares, related party transactions cannot be approved without the vote of at least one of the directors appointed by SIBUR.
- v. The *de facto* control of the joint venture lies with both RIL and SIBUR.
- vi. The transactions related to reserved matters in the annual general meeting as well as the extra ordinary general meeting of RSEPL have been passed only after acceptance by the Chief Operating Officer and the whole-time director appointed by SIBUR.
- vii. The European Commission in the merger decision between SIBUR and the Tatar-American Investment and Finance group of companies found that although RIL holds the majority of shares in RSEPL, both RIL and SIBUR have joint control over it.
- viii. RIL and SIBUR signed a technology license agreement wherein RSEPL can use the proprietary butyl rubber production technology of SIBUR, SIBUR will develop basic engineering design for RSEPL and train personnel in this regard. This provides leverage to SIBUR to control the policy and operational decisions of RSEPL.
- ix. There is a pre-marketing agreement between RIL, RSEPL and Sibur International GmbH. RSEPL exports to Europe and other regions through Sibur International GmbH. Sibur International GmbH exports product under consideration produced by NKNH to India. Both NKNH and Sibur International GmbH are owned and controlled by SIBUR. Thus, RSEPL should not be considered as a domestic industry in this investigation.
- x. Since SIBUR controls both NKNH and Sibur International GmbH, it should be considered as a single entity for the purpose of this investigation. The claim that there are no direct exports by the Russian producer should not be accepted.
- xi. The claim of the petitioner that no injury analysis would be possible if it is not considered as an eligible domestic industry does not prevent the Authority from declaring the petitioner as an ineligible domestic industry.

A.1 D.2 Views of the domestic industry

14. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:
 - i. Reliance Sibur Elastomers Private Limited (RSEPL) is the sole producer of the subject goods in India.
 - ii. RSEPL was set up as a joint venture of Reliance Industries Limited and Sibur Investment AG, Switzerland.
 - iii. SIBUR Holding also had a shareholding in SIBUR Togliatti, a producer of the product under consideration and has a stake in PJSC Nizhnekamskneftekhim (NKNH), a Russian producer/exporter of the product under consideration.
 - iv. Even though NKNH is engaged in the production of the subject goods, it has not exported the same to India directly.
 - v. SIBUR Switzerland has a shareholding in RSEPL, but it is not in a position to legally or operationally exercise restraint or direction over the operations of the latter, since RIL has the majority shareholding.
 - vi. The Russian producers NKNH and RSEPL do not control each other, are not under common control of a third party, and do not jointly control a third party.
 - vii. Despite the presence of RSEPL in the Indian market, NKNH has been continuously exporting through traders to India.
 - viii. ExxonMobil has deliberately and mischievously partially quoted the documents in an attempt to derail the investigation. The object and purpose of the Companies Act and the anti-dumping law are different and the relationship under the Companies Act cannot be relied upon in an anti-dumping investigation. The definition provided in a different law cannot be applied to anti-dumping investigations. In a number of cases, the Authority has held that the meaning of production is different under different laws as they have different objectives.

- ix. While the scope under the Companies Act is wider and concerns operations of the company before commencement of production and up to winding up, the anti-dumping laws and rules are only concerned with the period of investigation. The relationship is also seen during the period of investigation and not pre-period of investigation or post period of investigation. Thus, the meaning of control whether *de jure* or *de-facto* should be examined only in reference to the period of investigation.
- x. The object behind exclusion of related party from the scope of the domestic industry is to exclude producers, which are benefitting from their relationships with the foreign producers. In case of legal or operational control, the domestic producer is said to be related to a foreign producer / exporter. Even if two parties are related, the mere relationship is insufficient to consider domestic producer as ineligible.
- xi. There is a need to check if behavior of related parties is distinct from unrelated parties, if they triggered, intensified, benefitted or shielded itself from dumping, if the injury is self-inflicted, impact of imports made by related party, whether related party had exported the product to India during the period of investigation, if the volume of related exporter is substituting the unrelated domestic producers' market, whether the relationship has the potential to impact decision concerning production, pricing, or cost of like article, the statutory or organizational restrictions by shareholders, whether the related parties operate autonomously or in collusion or are competing with each other and whether they have conflicting interest in anti-dumping investigation.
- xii. In the present investigation while RSEPL will benefit from anti-dumping duty, Sibur will be subject to anti-dumping duty. There is no difference in behavior of RSEPL despite having alleged related parties in the subject country, Both the parties are in competition and conflicting interests. There is no evidence that RSEPL has participated in dumping or the injury is self-inflicted. Thus, it should not be excluded from the scope of the domestic industry.
- xiii. RIL holds majority of shares and directors in RSEPL, the right to nominate the Chairman of the Board rests with RIL and thus, all decision where majority voting is required are of RIL.
- xiv. The reserved matters do not entail day-to-day business or marketing or pricing related decisions of RSEPL which could have allowed RSEPL to suffer self-inflicted injury. SIBUR cannot take any decision unilaterally unless it is supported by RIL. Thus, SIBUR is not in a position to exercise restraint or direction over RSEPL.
- xv. As opposed to the submissions of the other interested parties, AoA does not establish control of SIBUR over the petitioner.
- xvi. The notice and transcript of Annual General Meeting as well as Extra Ordinary General Meeting relied upon by the other interested parties, does not show control and is not relevant to the present investigation as it only concerns capital addition.
- xvii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the European Commission held that RIL has control over RSEPL. Further, the document relied upon is related to merger and acquisition and not anti-dumping investigation. The meaning and scope of related parties is different under the two.
- xviii. The media release relied upon by the other interested parties shows acquisition of technology and training from SIBUR. The fact pertains to pre-commissioning of production and not relevant to the present anti-dumping investigation. It does not show control over production, sales, costs, or prices of the petitioner. In a number of cases, technology has been sourced from other producers in other countries.
- xix. As opposed to the submissions of the other interested parties, control of SIBUR over NKNH, TAIF or control of TAIF over NKNH is not relevant to the present investigation.
- xx. No clause of reserved matter shows control of SIBUR on operations of the petitioner regarding production, purchase, sales, pricing, or any other factor relevant to an anti-dumping investigation.
- xxi. Certain clauses in reserved matters, relied upon by Exxon, relate to pre-commercial operations of plant and business establishment funding phase are no longer applicable as the plant has already commenced.
- xxii. The other clauses in reserved matters do not concern anti-dumping investigation nor are in relation to operations in the period of investigation as they relate to expansion plans, general principles of marketing which is a one-line general strategy to sell product at maximum net back, winding up, altering the MoA or other documents, change in authorized capital, creation of a subsidiary, approval of modification of business plan, creation of mortgage or charges, obtaining or providing loans or guarantees, entering into contract with third party regarding engineering services, construction, purchase of equipment or acquisition or sale of immovable property, contract with amount of expenditure over 1,00,00,000 USD per annum and accounting policies.

- xxiii. In case of a deadlock between RIL and SIBUR, RIL has the power to direct SIBUR to sell off its share to RIL. Likewise, SIBUR has power to require RIL to purchase its share. Thus, in a situation of deadlock, RIL assumes control over the entirety of operations. Thus, SIBUR cannot prevent any decision by RIL directors due to presence of deadlock clause.
- xxiv. The pre-marketing agreement between SIBUR and RSEPL has expired in 2019 while the control of NKNH was acquired by SIBUR in 2021 when such agreement was not in force. The agreement was meant for imports into India for seed marketing and not exports of the product under consideration. The same does not show any control by SIBUR. Exports are irrelevant in the anti-dumping investigation, as activities for export has to be excluded as per Annexure II.
- xxv. All transactions between related parties are at arm's length basis and duly approved by the Audit Committee and Board of the petitioner. In any case, RIL is obliged to ensure that all related party transactions are at arm's length by virtue of its own legal and operational status.
- xxvi. The wholtime director and COO of RSEPL is required to work under the direction and control of the Board of Directors. The mere fact that SIBUR has appointed such person does not imply that the person can work in contravention to the directions of the Board.
- xxvii. ExxonMobil has not identified any related party transactions which would need consent of SIBUR or existence of some transactions which impact the determination relating to dumping, injury and causal link.
- xxviii. There are no direct exports by the Russian producer but exports have been made by unrelated exporter. The exporter determines the market in which the product under consideration will be sold and the price of such goods. Hence, the alleged relationship with SIBUR does not have any relevance in the present investigation.
- xxix. The domestic industry has imported the product under consideration prior to the commencement of production in order to perform seed marketing activity. However, the domestic industry has not imported the product under consideration post commencing commercial production or during the period of investigation.

D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

16. The application has been filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited (RSEPL). RSEPL is the sole producer of the subject goods in India.

17. For the purposes of Rule 2(b), producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

“(a) one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.

Note: *For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.”*

18. The Anti-Dumping Agreement, in Article 4, defines domestic industry as follows.

“4.1 For the purposes of this Agreement, the term “domestic industry” shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:

(i) When producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term “domestic industry” may be interpreted as referring to the rest of the producers;”

19. Footnote 11 further clarifies the meaning of related as follows.

“11. For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.”

20. The Authority notes that the essence of the definition of related party lies in “control”, legal or operational. If one party is not in a position to exercise direction or control over the other, whether directly or through the other party, it cannot be considered that the two parties are related to each other. It is noted that mere shareholding does not amount to the exercise of control and therefore does not make RSEPL related to NKNH within the meaning of Anti-Dumping Rules. Further, even if the two parties are related parties, the mere fact of the relationship is insufficient to consider the domestic producer as ineligible. There must be evidence that the related domestic producer has acted differently due to the relationship or has participated in dumping practices and has taken such steps which would have resulted in self-inflicted injury.
21. In the present case, RSEPL is a joint venture between Reliance Industries Ltd (RIL) and Sibur Investments AG, Switzerland (SIBUR Switzerland), a subsidiary of PJSC SIBUR Holding (SIBUR Russia). SIBUR Russia also has a stake in PJSC Nizhnekamskneftekhim (NKNH), a producer of the product under consideration in Russia. The Authority notes that RSEPL is majorly controlled by RIL, which owns majority shares whereas SIBUR Switzerland has a minority share, both in terms of voting powers of shareholders and of directors.
22. The petitioner contended that it should be treated as an eligible domestic industry under Rule 2(b) notwithstanding the fact that exports to India have been made by the Russian producer and the petitioner is a joint venture company between Reliance Industries Limited and SIBUR Investments AG. The interested parties have however disputed the eligibility of the petitioner contending that the petitioner is ineligible on the grounds that the petitioner company is controlled by the Russian producers, either directly or indirectly through a third company. The sole ground for seeking ineligibility is the existence of “control” over the petitioner company by both the JV partners. The Authority has examined the issue.
23. The Authority notes that under Rule 2(b), the Authority is required to examine whether a domestic producer should be treated as ineligible because of its potential relationship with a foreign exporter dumping the goods in India or the petitioner itself is an importer of such product.
24. In the facts of the present case, it is seen that the petitioner i.e. RSEPL is a joint venture company between Reliance Industries Limited and SIBUR Investments AG. The joint venture partner SIBUR Investments Ag is a subsidiary of PJSC SIBUR Holding, which is also the holding company of PJSC Nizhnekamskneftekhim, a cooperative producer from Russia in the present case. The questionnaire response filed by PJSC Nizhnekamskneftekhim has therefore been examined. It is noted that PJSC Nizhnekamskneftekhim has reported ownership of the company comprising PJSC SIBUR Holding. The Russian producer was also required to provide complete information with regard to all companies affiliated with the producer, whether or not involved in the production and sale of the PUC and whether or not in Russia. It is noted that PJSC Nizhnekamskneftekhim has reported the following companies as its affiliated entities.
- a. ***
- b. ***
25. It is noted that PJSC Nizhnekamskneftekhim has not reported the petitioner or RIL as its affiliated company. It is thus seen that PJSC Nizhnekamskneftekhim does not consider itself as related to RSEPL or RIL.
26. The claims made by the petitioner were also examined. It is seen that the petitioner has claimed that it is not related to exporters of Russian goods, nor it is related to Russian producers of the subject goods. The applicant has submitted that the relationship under the Rules is required to be seen with reference to the exporter of the product. The petitioner has denied the relationship on the grounds that (a) there are no direct exports by SIBUR or PJSC Nizhnekamskneftekhim, (b) Reliance has a majority voting power in both shareholders and Board of Directors, (c) SIBUR cannot dictate any day-to-day decisions of RSEPL, (d) RSEPL has not contributed to

dumping by SIBUR, and (e) the applicant should be treated as eligible domestic industry in view of past practice.

27. The Authority notes that the objective or the purpose of the discretion conferred onto the Authority under Rule 2(b) is relevant in the present case. The Authority notes that the objective of the provision is to allow the Authority to treat certain domestic producer as ineligible under certain situations. One such condition is when a domestic producer is related to an exporter of the subject goods. However, the term 'related' has been defined in explanation to Rule 2(b) as requiring one of the parties to directly or indirectly control each other, or for the two parties to be controlled by a third person, or together control a third person. The Authority further notes that the mere fact of the relationship is insufficient under the law to exclude such domestic producers. The Rule further provides that a party shall be deemed to control another party where the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. Furthermore, the Authority has discretion under such circumstances to treat such domestic producers as ineligible. In any case, there is no automatic exclusion of such a domestic producer from the scope of domestic industry under Rule 2(b).
28. In the facts of the present case, it is noted that both the petitioner and Russian producer have denied a relationship or existence of control over each other – whether directly or indirectly or through a third person. Further, the petitioner has filed an application seeking the imposition of anti-dumping duties on several countries, including Russia. The petitioner quantified a dumping margin of 50-60% with respect to exports from Russia. The Russian producer filed a questionnaire response and claimed the absence of dumping. Despite the petitioner having the capacity to meet the entirety of the demand, it is seen that a significant volume of the product has been supplied by the Russian producers. As per the questionnaire response filed by the company, it is seen that *** MT PUC has been exported by the company during the current injury period, and after the commencement of production by the petitioner. Thus, despite the alleged relationship or control, it is seen that the Russian company has exported the product to India during the relevant period. Further, the volume of imports made is not insignificant. Further, whereas the exporter has claimed the absence of dumping, the petitioner claimed dumping by the Russian producer. The Authority has found a significant dumping margin in respect of exports made by the company. Thus, it is evident that the petitioner has taken steps to prevent dumping in the country, even against Russia, despite alleged control over the petitioner by one of its shareholders. The petitioner has not participated in dumping by the Russian producer, nor provoked, nor shielded itself from such dumping happening from Russia. Rather, the petitioner has taken effective steps in seeking redressal against such dumping happening in the Indian market. It is also seen that there appear no other exports from Russia barring exports by the present company.
29. As regards submissions made by interested parties concerning the existence of control, the Authority notes that the interested parties have referred to information, evidence and documents which concern an entirely different scope of operations of the company. The interested party itself has conceded that the alleged control is in the areas of "reserved category". The Authority considers that in so far as day-to-day production and sale of the product are concerned, dumping causing injury to the domestic industry and actions by the domestic industry against such dumping were not prevented by the shareholders, thus establishing that the same does not fall in the category of reserved items.
30. It is also undisputed that the majority of the board in the present case is controlled by RIL. Thus, the fact that SIBUR Investments AG holds only two directors on the board of the petitioner establishes that another shareholder, namely, RIL is in a position to give direction or restrain the petitioner from seeking redressal against such dumping. The company has in fact taken such action in filing the present application, which further establishes the inability of SIBUR Investments AG to give direction and the ability of RIL to give direction to seek redressal against dumping.
31. It is seen that various provisions of Article of Association (AOA) provides *de-jure* and the *de-facto* control to RIL and not to SIBUR. While RIL admittedly holds *de-jure* control over the petitioner, the *de-facto* control also rests with RIL, through the provisions of Article 40 of the AoA. While admittedly certain matters have been kept under the reserved category and SIBUR consent is necessary for taking a decision, it is noted that these reserved matters and authority with SIBUR are subjected to provisions of Article 40 of the AoA. Further, it is seen that Article 40 of AoA provides *de-facto* power to RIL to force a decision in its favour in a situation of difference between RIL and SIBUR nominated directors. In other words, if SIBUR attempts to force a decision by invoking the alleged *de-facto* control, RIL has the ability to override the same, by invoking deadlock provisions under the AoA. It is, thus, provisionally concluded that both the *de-jure* and *de-facto* control on the petitioner rests with RIL, and SIBUR does not acquire the authority to control the petitioner in a manner inconsistent with RIL decision.
32. As regards provisions concerning related party transactions, the Authority notes that in any case, these provisions encourage transparency in transactions with the related parties and attempt to ensure arms-length transactions for such related party transactions. Since RIL is a majority shareholder in the petitioner and is a listed company, anyways RIL is governed by various provisions concerning related party transactions under the

Companies Act. Even RIL is bound to ensure transparency in transactions with the related parties and is required to attempt to ensure arms-length transactions with such related party transactions. Further, the authority also ensures that transactions with related parties are at arms-length for the purpose of injury determination.

33. As regards reference to the European Commission decision, the Authority notes that not only this decision is in an altogether different context, but also the said decision does not establish that the petitioner is controlled by SIBUR.
34. The Authority thus considers that the fact of control is not established in so far as it concerns the present law and proceedings. The Authority further considers that the meaning of control and applicability of the same in other laws is irrelevant for the present purposes. Further, even if the two parties are related parties, the mere fact of relationship is insufficient to consider the domestic producer as ineligible. There must be sufficient grounds justifying exclusion of such related domestic producer. There must be evidence that the related domestic producer has acted differently due to relationship, or has participated in dumping practices and has taken such steps which would have resulted in self-inflicted injury. In the instant case, there is no such evidence that the relationship between the two parties have led to petitioner behaving in a manner different from an unrelated producer.
35. Further, the Authority notes that the behavior of the petitioner as a domestic producer was not such that it could be construed that petitioner has behaved as a related company. The Authority also provisionally holds that the provisions under Company's Act or requirements of special resolutions are not relevant for the present purposes.
36. The Authority further takes note of the fact that there are no direct exports by the Russian producer, PJSC Nizhnekamskneftekhim, or PJSC SIBUR Holding or SIBUR International GmbH. *** from Russia are through an exporter, ***, which is not affiliated to the Russian producer or SIBUR entities. It is also not disputed that *** is not related to RSEPL.
37. In view of the foregoing, the Authority provisionally holds that the applicant is entitled to be treated as a domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
38. The domestic industry has reported that it has imported IIR before it started commercial production, in order to undertake seed marketing activity in India. However, the imports were made before the period of investigation, and before declaring commercial production. Accordingly, it is noted that the applicant can be considered as eligible to constitute the domestic industry on this account.
39. In view of the foregoing, the Authority provisionally concludes that the applicant constitutes the domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

B E. CONFIDENTIALITY

B.1 E.1 Views of other interested parties

40. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the domestic industry:
 - i. The domestic industry has not disclosed information prescribed under the trade notice.
 - ii. The domestic industry has not provided evidence of efforts made to determine domestic selling price in other markets.
 - iii. The domestic industry has not provided information with regard to whether R&D expenses were incurred or not, cost of sales for exports, quantity of imports as a percentage of total imports, date of commencement of production and date on which it received approval from customers.
 - iv. The domestic industry has not disclosed the components of non-injurious price or their number in range of +/- 10%.
 - v. The domestic industry has claimed its capacity and financial statements as confidential, despite such information being available publicly.
 - vi. The domestic industry has claimed the entire project report as confidential and has not even provided a non-confidential summary.
 - vii. The domestic industry has claimed that the level of trade / channel of sales should be considered in the determination of injury margin but has not disclosed the same.

- viii. While the domestic industry has claimed that it has provided price undercutting and injury margin in range, it has not provided the same in Proforma IV B.
- ix. The exporters / producers have provided the list of products produced, details of manufacturing units, production process, product utilization thereafter.
- x. The exporters / producers have disclosed their distribution channels for home market and exports to India in descriptive form in their non-confidential questionnaire responses.
- xi. The exporters / producers have disclosed the nature of adjustments in home market and export prices, but the actual value is business sensitive and cannot be disclosed.
- xii. The exporters / producers have disclosed that certain auxiliary activities are contracted to a vendor, but the details for the same are business sensitive.
- xiii. The Trade Notice 10/2018 permits exporters / producers to keep their proprietary information confidential.
- xiv. The information regarding product catalogue is not typically publicly available, and certain exporters / producers do not circulate product brochures since they sell products through affiliates.
- xv. Certain exporters / producers have claimed that production process, the names of raw materials, details about outsourcing or subcontracting, startup cost adjustments, import of raw material, purchase of raw materials or utilities from related parties is business proprietary information and revealing such information would be detrimental to their business interests.
- xvi. The users addressed most of the questions in the user questionnaire response and the economic interest questionnaire and have not claimed the entire impact of anti-dumping duty as confidential.
- xvii. The petitioner has claimed excessive confidentiality as the price undercutting and price suppression is not given in trend and at least the difference between the cost of sales and selling price in indexed form should have been provided, opening and closing inventory, depreciation, net fixed assets, working capital, details regarding self-imports such as import value, import price, resale price and market share have not been provided in indexed form.

E.2 Views of the domestic industry

- 41. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the other interested parties.
 - i. The evidence of efforts made to determine domestic selling price in other markets does not relate to confidentiality claimed.
 - ii. The Authority has modified the application proforma which does not require the applicant to provide details of R&D expenses.
 - iii. The domestic industry has filed the application under Trade Notice 5/2021 whereas the specific requirements as per Trade Notice relied upon by the other interested parties is Trade Notice 2/2018 dated 1st February 2018.
 - iv. The trade notice does not require the applicant to disclose the components of non-injurious price and its numbers in range of +/- 10%.
 - v. Although the exporter has not been able to cite why disclosure of the date of commercial production and the date on which the domestic industry received approval of customers is required, it is submitted that the domestic industry commenced trial production in September 2019, and declared commercial production in March 2022.
 - vi. The domestic industry has sold goods to unaffiliated customers in the domestic market, which are traders or users of the subject goods. It has also provided details of selling price and various discounts. The Authority should compare its selling price at the same level at which the Authority considers import price and consider actual customs duty paid on imports.
 - vii. The domestic industry has provided a revised non-confidential version of the application with the quantity of imports as a percentage of total imports in range form, revised Proforma IV A with capacity, information with regard to injury margin and financial statements.
 - viii. The project report is confidential in its entirety and have been treated as confidential in the past several investigations as well. The domestic industry has provided a summary of the project report, in the form of comparison between actual and projected information in the revised non-confidential version.

- ix. Since the financial statements for 2022-23 have also been published post filing of the application, they have also been supplemented thereafter.
- x. The questionnaire response filed by other interested parties suffer from various violations of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules
- xi. The exporters / producers have claimed entire responses to certain questions as confidential, without providing a non-confidential summary of the confidential information.
- xii. The exporters / producers have not provided any statement explaining why a non-confidential summary of the responses is not possible.
- xiii. The exporters / producers have claimed their product catalogue as confidential without providing a justification for the same.
- xiv. The statement of reasons for confidentiality filed by the exporters / producers is not as per the format prescribed under Trade Notice 1/2013.
- xv. The exporters/producers have failed to provide any information regarding the methodology used to report adjustments claimed on export price and in some cases home market price.
- xvi. The exporters/producers have claimed the channel of distribution is confidential without providing any justification for the same.
- xvii. The manufacturing process as well as the names of major raw materials has also been claimed confidential, without due justification.
- xviii. The exporters/producers have provided information regarding post-invoicing/sale discounts or year-end rebates given to their customers. However, the response regarding this has been claimed confidential in its entirety.
- xix. The exporters/producers have claimed all information regarding the manufacturing units linked to the product under consideration in India as confidential.
- xx. The users have claimed the information regarding the utilization of the product under consideration.
- xxi. Some of the users have claimed that the proposed duty would lead to a significant decline in the profitability of the user industry but have claimed the entire quantification of impact as confidential without even sharing a range of impact quantified.
- xxii. The users have failed to furnish adequate information in the economic interest questionnaires responses and have reserved their comments on certain critical aspects. Such inadequate responses may render the exercise of issuing the questionnaire futile.

B.2 E.3 Examination by Authority

42. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).
43. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

44. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on a confidential basis. The domestic industry was directed to revise the non-confidential version based on the comments received from the other interested parties and the same was provided by the domestic industry and accepted by the Authority. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Views of other interested parties

45. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:
- i. The domestic industry has not provided sufficient evidence on why the investigation should be considered as material retardation for an establishing industry.
 - ii. Since the imports have not increased over the injury period, there is no ground to demonstrate material injury or material retardation to the domestic industry.
 - iii. As per the website of the domestic industry, their plant was commissioned in 2019. It cannot claim material retardation as per the definition of material retardation provided in the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations.
 - iv. There is no legal foundation of injury to justify the initiation of the investigation.
 - v. All the factors of the domestic industry are positive throughout the injury period considered.
 - vi. Financial year 2021-2022 and the proposed POI (January 2022- December 22) has three months in common. The domestic industry should provide data for the comparable calendar years 2019, 2020, and 2021 plus 2022 (POI).
 - vii. A comparison of two years with overlap period cannot provide an accurate picture. Only a comparison of identical periods with no overlap periods would allow for a proper assessment of injury to the domestic industry.

F.2 Views of the domestic industry

46. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions.
- i. **The submissions filed by ExxonMobil is belated as the deadline for the same was 14th December 2023 while the same have been filed on 9th February 2024. Such submissions should be rejected. The Panel and Appellate Body in multiple reports have held that investigating authorities can reject time barred submissions by the interested parties.**

F.3 Examination by the Authority

47. The Authority notes that the applicant has provided a duly substantiated application, based on which the present investigation was initiated. The present investigation was initiated by the Authority based on the information provided by the domestic industry and *prima facie* satisfying itself that there is sufficient evidence of the dumping, the injury and the causal link. Further, subsequent to the initiation, the information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the applicant.
48. The period of investigation adopted by the Authority is from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) and the injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years, 2019-20, 2020-21, 2021 -22. The period of investigation considered by the Authority is in accordance with Rule 5(3A) of the Anti-Dumping Rules.
49. The Authority has examined material injury to the domestic industry. Therefore, the Authority has not considered the domestic industry to be an establishing industry, for examining material retardation to the establishment of the industry.
50. As regards the contention of the domestic industry that the parties have filed belated submissions, while the Authority considers that these submissions are indeed significantly belated, the Authority has considered it

appropriate to nevertheless deal with these submissions. The Authority does consider conduct of such parties inappropriate.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Views of other interested parties

51. The other interested parties have made the following submissions with regards normal value, export price and dumping margin:
- i. The domestic industry has not provided information or evidence on the cost data for the subject countries.
 - ii. The domestic industry did not provide any explanation as to why it was unable to obtain cost information of the subject countries.
 - iii. The normal value calculated by the domestic industry violates Articles 5.2(iii), Article 2.2, and Article 2.2.2 of the Anti-Dumping Agreement, since the domestic industry has relied on its own data, and not considered the differences in manufacturing cost, SG&A and profits among different subject countries. A single constructed normal value for the subject countries without any reasonable explanation.
 - iv. The domestic industry has not provided any evidence of the adjustments made to the export price obtained for Saudi Arabia, and has used the same ocean freight adjustment for China and for Saudi Arabia without any justification.
 - v. Russia should be treated as a non-market economy as done by USA and Canada in recent investigations. The European Commission has also found significant distortions in certain sectors of the Russian economy.

G.2 Views of the domestic industry

52. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
 - ii. The domestic industry has determined the normal value for China based on the price payable in India, considering the cost of production of the domestic industry, plus profits.
 - iii. For the other subject countries, there is no evidence available with regard to domestic selling price. Since most of the subject countries are net exporters of the subject goods, the import price into the subject countries cannot be considered.
 - iv. Accordingly, the domestic industry has calculated the normal value on alternative basis. The domestic industry has relied upon available facts with regard to the cost of production in the subject countries plus profits, based on information reasonably available to it.
 - v. Export price must be determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation adopted from the published DGCIS data after due adjustments are made to determine the ex-factory price.
 - vi. The dumping margin for the subject countries is not only above the *de minimis* levels, but also significant.

G.3 Examination by the Authority

53. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin. ”

54. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
- a. ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd.
 - b. ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, Belgium
 - c. ExxonMobil Product Solutions Company
 - d. MRF SG PTE LTD.
 - e. Al-Jubail Petrochemical Company
 - f. Sibur International GMBH
 - g. Public Joint Stock Sibur Holding
 - h. Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim
 - i. Trigon Gulf FZCO

G.3.1 Determination of Normal value and Export Price

The normal value for China PR

55. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labor, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and

whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

56. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

57. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

58. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status.

59. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.
60. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value should first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India.
61. At the stage of filing the application, the domestic industry submitted that the normal value for China should be constructed based on the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.
62. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and second methods. No interested party has suggested a country that may be considered as an appropriate third country, for determination of normal value. There is no information furnished by any party with respect to the price or constructed value of the subject goods produced in a market economy third country.
63. The Authority also examined whether the price from an appropriate third country into India can be considered for the determination of normal value. However, it was noted that the subject imports account for 97% of the total imports into the country. No country, barring the subject countries, has exported a reasonable volume of product to India during the period of investigation. The price of imports from other subject countries are already alleged dumped prices. In view of the same, the normal value cannot be determined based on the price of exports from an appropriate third country to India.
64. In the absence of the above information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.
65. For this purpose, the Authority has considered the optimized cost of production of the domestic industry, with a reasonable additional of selling, general and administrative expenses and profits.

Export price for China PR

66. None of the producers from China PR have participated in the investigation. Accordingly, the export price has been determined on the basis of facts available. For the purpose, the information provided by DG Systems has been considered. Further, price adjustments have been carried out on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission on the basis of facts available.

Normal value for Singapore

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. (“EMAPPL”)

67. ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. (EMAPPL) is a producer of the subject goods in Singapore. The Authority notes that EMAPPL has not sold goods in the domestic market during the period of investigation. In the absence of domestic sales, the Authority has considered the cost of production of the producer as the basis for the purpose of preliminarily determining the normal value.
68. The Authority determined the normal value on the basis of the ex-factory cost of production with reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The profit margin for the purpose has been considered on the basis of profit of the company as a whole. The normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table.

Normal Value for other producers/exporters in Singapore

69. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters from Singapore has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Singapore

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. (“EMAPPL”), MRF SG PTE Limited (“MRF SG”) and CIAEL Singapore PTE LTD (“CIAEL”)

70. ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (EMAPPL) is a producer of the subject goods in Singapore. EMAPPL has exported the subject goods to India directly to un-related customers and through unrelated traders namely MRF SG PTE Limited (MRF SG) and CIAEL Singapore PTE LTD (CIAEL). MRF SG and CIAEL have exported

the product under consideration to their related entities in India. Further, EMAPPL has a related entity in India namely ExxonMobil Company India Private Limited (EMCIPL). However, EMCIPL is not involved in manufacturing or buying or selling of the product under consideration. EMCIPL acts as a service entity in India and provides marketing services. Moreover, ExxonMobil Chemical Asia Pacific (EMCAP) is a division of EMAPPL. It is engaged in the purchase and sale of the product under consideration and has exported the product under consideration to India and other countries. However, EMAPPL has not exported the subject goods to India through EMCAP. During the period of investigation, EMAPPL has exported the goods through the following distribution channels.

EMAPPL→Unrelated customers in India

EMAPPL→ MRF SG→Related customers in India

EMAPPL→ CIAEL→Related customers in India

71. It is noted that during the period of investigation, EMAPPL has exported *** MT of the product under consideration out of which *** MT is directly exported to unrelated customers in India and *** MT through unrelated traders. Price adjustments have been carried out towards inland freight, ocean freight, insurance, credit cost, commission, warehousing and related costs for direct sales to India. Price adjustments have been carried out towards credit costs and bank charges for exports through traders to India. The exporter has also claimed adjustments on account of loss on exports made to India for exports from ***. The same has been accepted for the purpose of present preliminary findings. Accordingly, the Authority has provisionally determined the export price, as mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Singapore

72. The export price for other non-cooperative producers/exporters from Singapore has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

The normal value for Saudi Arabia

Al-Jubail Petrochemical Company (“Kemya”)

73. Al-Jubail Petrochemical Company (“Kemya”) is a producer of the subject goods in Saudi Arabia. The Authority notes that Kemya has not sold in the domestic market during the period of investigation. In the absence of domestic sales, the Authority has considered the cost of production for the purpose of preliminarily determining the normal value.
74. The Authority determined the normal value on the basis of the ex-factory cost of production with reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The profit margin for the purpose has been considered on the basis of the profit of the company as a whole (***). The normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table.

Normal Value for other producers/exporters in Saudi Arabia

75. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Saudi Arabia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Saudi Arabia

Al-Jubail Petrochemical Company (“Kemya”), ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, (“EMPC”) and ExxonMobil Chemical Asia Pacific (“EMCAP”), CIAEL Singapore PTE LTD (“CIAEL”)

76. Al-Jubail Petrochemical Company (“Kemya”) is a producer of the subject goods in Saudi Arabia. Kemya has sold the product under consideration to its JV partners i.e., ExxonMobil - ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, Belgium (EMPC) and ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore (EMCAP), for exports to India. EMPCAP has exported the goods to unrelated customers in India. EMPC has purchased goods from Kemya and sold the goods to EMCAP that has re-sold the goods to CIAEL Singapore PTE LTD (CIAEL SG) that has exported the goods to its related entity in India.

Kemya →EMPC →EMCAP→CIAEL SG→ Related entities in India

Kemya →EMCAP→Unrelated customer in India

77. It is noted that during the POI, Kemya has exported *** MT of PUC. The adjustments towards inland freight, credit cost, ocean freight, insurance, commission, warehousing cost, port expenses and bank charges have been accepted for the purpose of present preliminary findings. Accordingly, the Authority has provisionally determined the export price, as mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Saudi Arabia

78. The export price for other non-cooperative producers/exporters from Saudi Arabia has been taken as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Normal value for Russia

79. Some of the interested parties have contended that Russia should be treated as a non-market economy for the purpose of the present investigation. The other interested parties have not referred to the legal provision under which Russia should be treated as a non-market economy country, nor established with evidence that the operations in Russia with regards to the subject goods are not in accordance with the market principles of cost or pricing structures. While it is alleged that the USA and Canada have treated Russia as a non-market economy, they have not concluded the same with regard to the present product under consideration. In the absence of evidence on record, Russia cannot be treated as a non-market economy for the purpose of the present investigation.

Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim (NKNH)

80. Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim (“NKNH”) is a producer of the subject goods in Russia. NKNH has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducts the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods, on a PCN-wise basis. If profit-making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since more than 80% of domestic sales are profitable hence all domestic sales have been considered to determine normal value. The company has claimed price adjustments on account of insurance and inland transportation and the same is allowed by the Authority. Thus, the normal value at an ex-factory level for NKNH has been calculated for the POI is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in Russia

81. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Russia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Russia

Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim (“NKNH”), Sibur International GMBH (“SI GmbH”) and Public Joint Stock Sibur Holding (“SIBUR Holding”) and Trigon Gulf FZCO (“Trigon”)

82. Public Joint Stock Company Niznekamskneftekhim (NKNH) is a producer of the subject goods in Russia. NKNH has exported the product under consideration to India through unrelated traders in Russia - Sibur International GMBH (GmbH) and Public Joint Stock Sibur Holding (SIBUR Holding) who have further sold the goods to an unrelated exporter in the United Arab Emirates - Trigon Gulf FZCO (Trigon) that has sold the product under consideration to un-related customers in India.

NKNH→ SIBUR Holding → SI GmbH→Trigon→Unrelated customers in India

NKNH→ SI GmbH →Trigon→ Unrelated customers in India

83. It is noted that during the POI, NKNH through Trigon has exported *** MT of PUC to unrelated customers in India. The adjustments towards metal containers, inland freight, ocean freight, credit cost, other logistics charges, insurance, port expenses, commission, and storage as claimed have been accepted for the purpose of present preliminary findings. Accordingly, the Authority has provisionally determined the export price, as mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Russia

84. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Russia has been taken as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Normal value for USA**ExxonMobil Product Solutions Company (“EMPSC”)**

85. ExxonMobil Product Solutions Company (“EMPSC”) is a producer of the subject goods in the USA . EMPSC has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. The company has claimed price adjustments on account of inland transportation, credit cost and level of trade adjustment and the same is allowed by the Authority. Thus, the normal value at ex-factory level for EMPSC has been calculated for the POI is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in the USA

86. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of the USA has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for the USA**ExxonMobil Product Solutions Company (“EMPSC”), ExxonMobil Chemical Asia Pacific (“EMCAP”), MRF SG PTE Limited (“MRF SG”) and CIAEL Singapore PTE LTD (“CIAEL”)**

87. ExxonMobil Product Solutions Company (“EMPSC”) is a producer of the subject goods in the USA . EMPSC has sold the product under consideration to one of its JV partners i.e., ExxonMobil - ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore (EMCAP) for exports to India and other traders in Singapore - MRF SG PTE Limited (MRF SG) and CIAEL Singapore PTE LTD (CIAEL) that have sold the goods to their related entities in India.

EMPSC→EMCAP→Unrelated customers in India

EMPSC→MRF SG→Related entities in India

EMPSC→CIAEL→ Related entities in India

88. It is noted that during the POI, EMCAP has exported *** MT of PUC directly to unrelated customers in India. The adjustments towards inland freight, ocean freight, warehousing expenses, insurance, credit cost, commission, port expenses and bank charges have been accepted for the purpose of present preliminary findings. Accordingly, the Authority has provisionally determined the export price, as mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from the USA

89. The export price for other non-cooperative producers/exporters from the USA has been taken as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

G3.2. Dumping Margin

The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Producer	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
Saudi Arabia					
Al-Jubail Petrochemical Company (“KEMYA”)	***	***	***	***	40-50%
Any Other	***	***	***	***	50-60%
Singapore					
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd/ ExxonMobil Chemical Asia Pacific	***	***	***	***	15-25%
Any Other	***	***	***	***	20-30%
United States of America					
ExxonMobil Product Solutions Company	***	***	***	***	25-35%

Any Other	***	***	***	***	30-40%
Russia					
Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim	***	***	***	***	30-40%
Any Other	***	***	***	***	35-45%
China					
Any	***	***	***	***	10-20%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of other interested parties

90. The following submissions have been made by the producers / exporters / other interested parties with regard to injury and causal link:
- The dumping of the product under consideration by SIBUR entities is an attempt to eliminate non-injurious imports from the other subject countries by cumulating the injurious impact of imports from all subject countries and allow the petitioner to monopolize the market. The Authority must de-cumulate subject imports from Russia in its injury analysis.
 - SIBUR consciously exported at low prices till the time of commencement of production by the petitioner and thereafter, reduced exports once the petitioner started production. The petitioner was importing the product under consideration from Russia at low prices and selling in the Indian market in 2018-19 and 2019-20.
 - Imports from Russia should be de-cumulated for injury analysis as the conditions of competition between imports from Russia are different since the petitioner is related to a major Russian producer/exporter, price charged by Russian exporters are distorted as it is a non-market economy, the import price of Russia has been the lowest amongst the subject countries barring 2020-21, Russia is the largest supplier of the product under consideration to India, the price of imports from Russia increased much less than increase from other countries, the volume of imports from Russia declined while that from other countries increased.
 - The imports from the subject countries have consistently decreased in absolute or relative to the production and consumption. By comparison, the demand and market share of the petitioner has increased.
 - The imports from China have increased. Product originating in Russia has been exported from China and the Authority may investigate the same.
 - There is no price effect as while the cost of sales of the domestic industry has not increased and the selling price of the domestic industry has increased leading to a better margin.
 - The domestic industry has not suffered from price undercutting. Further, comparing the prices of alleged dumped imports with the projected price does not fulfill the requirement of this Article 3.2. The domestic industry has not provided the basis of the projected prices and whether this projected price is reasonably in line with the average price of the subject goods.
 - The selling price of the domestic sales is neither suppressed nor depressed but has steadily increasing during the injury period.
 - The landed prices of imports from Saudi Arabia have gradually increased and is in line with the global market prices trend.
 - The domestic sales and production volume of the domestic industry gradually increased, while subject imports and other imports declined simultaneously.
 - There is no injury to the petitioner as the capacity, production, capacity utilization, captive consumption for production of HIIR, domestic sales, selling price and productivity has increased. The inventories of the petitioner have declined.
 - The figures of capacity utilization are not correct since the capacity considered is for both captive and merchant production, while only merchant production has been considered. There is a need to analyze whether production includes off-spec product.

- xiii. The press release by Care Ratings shows that the petitioner has operated at full capacity during Q1 of 2023-24.
- xiv. The average inventory significantly declined over the entire period due to higher domestic sales volume and decrease in the export sales.
- xv. The productivity indexes (per day, employee & per day per employee) have gradually increased during the entire period.
- xvi. The profitability of the domestic industry has improved during the entire injury period.
- xvii. The per unit interest cost of the petitioner has declined. While no interest cost has been reported in the profit and loss statement of the petitioner, the same has been reported in the petition.
- xviii. Since the total interest cost has been volatile, the capital structure is not yet stabilized which is typical of any start-up operation.
- xix. The injury to the petitioner is due to high start-up costs as the petitioner had to make investments prior to commercial production.
- xx. The petitioner has incurred losses due to start-up costs and depreciation in the initial years of operation and the losses have reduced over the injury period.
- xxi. As per the publicly available profit and loss statement, the petitioner has earned profits during 2019-20 when it was producing only IIR. Thus, the data submit does not seem reliable.
- xxii. The petitioner had not manufactured the product under consideration during 2019-20 and 2020-21 as there was no raw material consumed and thus, any loss in such period not attributable to manufacturing operations.
- xxiii. The Authority may verify the agreement between RIL and the petitioner regarding purchase of raw material and check whether such purchase is at arm's length basis.
- xxiv. The petitioner has been continuously investing in property, plant and equipment; thus, it must have envisaged a positive outlook in the Indian market.
- xxv. As opposed to the submissions of the petitioner, it was not forced to export as the exports have declined post 2020-21.
- xxvi. The petitioner has increased its efficiency as the number of employees and cost of salaries have reduced while productivity has increased.
- xxvii. A new entity prior to commercial production, which is at the end of the period of investigation, sends samples to the customers for approval which takes 12-18 months. Hence, delay in achieving commercial production is due to long customer approval process.
- xxviii. The injury may also be due to the limited range offered by the petitioner. The petitioner cannot satisfy the domestic demand for the types required by the customer.
- xxix. The petitioner commenced production at a time when the global market for Butyl Rubber was in an economic downturn. There are global overcapacities leading to low prices in the market globally. Since 2013, the global capacities increased more than increase in global demand.
- xxx. Since 2020, the global TFE costs have increased but Butyl Rubber prices did not increase commensurately. The Authority should separate and distinguish the injurious effect of global economic developments.
- xxxi. Injury to the petitioner is due to COVID-19 which disrupted the supply of the product, demand of the product and led to delay in commercial operations of the petitioner. The petitioner's plant was closed from March 2020 to May 2020. During the period of investigation, the petitioner was in process of recovering from the global pandemic.
- xxxii. The high fixed costs, including depreciation costs, of the petitioner should be normated while determining the non-injurious price.
- xxxiii. The domestic industry has alleged unreasonably high non-injurious price without providing any evidence.

H.2 Views of the domestic industry

91. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Injury and causal link are as follows:
- i. In the total period of production, the domestic industry has witnessed plant shutdowns for a period of *** days or about *** months.
 - ii. Even though the domestic industry achieved optimum production test run in February 2021, it was forced to hold declaring commercial production.
 - iii. Despite the domestic industry's presence in the market, the volume of imports has remained high and constitute 97% of the total imports into the country.
 - iv. The price undercutting is positive, barring two customers.
 - v. The landed price of imports is significantly below the projected selling price of the domestic industry. Since the domestic industry is a new entrant in the market, it cannot afford to charge a higher price than the import price.
 - vi. Some of the exporters allow post-invoicing discounts, which has resulted in the CIF price being overstated.
 - vii. Some of the users have their affiliated procurement entities set up in the subject countries that have procured the goods domestically and then supplied them at higher prices.
 - viii. The price undercutting should be calculated on a month-wise comparison.
 - ix. There is a significant difference in prices at which the subject goods have been purchased by the same consumer in the same month. The lower priced imports set a benchmark for the prices which the customers expect from the domestic industry.
 - x. While the domestic industry has reduced cash discounts allowed, the exporters are allowing long credit periods of 45-60 days, which must be adjusted in determination of landed price.
 - xi. While it has been questioned as to why the domestic industry has been charging a price less than the price of imports, the domestic industry has been able to sell only a small share of its production in the domestic market.
 - xii. Since there are affiliated party transactions, the price undercutting and injury margin should be determined based on the price of the producer, and not the exporter. This is because the users negotiate prices based on the price at which its affiliated exporter is procuring the product from the producer.
 - xiii. In case of USA, barring a small volume, all the transactions are related party transactions.
 - xiv. The imports have prevented the domestic industry from effecting price increases and has forced it to sell below cost. Further, the domestic industry is selling the subject goods at a price significantly below its projected price.
 - xv. It is well accepted that the domestic industry may suffer volume injury or price injury. It is not necessary for both to subsist.
 - xvi. The domestic industry was not able to achieve its projected production and capacity utilization till end of the present period of investigation.
 - xvii. The domestic industry had projected to achieve over 90% of capacity utilization within a period of *** months. Instead, its capacity utilization is only ***, even after having been producing for *** months.
 - xviii. The domestic industry was not able to declare commercial production for 910 days, due to imports.
 - xix. The capacity utilization based on domestic sales is only **%.
 - xx. Even though the domestic industry has a capacity exceeding the domestic demand, its market share has been **%.
 - xxi. The domestic industry made no projections for exports. Despite this it has been forced to export **% of its production.
 - xxii. The domestic industry has incurred cumulative financial losses of ₹ *** crores during the injury period. While it had projected significant profits in *** of operation, it has continued to face losses and negative EBIDTA.

- xxiii. The cash profits and return on investment have continued to deteriorate over the period.
- xxiv. The actual PBIT of the domestic industry is lower by 122% than the PBIT necessary for a ***% return.
- xxv. Despite the duration of operation, the domestic industry has not been able to break even at this stage.
- xxvi. At the current prices, the domestic industry would incur significant losses, not only at the present capacity utilization, but also at the projected capacity utilization for each year of operations.

H.3 Examination by the Authority

- 92. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 93. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 94. With regard to the agreement between RIL and RSEPL, the Authority notes that data for the domestic industry has been accepted, after due satisfaction for the purpose of present preliminary determination, and pending verification of the information provided, and ensuring that all related party transactions have been made at arms' length prices.
- 95. With regards to submissions of the other interested parties regarding global economic development and overcapacities, the Authority notes that the petitioner is the sole producer of the subject goods in India and there are no overcapacities in India. If global overcapacities are the cause of dumping and if the same is causing injury to the Indian industry, the industry is justified in seeking remedy against such dumping. The injury to the domestic industry has been analyzed in terms of the domestic market. Overcapacities or changes in price of raw material does not provide a justification for the exporters to engage in unfair trade practice of dumping in India.
- 96. The domestic industry started trial production in September 2019 and declared commercial production in March 2022. The data for 2019-20 therefore relates to trial production beginning from September 2019 to March 2020.

H.3.1 Cumulative assessment of injury

- 97. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 98. The Authority notes that:
 - a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered

by the domestic industry in the Indian market.

99. With regard to conditions of competition, the trend of import volume from the subject countries shows while imports from Russia and USA declined, imports from Singapore declined in 2020-21 and 2021-22 but increased in the period of investigation. Imports from Saudi Arabia and China PR increased over the injury period. Further, with commencement of domestic production in India, the total import volume in India has reduced. With regard to price of imports, the Authority notes that import prices from all subject countries have shown the same trend over the injury period. There is no material difference in the pattern of prices from various subject countries over the injury period. Further, the landed price of imports from Russia is higher than other subject countries. The Authority also notes that the Appellate Body in the matter of EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil noted that there is no reference to the country-by-country volume and price analysis for determining whether cumulation of imports is required. Thus, cumulative assessment of imports is appropriate in the present investigation, in the light of conditions of competition.
100. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR, Russia, Singapore, Saudi Arabia and USA on the domestic industry cumulatively.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

101. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	510	594	816
Subject imports	MT	44,860	36,272	29,808	19,110
Other imports	MT	1,531	566	621	361
Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	122	124

102. It is seen that the demand increased in 2020-21, and then declined marginally in 2021-22. The demand has increased again during the period of investigation.

b) Import Volumes from the subject countries

103. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. The import volumes of the subject goods from subject countries and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject Countries	MT	44,860	36,272	29,808	19,110
Singapore	MT	13,546	6,094	6,830	11,291
Russia	MT	25,847	18,642	14,014	3,104
Saudi Arabia	MT	1,299	1,577	1,790	1,903
U S A	MT	4,168	9,943	6,939	1,563
China PR	MT	0	17	234	1,249
Other Countries	MT	1,531	566	621	361

Total Imports	MT	46,391	36,838	30,428	19,470
Total Indian Production	MT	***	***	***	***
Subject import in relation to:					
Total imports	%	97%	98%	98%	98%
Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	55	34
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	22	17	8

104. It is seen that-

- The volume of imports of the subject goods has reduced over the injury period. The Authority notes that the decline in the imports is a consequence of the commencement of new production by the domestic industry. The domestic industry commenced production in September 2019 with a capacity of 1.20 lacs MT and declared commercial production in March 2022.
- The imports accounted for more than ***% of the consumption in India during the period 2019-20 but reduced to ***% in the period of investigation. As submitted by the domestic industry, this is a result of commencement of production by the domestic industry. Nevertheless, the Authority notes that share of imports has remained high, in comparison to the fact that the domestic industry produced *** MT in the POI as against *** MT demand in this period and had capacity sufficient to cater to the entirety of the demand in India.
- The volume of imports in relation to production was more than ***% at the beginning of the injury period. Owing to commencement of production by the domestic industry, the same has reduced. However, it is noted that such production is still significant, considering the capacities installed in India.
- The share of imports from the subject countries increased to 98% of the total imports in the period of investigation.

105. The Authority notes that the domestic industry commenced production only during the injury period (in September 2019). Therefore, it is quite common that imports witnessed a decline over the injury period, as the domestic industry increasingly utilized its capacities. However, the domestic industry has sold the goods at significant financial losses, in order to compete with the imports and sell the goods to the customers. Therefore, while the domestic industry has gained volume, its profitability has suffered as a result.

106. With regard to the submissions that imports from China are of the product originating from Russia, it is clarified that the Authority has considered only those transactions where the country of origin has been reported as China in the import transaction.

H.3.3 Price effect of the dumped imports

107. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

108. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

Particular	Unit	POI
Selling price	USD/MT	***
Landed price	USD/MT	2,541
Price undercutting	USD/MT	***
Price undercutting	%	***
Trend	Range	Negative

109. It is noted that during the period of investigation, the price undercutting for the subject countries is negative. However, the domestic industry alleges as a new entrant, it would have to invariably compete with the volume of imports at lower prices. Accordingly, even if some imports have been made at higher prices, it does not negate the injurious effect of imports at lower prices.
110. The applicant has highlighted that there are significant differences between the prices of the imports by the same purchaser, at the same time. Further, there are affiliated party transactions due to which the prices are not representative. The Authority notes that in a situation where the price undercutting is negative, the Authority is required to determine whether the imports were suppressing or depressing the domestic prices. It is not necessary that the price undercutting and suppression/depression should both be present at the same time in order to conclude adverse price effect of dumped imports onto the domestic industry.

b) Price suppression/depression

111. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below.

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	83	100
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	122	153
Landed Price	₹/MT	135,678	128,882	153,915	205,267
Trend	Indexed	100	95	113	151

112. It is seen that while the cost of sales increased by ₹ *** per MT between 2020-21 and POI, the selling price increased only by ₹ *** per MT. The Authority also notes that the comparison with base year is inappropriate in this regard, as this was the first of commencement of production by the domestic industry.

B.2.1 H.3.4 Economic parameters of the domestic industry

113. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

114. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
Trend	Indexed	100	171	171	171
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	367	381	516
Capacity Utilization	%	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	214	222	301
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	510	594	816
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	611	357	212
Captive Consumption	MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	646	1,315
Number of days production was shutdown	Days	***	***	***	***

115. It is seen that:

- Since the domestic industry commenced production during the injury period, the production, capacity utilization and sales of the domestic industry have improved over the period.
- While domestic sales of the domestic industry increased, it is seen that the same were materially below production. The domestic industry has contended that as a result, the domestic industry has been forced to export a significant share of its production at losses.

Particulars	Unit	POI
Cost of Sales (exports)	₹/MT	***
Selling Price (exports)	₹/MT	***
Profit/(Loss)	₹/MT	(***)

- Further, it is seen that if only the capacity utilized for domestic sales is considered, the domestic industry utilized only ***% of its capacities towards domestic sales. Therefore, the domestic industry has been able to improve its capacity utilization, only by effecting export sales and as a result of captive consumption.
 - This is in contrast with the capacity utilization of **%, which the domestic industry could have achieved, had it supplied the demand in the country, plus the present export sales.
 - The Authority also notes that the domestic industry has had to shut down its operations for *** days during the injury period, and for *** days during the period of investigation. The domestic industry has claimed that such shutdown was on account of dumping of the product, and continued losses. Table above shows the period of shutdown over the injury period. It is seen that the domestic industry has suffered production shutdown over the entirety of the period. The domestic industry contended that while shutdown in the beginning of the period may be attributed to new production facilities, it is seen that the same continued till investigation period despite elapse of significant period.
116. It is clarified that the capacity utilization has been determined after considering both merchant and captive production of the domestic industry. Thus, both capacity and capacity utilization are for total production by the domestic industry. It is also noted that the volume of off-spec production was high only in the initial period of commencement of production and was quite low during the period of investigation.
117. With regard to the submission that the petitioner has operated at full capacity in the post POI, the Authority notes that it has examined material injury to the domestic industry and the domestic industry produced and sold over the entire injury period. There is no reason why the Authority should consider post POI in the present investigation.
118. Some interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to COVID-19. The Authority notes that the period of investigation in the present investigation is 2022-23, and there is no evidence of adverse effect of Covid-19 during this period.

b) Market share

119. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in table below:

Market share	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Domestic industry	%-Indexed	100	391	473	636
Subject imports	%-Indexed	100	65	55	35
Other imports	%-Indexed	100	33	33	33

120. It is noted that since the domestic industry has commenced production during the injury period, its market share has shown an increase, while that of the imports declined. However, the imports continue to account for almost *** of the market, despite there being sufficient capacity with the domestic industry to cater to the domestic demand. Further, the Authority notes that had the domestic industry been able to utilize a greater share of its capacity, it could have catered to the entirety of the demand, even after accounting for captive consumption and export sales. By contrast, the domestic industry achieved a market share of only ***%. The domestic industry has contended that it has been able to increase its market share only at the cost of financial losses suffered. The domestic industry has contended that its cumulative financial losses since commencement of business were Rs. *** crores by the end of the POI.

c) Inventories

121. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	184	124	82

122. It is noted that the average inventories of the domestic industry have reduced over the period. It is seen that the same is because the domestic sales of the domestic industry increased. However, the domestic industry has stated that it has been forced to suspend production for *** days during the present injury period and *** days during the period of investigation, because of market situation created by dumping.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

123. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-114	-236	-349
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-114	-236	-263
Return of investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-25	-92	-125

124. It is seen that—

- a. The domestic industry has incurred significant losses throughout the injury period. While the losses during the base year may be attributable to low-capacity utilization, new production facilities, and low volume of sales, the losses have increased during the period of investigation, despite higher capacity utilization.

- b. The domestic industry increased its production by 416%, domestic sales by 716%. Despite these, its losses increased by 249%, while cash losses increased by 163% and return on capital employed deteriorated further by 25% over the injury period. Thus, the domestic industry improved its volumes significantly, but lost significantly further in respect of price parameters.
- c. The domestic industry has faced significant cash losses and negative EBIDTA throughout the injury period. Further, cash losses, and loss before interest increased significantly over the injury period, despite significant increase in production and domestic sales.
- d. In absolute terms, the losses and cash losses are the highest during the period of investigation.
- e. The domestic industry has not been able to break even despite having been in operation for 43 months.
- f. The return on capital employed has remained negative throughout the injury period, and deteriorated over the injury period.
125. However, while the domestic industry had provided information with regards to its overall selling price, the Authority noted that ***% of the sales during 2019-20 were sales of off-specification product, while that during the subsequent periods were lower. The domestic industry contended that the Authority should examine the prices of the domestic industry having regard to the selling price for prime grade only. The domestic industry additionally submitted that consideration of prices of prime product is appropriate in the present case, since the Authority is required to exclude injurious effects of other factors. Since in the base year, the selling price would be suppressed due to sale of off-specification product, leading to higher losses, the effect of the same must be segregated.
126. The domestic industry has incurred cumulative losses of ₹ *** crores over the injury period. This implies that the domestic industry has already lost an amount equivalent to almost ***% of the capital employed, since it began production, in the form of losses. The domestic industry contended, by contrast, it would have earned Rs. *** crores as per its project report, over the period of its operations for this period.
127. The domestic industry contended that in order to earn a return of ***% on the capital employed, the domestic industry would have to earn a PBIT of ₹ *** per MT. By contrast, it has incurred a loss of ₹ *** per MT. This implies a loss of revenue at Rs. *** per MT on a sale volume of *** per MT.
128. The Authority notes that the domestic industry has suffered financial losses throughout the injury period, even considering selling price of prime product. The losses suffered on the domestic sales continue to show an increasing trend.
129. With regard to the submission that the interest cost is not reported in the P&L statement of the petitioner, the Authority notes that the same has been reported in the Financial Statements of 2022-23. Since the commercial production was not declared in previous year, the interest cost was capitalized for the purpose of the books of accounts. However, the petitioner has reported the same as per the formats issued by the Authority for the purpose of the present investigation.
130. With regard to the submission that the losses to the domestic industry are due to startup costs and depreciation, the Authority notes any start-up costs are capitalized under the GAAP of India. Further, the domestic industry has been in operation since 43 months. 2019-20 was the first year of operation and therefore the start-up costs are limited to 2019-20. There is no evidence of start-up costs impacting in the present POI. However, the loss per unit of the domestic industry has increased during the period of investigation as compared to 2020-21 and 2021-22.
131. The domestic industry contended that analysis of the project report would show that the domestic industry had projected profits in the very first full year of its operations, and significant profits by third year of operations. Thus, the losses in the POI cannot be attributed to start-up costs.

Particulars	UOM	IIR		
		POI-Actual	Projected Year-3	Projected Year 4
Installed Capacity*	MT	120,000	120,000	120,000
Total Production Qty	MT	***	***	***
Capacity Utilization	%	***	***	***
Sales Quantity	MT	***	***	***
Domestic Sales	MT	***	***	***

Export Sales	MT	***	***	***
Captive transfer	MT	***	***	***
Cost of Sales (ex-factory)	₹/MT	***	***	***
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***
PBT (Profit before Tax)	₹/MT	(***)	***	***
PBT (Profit before Tax)	₹ Lacs	(***)	***	***
Depreciation	₹/MT	***	***	***
Cash Profit (PBT+ Depreciation)	₹/MT	(***)	***	***
Interest Cost	₹/MT	***	***	***
PBIT	₹ Lacs	(***)	***	***
PBDIT (Profit before Depreciation, Interest & Tax)	₹/MT	(***)	***	***
PBDIT (Profit before Depreciation, Interest & Tax)	₹ Lacs	(***)	***	***
Average capital employed	₹ Lacs	***	***	***
Net Fixed Assets	₹ Lacs	***	***	***
Working Capital	₹ Lacs	***	***	***
PBIT as % of Average Capital Employed (ROI)	₹ Lacs	(***)	***	***

132. Some interested parties have contended that the petitioner has earned profits in 2019-20. The Authority notes the domestic industry has suffered financial losses in 2019-20.
133. With regard to the contention that the applicant has not manufactured subject goods during 2019-20 and 2020-21; and, hence, losses cannot be attributed to manufacturing operations, the Authority notes that the domestic industry produced and sold significant volumes of the subject goods in these two years and suffered significant financial losses in this period. Further, the losses suffered by the domestic industry have increased in 2022-23 despite increase in the sales volumes. It is seen that the as the domestic industry produced and sold more over the injury period, it suffered increasingly higher financial losses.

e) Employment, productivity and wages

134. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	77	87
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	341	272	250
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	214	222	301
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	228	287	346

135. It is noted that the number of employees declined till 2021-22, and thereafter increased. By contrast, salary increased in 2020-21, then declined. The productivity of the domestic industry has also improved. The domestic industry has not claimed injury on this account.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	POI
Production	%	267%	4%	35%
Domestic Sales	%	410%	17%	37%
Profit/(Loss)	%	-14%	-107%	-48%
Cash Profit	%	-14%	-107%	-11%
Return on Capital Employed	%	75%	-264%	-36%

136. It is seen that as the domestic industry commenced production during the injury period, its volume parameters have improved. However, the profitability parameters of the domestic industry have declined throughout the period. Despite significant increase in volume parameters, the growth in price parameters is very adverse.

g) Impact on ability to raise capital investments

137. The domestic industry set up capacity for the subject goods, and thus, was able to raise capital investment. However, over the period the domestic industry has incurred steep losses and is facing negative returns. The EBIDTA is negative and has deteriorated over the injury period. Therefore, the domestic industry has not earned enough to service its present debt obligations. In view of the same, the Authority finds that the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments.

h) Factors affecting prices

138. It is noted that since the price of the subject imports is lower than the cost of sales of the subject goods, the same also creates a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are below the NIP of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below their cost, resulting in underutilized capacity and financial losses. The domestic industry is unable to fetch its target prices in India. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred, and the domestic industry has incurred steep losses.
139. Consideration of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of significant proportion of imported subject goods from the subject countries below the selling price of the domestic industry, caused significant price suppression in the Indian market. There is no viable substitute to this product. Demand for the subject goods has shown increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Given significant demand of the subject goods in the country and significant volume of the product that the domestic industry must sell, the only option with the domestic industry is to sell at loss making prices. The consumers have been negotiating the prices with the domestic industry on the basis of imported product prices. Thus, the principal factor responsible for the domestic industry prices is the landed prices of the subject goods.

i) The magnitude of dumping

140. There is significant dumping of subject goods from the subject countries which has destroyed the conditions of fair competition in the market.

H.3.5 Overall assessment of injury

141. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry clearly shows that:
- The domestic industry commenced production from September, 2019. The capacities with the domestic industry are more than demand for the product in the country. The volume of imports declined with commencement of production by the domestic industry and increasing supplies by the domestic industry. Consequently, the volume parameters of the domestic industry have increased.
 - The weighted average capacity utilization of the domestic industry was only ***% in the POI, thus resulting in significant under utilization of production capacities.

- iii. The domestic industry has exported a significant share of its inventories at losses, to dispose of production, in view of significant presence of dumped imports in the market.
- iv. The imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- v. The profits of the domestic industry deteriorated over the period, with consistent and even increasing losses, cash losses, and negative return on capital employed. The domestic industry has suffered financial losses throughout the injury period.
- vi. The domestic industry is facing negative EBIDTA throughout the injury period.
- vii. Despite 43 months of production, the domestic industry has not been able to break even.
- viii. While the volume parameters of the domestic industry showed positive growth, the price and profits parameters deteriorated significantly.
- ix. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
- x. The dumping margin is positive and significant.
- xi. The imports are affecting the prices of the domestic industry.

142. In view of the foregoing, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H3.6 Non-attribution analysis and casual link

143. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

144. It is noted that there are negligible imports from any other country. The imports from the subject countries constitute 97% of the imports in India. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b) Contraction in demand

145. The demand for the product under consideration has steadily increased and was the highest during in the period of investigation. The demand for the subject goods is expected to continue to grow. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Pattern of consumption

146. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

147. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

148. There has been no change in technology for production of the subject goods. The domestic industry has set up a new plant for the production of the subject goods.

f) Productivity

149. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

150. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h) Performance of other products

151. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

H3.7 Conclusions on causal link

152. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.
- i. There is dumping of the subject goods from the subject countries.
 - ii. Since the domestic industry commenced production during the injury period, the capacity production, sales and capacity utilization increased. The dumping has however prevented optimum utilization of production capacities.
 - iii. Even when the volume of imports has declined, as a consequence of new production, the volume is quite significant and prevented the domestic industry from selling up to the extent of its production and installed capacities.
 - iv. The market share of imports has remained significant, despite the domestic industry having the capacity to meet Indian demand, even after supplying to export markets, and providing for its captive consumption.
 - v. The capacity utilized for domestic sales is only ***% during the period of investigation. The domestic industry has been able to utilize a higher share of its capacities only on account of captive consumption and export sales.
 - vi. The domestic industry was forced to export at losses, in order to dispose of its inventories.
 - vii. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred.
 - viii. The domestic industry has incurred heavy losses throughout the injury period, and its losses have increased during the period of investigation.
 - ix. The cash flows and return on capital employed of the domestic industry have deteriorated over the period, and are negative.
 - x. While the volume parameters of the domestic industry showed positive growth, the profitability parameters deteriorated.
 - xi. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
153. The Authority, thus, provisionally concludes that there exists causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**I.1. Submissions by other interested parties**

154. The other interested parties have made the submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. The domestic industry, that is the sole producer of the subject goods in India has set its targeted prices on a very high level.
 - ii. Any imposition of anti-dumping duty will increase the cost for the users and their customers.
 - iii. In case of imposition of duties, either the user will absorb the duty paid on imports or they will pass it to its end customer by increasing the selling price. In the first situation the imposition of duties will lead to severe decline in profitability and eventually results in loss to the user industry and in second situation the duty will lead to a significant increase in the sales value/selling price of the finished goods manufactured using the product under consideration.
 - iv. Any increase in the cost of the product under consideration will cause a ripple effect on the downstream users which may make the users uncompetitive or even push them into operational losses.
 - v. Imposition of duty could open doors for monopolistic behavior by the domestic industry.
 - vi. Imposition of duty would limit supplies from the subject countries and cause a severe demand-supply gap that the domestic industry may not be able to adequately fill.
 - vii. The domestic industry has not provided any evidence of its ability to cover the domestic demand.
 - viii. Proceeding with the investigation and imposition of the measures will be against the public interest of the end users.

I.2 Submissions by the domestic industry

155. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. There is no demand supply gap in the country for the subject goods.
 - ii. The domestic industry has the capacity to cater to the entire Indian demand and in case of increased demand, it has the infrastructure to increase its capacity.
 - iii. Production facilities for the product under consideration is highly capital intensive. The domestic industry has invested nearly ₹ ***crores to make India self-sufficient, of which IIR accounts for approximately ₹ ***crores.
 - iv. If the current situation continues, the domestic industry will have no option but to permanently shut down its operations and India will once again become entirely import dependent.
 - v. The domestic industry is the sole producer of the subject goods in the country.
 - vi. There was no domestic production of the product under consideration in the country, even though it is a very critical input for tyres industry.
 - vii. The impact of the proposed measures on the eventual end products shall be quite minimal.
 - viii. The product thus forms hardly 1.3 - 1.6% share in the price of the downstream product.
 - ix. The price of tyres in the retail market do not vary according to prices of IIR.
 - x. Natural and synthetic rubber constitutes majority of the cost of raw materials for tyre industry and prices of the other the raw materials do not have any material impact on tyre industry operations.
 - xi. Technology for production of the product under consideration is highly regulated and limited and it has taken significant efforts to obtain this technology for production in the country.

I.3 Examination by the Authority

156. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
157. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/ exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
158. The Authority notes that the response to the Economic Interest Questionnaire was furnished by the domestic industry and only two importers / consumers of the subject goods namely Exel Rubber Pvt. Limited and Classic Industries and Exports Limited. No other consumer of the subject goods has cooperated with the Authority nor furnished a response to the Economic Interest Questionnaire.
159. The Authority notes that the subject goods are a necessary raw material for manufacturing tyres. However, the tyre industry has not provided any evidence to show impact of proposed ADD on their operations. The absence of cooperation and participation by the tyre industry with regard to impact of duties, despite Automotive Tyre Manufacturers' Association making submissions in the present investigation underscores the Authority's position and reinforces the necessity of anti-dumping measures to ensure fair trade practices.
160. The Authority notes that prior to the establishment of the plant by the domestic industry, India was completely import dependent. The domestic industry has heavily invested in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant. The domestic industry has emphasized that if the dumping from the subject countries continues, the domestic industry will have no option but to permanently shut down its operations.

161. The Authority also notes that the subject goods are an integral part of tyre. In such a scenario it is important that the country has domestic availability of the subject goods. Further, as highlighted by the domestic industry, the main cost component in a tyre is natural rubber and materials such as IIR, although integral, constitute a small component in the tyre. Thus, they are not a major cost to the tyre industry. Further, if the impact is determined on the further downstream product, the impact would be miniscule indeed.
162. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.
163. Although the other interested parties have argued that the domestic industry has not given sufficient evidence to show that they can cater to the Indian demand, it is seen that the domestic industry has sufficient capacity to meet the Indian demand.
164. Further, the Authority notes that although the subject imports constitute 97% of the imports into the country, the technology to manufacture the product is available in a number of countries globally. Thus, the goods can be imported from other sources such as Austria, Belgium and Japan as well. In this regard, the Authority notes that the product under consideration has been imported in past from other sources as well.
165. The Authority also notes that significant investment has been made by the domestic industry, of ₹ ***crores. Further, it has sourced the technology from international producers, in order to set up a plant. However, within a period of 43 months, the domestic industry has incurred losses of ₹ ***crores. Therefore, the domestic industry is having high losses, which poses threat to the viability of the investments made.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

166. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
167. With regards to submissions of the other interested parties regarding determination of non-injurious price, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per Annexure III of the Rules and the established practice of the Authority.
168. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
169. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Injury Margin

Producer	NIP (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
Saudi Arabia					
Al-Jubail Petrochemical Company ("KEMYA")	***	***	***	***	15-25%
Any Other	***	***	***	***	20-30%
Singapore					
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd/	***	***	***	***	40-50%

ExxonMobil Chemical Asia Pacific					
Any Other	***	***	***	***	45-55%
United States of America					
ExxonMobil Product Solutions Company	***	***	***	***	25-35%
Any Other	***	***	***	***	30-40%
Russia					
Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim	***	***	***	***	50-60%
Any Other	***	***	***	***	60-70%
China					
Any	***	***	***	***	25-35%

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

170. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

- i. The application for initiation of the anti-dumping investigation against imports of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America was filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods and constitute domestic industry for the purpose of the present investigation.
- ii. The product under consideration is Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) which is a which is a synthetic rubber, commonly used to manufacture inner tubes for tires and other high-pressure tubes. Food-grade IIR used in the production of chewing gum is excluded from the scope of the product under consideration.
- iii. The Authority has adopted a PCN methodology and notified the same.
- iv. Since no producer from China PR has filed request for market economy treatment, China PR has been considered as a non-market economy and the normal value has been determined based on the price payable in India which is based on cost of production of the domestic industry.
- v. The normal value and export price for cooperative producers and exporters have been determined based on the information provided by them, subject to verification of such information.
- vi. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is significant and above *de minimis*.
- vii. The demand for the subject goods declined in 2021-22 and increased again and was the highest during the period of investigation.
- viii. The imports have declined in response to the supplies by the domestic industry with the commencement of production in new production facilities.
- ix. The imports from the subject countries constitute 97% of the imports into the country.
- x. The price undercutting is negative in the present investigation. However, the domestic industry has suffered price suppression in the market, as the domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to the increase in cost of production.
- xi. As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions are reached:
 - a. The domestic industry was forced to shut down its operations due to the dumping, for *** days during the injury period.
 - b. The domestic industry has suffered from underutilized capacities throughout the injury period.

- c. Since the domestic industry has commenced production during the injury period, its market share has increased over the injury period. However, the same is not in line with the capacities of the domestic industry, after excluding the captive consumption and export sales.
- d. The average inventories of the domestic industry have decreased over the injury period.
- e. The domestic industry was forced to export subject goods in order to avoid inventory accumulation.
- f. The domestic industry has suffered from losses, cash losses and negative return.
- g. The EBIDTA of the domestic industry is negative.
- h. The volume parameters of the domestic industry have improved but the profitability parameters have declined.
- i. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further investments.
- xii. The domestic industry has suffered injury as a result of the dumped goods from the subject countries.
- xiii. The injury margin is significant.
- xiv. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports.
- xv. The anti-dumping duty is in the interest of the public. This is evident from the following:
- a. The domestic industry has made significant investment in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant.
- b. The subject goods are not a major cost to the downstream industry.
- c. The major application for the subject goods is in the tyre industry. However, the tyre industry has not established significant adverse impact of the duties.
- d. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. The domestic industry has the capacity to cater to the entire Indian demand.
- e. The goods can be imported from other sources as well.
171. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
172. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40023100	Isobutylene-Isoprene Rubber	China	Any country, including China	Any	319	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China, Russia,	China	Any	319	MT	USD

			Saudi Arabia, Singapore and United States of America					
3	-do-	-do-	Russia	Russia	Public Joint Stock Company Niznekams kneftekhim	519	MT	USD
4	-do-	-do-	Russia	Any country, including Russia	Any producer other than (3)	571	MT	USD
5	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America	Russia	Any	571	MT	USD
6	-do-	-do-	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Al-Jubail Petrochemical Company	588	MT	USD
7	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country, including Saudi Arabia	Any producer other than (6)	647	MT	USD
8	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America	Saudi Arabia	Any	647	MT	USD
9	-do-	-do-	Singapore	Singapore	ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd	431	MT	USD
10	-do-	-do-	Singapore	Any country, including Singapore	Any producer other than (9)	474	MT	USD
11	-do-	-do-	Any country other than	Singapore	Any	474	MT	USD

			China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America					
12	-do-	-do-	United States of America	United States of America	ExxonMob il Product Solutions Company	663	MT	USD
13	-do-	-do-	United States of America	Any country, including United States of America	Any producer other than (12)	729	MT	USD
14	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America	United States of America	Any	729	MT	USD

L. FURTHER PROCEDURE

173. The procedure as mentioned below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- i. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 30 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- ii. The Authority would conduct an oral hearing in terms of rule 6(6) to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation.
- iii. The date of the oral hearing will be published on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- iv. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- v. The Authority would disclose the essential facts as per the anti-dumping rules before giving its final findings.

ANANT SWARUP, Designated Authority